खण्ड-435, अंक-5
शुक्रवार, 9 वैशाख, शक संवत् 1922
(12 मई, 2000 ई0)

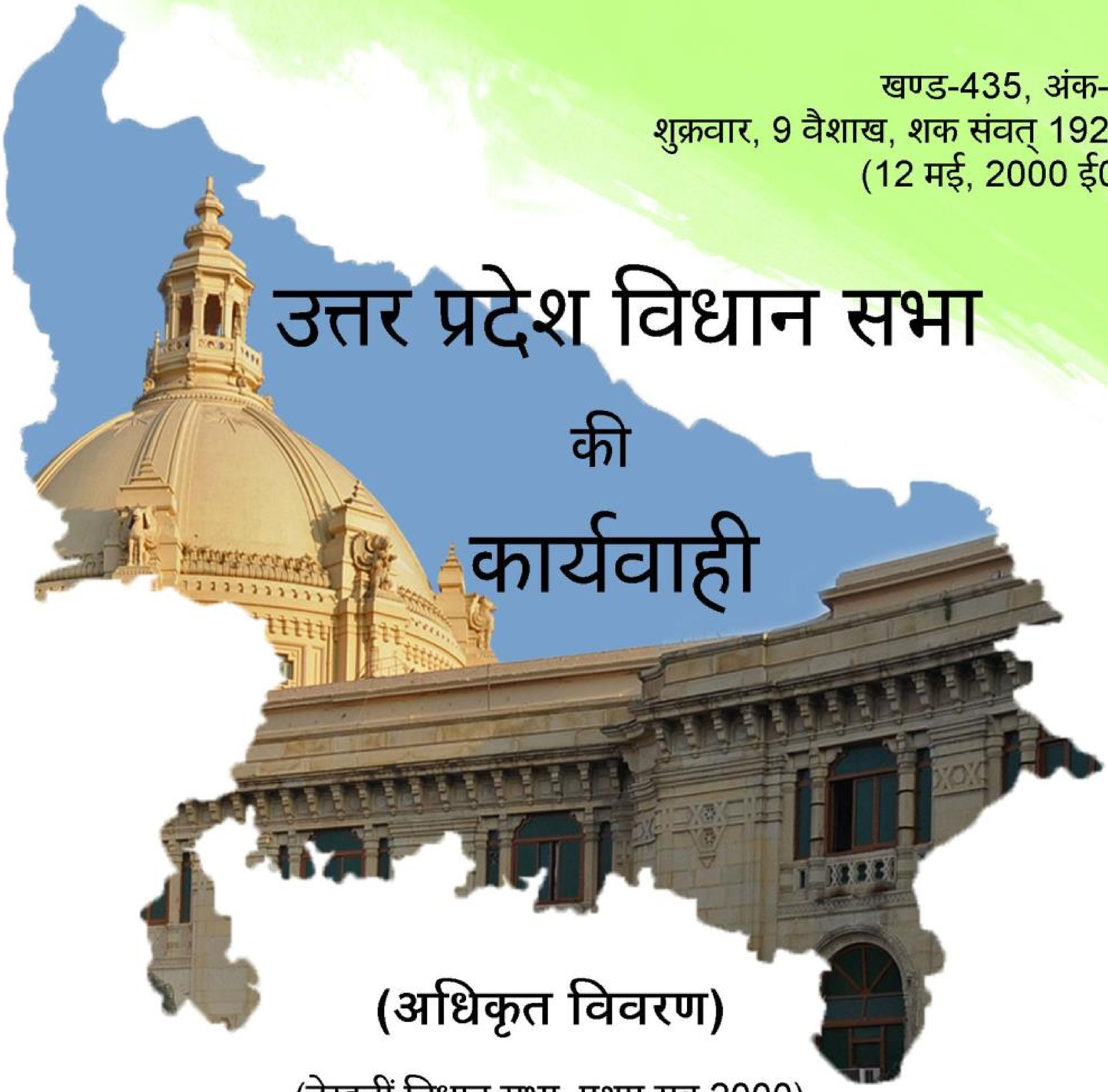

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	घ
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1
सदन में सेल्यूलर फोन बजने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय प्रश्नोत्तर प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	11
विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन का स्थगन	87-91
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	91-92
जनपद फतेहपुर के हसवा क्षेत्रान्तर्गत ललौली इण्टर कालेज, के प्रबन्धक द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद जालौन के प्राथमिक विद्यालय शहजादपुरा में कार्यरत अध्यापक की हुई मृत्यु के एवज में उनके मृतक आश्रित की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना	92-93
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी में अतरौरा सम्पर्क मार्ग में लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद गाजीपुर के सदर क्षेत्रान्तर्गत मंगई नदी के मानपुर घाट पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद लखीमपुर में गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद सीतापुर के लहरपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल एवं प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु अवमुक्त की गई धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद फतेहपुर के किशुनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
भारत की बढ़ती हुयी जनसंख्या के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	95-97
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के ग्राम सिकन्दरपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम अवध आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	
जनपद मेरठ के ऐतिहासिक इमारत टाउन हाल में स्थित पुस्कालय तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्मारक के रुप में घण्टाघर को संरक्षित रखने तथा मौलिक स्वरूप को बनाये रखते हुए सौंदर्यीकरण कर दर्शनीय बनाये जाने विषयक श्री सुन्दर सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	
5 मिली लीटर से अनधिक क्षमता वाली हस्तनिर्मित कांच की शीशी को कर मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर के निर्धारण वक्तव्य का स्थगन	97-[illegible]
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाये	98-12[illegible]
त्तीय वर्ष 2000-2001 को आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग, अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	

विषय	पृष्ठ संख्या
परिषद्) (स्वीकृत)	124
वित्तीय वर्ष 2000-2001 को आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	124
वित्तीय वर्ष 2000-2001 को आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	125
वित्तीय वर्ष 2000-2001 को आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या- 28गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य) (स्वीकृत)	126
वित्तीय वर्ष 2000-2001 को आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-27गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	126
वित्तीय वर्ष 2000-2001 को आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या- 70विभाग, एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	127
इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिको पर कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी द्वारा नियम-103 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	127
ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों के दुरूपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा नियम 52 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	127
नियम-51 के अर्न्तगत सूचनाएं	127-128
जनपद गाजियाबाद के अर्न्तगत लोनी क्षेत्र को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रुप चौधरी द्वारा नियम-51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	129-131
प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शासनादेश के उपरान्त भी परिवर्तित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम-51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	131-132
जनपद जौनपुर में विकास खण्ड सुजानगंज सोनहिता नाले पर टूटे हुए पुल का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	132
जनपद महाराजगंज की तहसील फरेन्दा की छितही व बन्थोह न्याय पंचायतों को गोरखपुर में सम्बद्ध किये जाने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में श्री विनोद मणि द्वारा नियम-51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	132-133
मेरठ विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 1999-2000 में अभी तक प्रवेश न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वास नियम 51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	133

विषय	पृष्ठ संख्या
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 10वीं कक्षा के नवीन पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	133-134
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) का मुख्यालय ज्ञानपुर में शीघ्र निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	135
जनपद अम्बेडकर नगर के जहाँगीरगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किछौछा नगर में खलिहान में हुए भीषण अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	135
जनपद देवरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा दवा छिड़काव करने वाले दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	135-136
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण निर्धारित मानकों के अनुरूप न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	136-138
प्रदेश में राजकीय शिक्षकों को राज्यकर्मियों की भाँति सुविधायें देने अथवा माध्यमिक शिक्षकों की भाँति सेवा शर्तें अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामविशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	138-139
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत नहरों तथा माइनरों पर बनी पैदल पुलियों के स्थान पर चौड़ी पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	139-140
नत्थियां	141-146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
सचिव, पूर्वोत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार दिनांक 12 मई, 2006

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

1- अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	31- महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
2- अनिल कुमार, श्री	बलिया	32- मारकण्डेय चन्द श्री	गोरखपुर
3- अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	33- मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
4- अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	34- रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा
5- अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	35- रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
6- अशफाक अहमद, श्री	बरेली		
7- अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	36- रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
8- इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	37- राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
9- उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	38- राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
10- ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	39- राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0	कानपुर नगर
11- ओमप्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर		
12- कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	40- राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
13- काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	41- रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
		42- रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
14- काशी राम, श्री	रामपुर	43- राम शंकर पाल,श्री	उन्नाव
15- कृष्णा राज, श्रीमती	खीरी	44- लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
16- के0सी0 सिंह "बाबा" श्री	उधम सिंह नगर	45- लाखीराम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
17- चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	46- लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
18- चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	47- लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
19- जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	48- विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
20- जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	49- विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
21- जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	50- विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
22- जय नारायन तिवारी,श्री	सुल्तानपुर	51- विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
23- जितेन्द्र कुमार जयसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	52- शिव गणेश लोधी, एडवोकेट, श्री	रायबरेली
24- तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	53- श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
25- धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	54- सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
26- पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	55- सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
27- प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर	56- सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
28- बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	57- हरि प्रसाद ऊर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
29- बी0 के0 गुप्ता, श्री	पीलीभीत		
30- भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात	58- होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 311 के अंतर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

स्वामी प्रसाद मौर्य --

माननीय अध्यक्ष जी, आज फर्जी मुठभेड़ दिखाकर दलितों के उपर बड़े पैमाने पर नरसंहार किया जा रहा है। उनकी हत्याएं की जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के मन में भय व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना नियम-56 में है कृपया देख लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैंने नियम-311 के अंतर्गत सूचना दी थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में [X X X X X X]

श्री अध्यक्ष--

नियम-56 के समय देख लेंगे। कृपया बैठ जायें।

श्री राधेश्याम सिंह--

मान्यवर, गोरखपुर के जिलाधिकारी द्वारा अपने ड्राइंग रूम में स्कूली लड़कियों को जबरदस्ती नचाया गया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना नियम-56 में नहीं आयी है। सोमवार को पुनः दे दीजियेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पुलिस बल की कमी पूरा करने की योजना की जानकारी

1-श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पुलिस बल की कमी है? यदि हां तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री--

जी हां।

जनसंख्या के आधार पर पुलिस बल की बढ़ोत्तरी हेतु शासन में दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत 36,608 एवं ग्यारहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत 92,502 पदों के सृजन का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है।

प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण पदों के सृजन के संबंध में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

नोटः- [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही 4 से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि पुलिस बल की कमी है। आज शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस का महत्व है और पुलिस की कमी के कारण होमगार्डस से काम लिया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में पुलिस बल की संख्या वर्तमान में कितनी है? प्रतिबन्ध से पूर्व कितनी थी और कितनी कमी थी? और इसको पूरा करने के लिए शासन स्तर से प्रतिबन्ध हटाने या भर्ती करने के लिए कब तक प्रयास किया जायेगा?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, वर्तमान में कुल संख्या एक लाख अट्ठानवे हजार एक सौ नवासी है। यह प्रतिबंध नये पदों पर है। जैसे-जैसे वर्तमान संख्या में स्थान रिक्त होता है वह भरा जाता है। इसलिए वर्तमान जो संख्या है वह कायम है। नये पदों का सृजन नहीं हो रहा है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब होमगार्डस और पी0आर0डी0 के लोगों से पुलिस बल का काम लिया जा रहा है तो उनको जितने दिन काम लेंगे उतने दिनों का पुलिस के बराबर मानक वेतन देंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, होमगार्डस और पी0आर0डी0 के लिए जो मानक निर्धारित हैं उसी मानक से मिलेगा, जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उनकी सर्विस कंडीशन में इस बात का उल्लेख है। जो मानक निर्धारित है वह मानक मिल रहा है।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, विशेष रुप से नवसृजित जनपदों में आज पुलिस बल की कमी है, तो वहां पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे? दूसरे, प्रमुख सचिव या दूसरे जो उच्चाधिकारियों के पद होते हैं बिना स्वीकृत हुए भी हम उन पदों को बढ़ाते जाने का काम करते हैं तो क्या यह जो पदों के सृजन पर रोक है, उसको हटाने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आवश्यकता को देखते हुए जो पुलिस मुख्यालय से हमें सिफारिश प्राप्त हुई है लगभग 70 हजार आरक्षित सिपाही की हमारी आवश्यकता है जो वर्तमान संख्या है इसके अलावा, ऐसे सब इंस्पेक्टर लगभग 9 हजार हमें और अतिरिक्त चाहियें हेड कांस्टेबिल लगभग 7 हजार चाहिये यह आवश्यकता है संसाधन हमारे पास हैं नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे तुरन्त इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अजय कुमार पोइया-

मान्यवर, कृष्ण जन्म भूमि धार्मिक स्थलों पर थानों से पुलिस ली जाती है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है एक पुलिस बल का सेल बनायेंगे जिससे थानों में पुलिस बल में कमी न की जाये?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अतिरिक्त पद सृजित करने की स्थिति में नहीं है जैसे ही निर्णय होगा जो भी तरीका भरने का होगा, वह किया जायेगा।

श्री बी0आर0 वर्मा--

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में दशम एवं ग्यारहवें वित्त आयोग का जिक्र आया है। मान्यवर, पश्चिमी उ0प्र0 में पूर्वी उ0प्र0 की अपेक्षाकृत ज्यादा पुलिस बल है तो आपका मानक क्या है कितनी संख्या पर कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल या इंस्पेक्टर होंगे, तो क्या पूरे प्रदेश में समतुल्यता कायम करने का काम करेंगे तथा जो नवसृजित जनपद है उसमें आवश्यकता के अनुरुप पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, 4 प्रश्न माननीय वर्मा जी ने पूंछे। एक तो पूंछा कि इस वक्त कोई पद रिक्त है तो यह पद रिक्त होने की सतत प्रक्रिया है मान लीजिए कि आज कोई रिटायर हो जाता है तो वह पद रिक्त हो जायेगा जैसा मैंने बताया कि 1,88,189 कुल मिलाकर संख्या है उसमें हर महीने कोई न कोई रिटायर भी होगा, कोई दुर्घटना में भी हो सकता है तो जैसे पद रिक्त हो उसको भरने में कोई पाबंदी नही है। यह जो वर्तमान स्थिति है, उसमें वर्तमान स्थिति में कोई भरने में कोई पाबन्दी नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है कि दशम वित्त आयोग में कितने पद का प्रस्ताव किया था और कितने सृजन हुए तो उसमें कोई सृजन नही हुआ और जो सिफारिश हुई थी उसमें कोई सृजन नही हुआ और दूसरी जो वह विचाराधीन है।

तीसरा प्रश्न था कि मानक क्या है तो शहरी जनसंख्या के आधार पर 50 हजार जनसंख्या और ग्रामीण आधार पर 75 हजार की जनसंख्या पर थाने होते हैं। थाने का मानक निर्धारित है कि कितने आदमी हों एक थाने में 2 उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबिल और 14 कांस्टेबिल का मानक है।

चौथा प्रश्न पश्चिम और पूरब में अन्तर है तो यह बात सही हैं कि अगर कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है तो किया जाता है। यह मानक सिविल पुलिस का है और जो अधिकता की बात कह रहे हैं वह आर्म्स पुलिस का है। नवसृजित जनपदों में मानक वही है जो थाने में मौजूद थे, जनसंख्या चली आ रही है, उनकी आवश्यकता को देखते हुए, नवसृजित जनपद को देखते हुए जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री उदय राज यादव--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज जो पुलिस विभाग में दोहरी व्यवस्था लागू है एक तरफ जो कार्यालय है, जो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है या दूसरे कार्यालय हैं वहां जो तैनात हैं उनको 8-9 घंटे कार्य करना पड़ता है और दूसरी तरफ जो थाने कोतवाली हैं वहां पर 24 घंटे डयूटी पर रहना पड़ता है तो क्या नई भर्ती करके जो थाने में, कोतवाली में 24 घंटे काम लिया जाता है क्या उनकी भी समय सीमा 8-9 घंटे निर्धारित करने का काम करेंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को होगी इसके पहले भी इसी प्रश्न पर चर्चा हुई थी। चूंकि वह अतिरिक्त दायित्व निभाते हैं इसलिये सरकार की तरफ से अतिरिक्त वेतन देने की व्यवस्था की गयी है। जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका दायित्व 24 घण्टे का नहीं है उनको वह मानदेय नहीं मिलता जो उनको मिलता है।

श्री मुराद लारी--

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या के आधार पर पुलिस की तैनाती है तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर पुलिस की तैनाती जरुरत से अधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश मे कम है तो क्या माननीय मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बल है उसको हटाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश मे तैनात करेंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आवश्यकतानुसार यह संख्या घटाई बढ़ाई जाती है जो मानक के हिसाब से पद रिक्त है जहां तक सिविल पुलिस बल की तैनाती का सवाल है सिविल पुलिस का मानक निर्धारित है कि 2 सब-इंस्पेक्टर होंगे 11 हेड कांस्टेबिल और 14 कांस्टेबिल होंगे, जनसंख्या है 50 हजार शहरी क्षेत्र में और 75 हजार ग्रामीण क्षेत्र में एरिया 113 मील का है जिसके बारे में निर्धारित है। आप पश्चिम और पूरब की बात कर रहे हैं और जो मानक की बात कर रहे हैं तो इससे अधिक संख्या आर्म्स की है और वह बदलती रहती है।

श्री गोरख नाथ पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पुलिस बल की कमी है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस बल की कमी होने के बावजूद गैर राजनीतिक व्यक्तियों को गनर की व्यवस्था की गई है। जिसकी वजह से पुलिस बल की कमी बढ़ी है, अतः क्या मानक के आधार पर कोई व्यवस्था करेंगे या उनके गनर वापस लेंगे?

श्री हुकुम सिंह--

इस प्रश्न पर बार-बार विचार होता रहता है। राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, निर्णय उनकी आवश्यकता को देखकर लिया जाता है। केवल राजनीतिक आधार पर नहीं लिया जाता है। इस पर विचार बार-बार होता है और विचार के बाद ही निर्णय होता है।

प्रदेश में वर्ष 2000 की हाई स्कूल तथा इण्टर की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत कटौती समाप्त करने की मांग

2- श्री अवधेश प्रसाद

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2000 में होने वाली हाई स्कूल तथा इण्टर की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान समय में भी विद्युत कटौती को समाप्त कर सरकार 16 घण्टे बिजली देने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (ऊर्जा मंत्री)--

वर्ष 2000 की हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षाओं के दृष्टिगत, प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता के अनुसार सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति करने के प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु वर्तमान में विद्युत उपलब्धता एवं मॉग में अन्तर होने के कारण विद्युत की कटौती को पूर्णतया समाप्त करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अवधेश प्रसाद--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रयास किये जा रहे हैं। मैंने प्रश्न कटौती के बारे में और 16 घण्टे बिजली देने के बारे में किया था। आज बिजली जीवन के सभी अंगों में महत्वपूर्ण हो गई है। आज बिजली की अनुपलब्धता के कारण एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, किसानों का खेतों में गेहूं पड़ा है, आग भी लग जा रही है, परीक्षायें आज भी चल रही हैं। यह सरकार किसान विरोधी, गांव विराधी और विद्यार्थी विरोधी है, चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि बिजली की कमी को दूर करने के लिये कौन सा भगीरथ प्रयास किया गया और उसमें कुछ सफलता मिली कि नहीं। दूसरी बात जानना चाहता हूं कि क्या 16 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, जैसा माननीय मुलायम सिंह यादव के समय उपलब्ध थी? उस समय यही पावर हाउस था, यही अधिकारी-कर्मचारी थे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, परसों ऊर्जा विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान इन सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई थी, मैंने हर बात को स्पष्ट किया था। माननीय अवधेश जी शायद उस दिन न रहे हों। परसों की चर्चा यदि हम पढ़ लेंगे तो प्रश्न लगाने की जरुरत नहीं रहती। उपलब्धता और मांग के अनुरुप बिजली की हम सप्लाई देते

हैं। इन्टर, हाईस्कूल की परीक्षायें चल रही थीं, उस समय उद्योगों की 6 घन्टे बिजली काटकर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर पर रात को बिजली दी गई। जो हमारा रोस्टर है, उसके अनुसार हम बराबर बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। अब अवधेश जी ने इतने लोगों की बुराई हम पर डाल दी किसान, दलित, छात्र। आप हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, बाकी अलग से बता दूंगा, सदन में उचित नहीं होगा।

श्री राम जग--

माननीय ऊर्जा मंत्री इस प्रश्न को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हमारे प्रदेश में ज्यादा छात्र ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप शहरों में छात्रों के लिये बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, उसी प्रकार ग्रामीण अंचलों में, चाहे दूसरे प्रदेश से खरीदकर या कहीं से कटौती करके 16 घन्टे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे? जिनको आप वी0आई0पी0 एरिया मान रहे हैं, क्या उन क्षेत्रों से विद्युत की कटौती करके ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

हम पहले बता चुके हैं कि ब्लाक स्तर पर, जिला मुख्यालय पर, कमिश्नरी पर हमारा विद्युत का रोस्टर है। मन्यवर, गांव में हमें मात्र 52 रुपये ही मिलता है और जिस तरह से विद्युत की दर बढ़ती जा रही है उस दर पर उससे ज्यादा आपूर्ति सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य अगर प्रस्ताव रखें कि दर बढ़ायी जाए, मीटरिंग की जाए तो हम विद्युत बाहर से खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

डा0 सरजीत सिंह डंग--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि 16 घण्टे पर विचार करेंगे कि नहीं, मान्यवर, उत्तर है कि विद्युत की कटौती को पूर्णतया समाप्त करना सम्भव नहीं है, बहुत स्पेशफिक सवाल है कि 16 घण्टे पर विचार करेंगे कि नहीं। मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि छात्रों के पूरे वर्ष का परिश्रम उसका फल उनको इसी समय परीक्षा के माध्यम से मिलेगा और उनको पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त समय में विद्युत का प्रबन्ध नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है एक अंधेरा और दूसरे गर्मी, दोनों के कारण अगर वर्ष भर परिश्रम किया है तो भी उसका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। जब से परीक्षाएं शुरू हुई है और चल रही हैं तब तक आप कितने घण्टे बिजली का वितरण और अधिक आप करायेंगे या सुनिश्चित करेंगे? यह बता दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमान् डंग जी को, चूँकि अल्पसूचित पहले शुरू हो रहे हैं इससे पहले 12 बजे के बाद शुरू होते थे, डंग जी के प्रश्न का उत्तर बहुत साफ हैं।16 घंटे के लिए पूछा हमने लिखा दिया प्रश्न नहीं उठता हमने पहले ही बताया कि हमने 6 घण्टे उद्योगों से कटौती कर वहाँ पर विद्युत दी जिससे छात्र पढ़ सके। हम जो कर सकते थे, वह किया। अब यह हैं कि 16 घण्टे गाँव को देने की बात पर विचार करें हमने लिख दिया, सम्भव नहीं है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मंत्री जी ने एक विशेष समय का नाम लिया अपने उत्तर में। नरेश जो पहले ही अहंकार से भरे रहते हैं, 24 घण्टे उनके वही बजे रहते हैं जो बजे रहने चाहिए और उसी का एक उदाहरण मंत्री जी ने दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उस समय सर्वाधिक प्रकाश रहता है दिन में।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ परसों जब चर्चा हुई थी, तब मैंने, एक संवाल रखा था, अपने कटौती के प्रस्ताव में कि यदि प्रदेश को 24 घण्टे बिजली दी जाए तो कितनी बिजली की

आवश्यकता है और इस समय डिमाण्ड और सप्लाई का कितना अन्तर है और 24 घण्टे बिजली देने के लिए प्रदेश में क्या आपकी कोई योजना है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, मैंने, जब कुँवर साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा था हमने जवाब में एक-एक चीज आपके सामने रखी थी, आप ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। यह भी बताया कि कौन प्रोजेक्ट कब लेने की बात है। कितनी हम बिजली ले रहे हैं। मैंने जो तीन कारपोरेशन बनाये हैं, उनकी भविष्य की योजना क्या है, एक एक बिन्दु पर प्रकाश डाल दिया है और कुँवर साहब संतुष्ट थे। अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष के दबाव में नहीं ले पाये, उन्होंने खुद कहा। इसमें कुँवर साहब को राय [illegible] है, हम सदन को बता चुके हैं।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मेरे नालेज की बात नहीं है। पूरा सदन और पूरा प्रदेश जानना चाहता है यह बात कि माननीय मंत्री जी के पास कोई कार्य योजना है? जो तापीय विद्युत, जलीय विद्युत गृह लग रहे हैं, तो कब तक प्रदेश को 24 घण्टे बिजली देंगे, यह बता दें?

श्री नरेश चान्द्र अग्रवाल-

वैसे तो सदन को इस संबंध में बताया था लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ओवरा के लिये सबसे पहले व्यवस्था कर रहे हैं इसके लिये बिडिंग हो गयी है और पी0 एफ0 सी0 ने लोन स्वीकार कर लिया है। 15 तारीख को केन्द्रीय उर्जा मंत्री के साथ बैठक होनी है। विष्णु प्रयाग योजना के लिये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत में या अगले महीने में शिलान्यास कर दें। टिहरी योजना के बारे में मैंने बताया था। इसी तरह से रोजा और श्रीनगर योजना के बारे में बताया था। इन योजनाओं के शुरू होने के 3-5 साल बाद स्थिति ठीक होगी। इस सूमय विद्युत चोरी को रोक कर राजस्व में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं ताकि सेंटल सेक्टर से ज्यादा से ज्यादा बिजली लें और प्रदेश को ऊर्जा उपलब्ध करा सकें।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्वर, ग्रामीण अंचलों में खंभे सड़ गये हैं और तार टूटे हुये हैं जिससे कभी-कभी जानवर और आदमी दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं। तो क्या जो खंभे सड़ गये हैं उनको बदला जायगा और तार को ठीक कराया जायेगा और इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठाने की कृपा करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह देवर भाभी के बीच का मामला बैठ रहा है, मैं गौरी देवी को बुला लूंगा जहां के बारे में स्पेसिफिक बतायेंगी उसको ठीक करा दूंगा।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर हमारे यहां पिपरौली गांव नेरिया में 2 हरिजनों के बच्चे जा रहे थे तार गिरा था उससे जलकर मर गये। क्या इस संबंध में अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। वहां पर सिन्हा जे0 ई0 16 से जमा हुआ है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष-- इनकी शिकायत की संज्ञान ले लिजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

प्रश्न प्रहर के बाद उनसे सूचना ले लूंगा और कार्यवाही करुंगा।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएड की परीक्षायें समाप्त होने पर हैं इस साल बिजली का संकट परीक्षार्थियों ने उठाया हैं। क्या अगले साल के लिये सुनिश्चित किया जायगा और अभी से कार्यवाही करेगें ताकि अगले साल विद्यार्थियों को परीक्षा के समय पर बिजली मिल सके?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रयास कर रहे हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, अभी प्रदेश में डिग्री कालेजों और यूनीवर्सिटीज की परीक्षायें चल रही हैं और बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। मेरे यहां मसौधा उपकेन्द्र से 5 मिनट के लिये भी बिजली नहीं दी गयी है। परीक्षाओं को, किसानों की मड़ाई को देखते हुये क्या 16 घंटे बिजली देने पर विचार करें अगर नहीं कर सकते हैं तो यह विभाग कब इस स्थिति में हो सकेगा कि वह 16 घंटे बिजली दे सके?

श्री अध्यक्ष-

वैसे तो उत्तर आ गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, हर चीज को हमने बिस्तार से बता दिया है। अगर कुछ स्पैसिफिक मालूम करना चाहेंगे तो मैं बता दूँगा।

तारांकित प्रश्न

1-श्री राजधारी-

[मंत्रि परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद की विद्युत इकाइयों द्वारा विद्युत उत्पादन तथा विद्युत सप्लाई से प्राप्त धनराशि एवं प्रतिवर्ष होने वाली हानि की जानकारी

2-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् की विभिन्न विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा वर्तमान समय में कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और उसका बाजार मूल्य कितना है तथा वास्तव में वितरित की गयी विद्युत सप्लाई से कितनी धनराशि प्रतिवर्ष प्राप्त होती है और प्रतिवर्ष होने वाली हानि कितनी है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के बाद उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय विद्युत गृहों से लगभग 1517 मि0 यू0 प्रतिमाह औसत उत्पादन किया जा रहा है जिसका मूल्य लगभग रू0 206 करोड़ प्रतिमाह है। जल विद्युत निगम से औसत उत्पादन लगभग 400 मि0 यू0 हो रहा है तथा इसका मूल्य लगभग 14 करोड़ रूपये है।

राजस्व वसूली का विवरण वर्षवार निम्नवत है :-

1995-96	3472	करोड़
96-97	3603	,,
97-98	4317	,,
98-99	4774	,,
99-2000	53275	,,

वर्षवार वाणिज्यक घाटा निम्नवत रहा है:-

1995-96	149430 करोड़
96-97	1385.51 ,,
97-98	1547.26 ,,
98-99	1746.36 ,,
99-2000	लेखे तैयार नही है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने ऑकड़ों से जो कुछ स्पष्ट किया है उससे उत्पादन और खर्च में बहुत अन्तर दिखाया है। एन0 टी0 पी0 सी0 का जिक्र आपने नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि जो प्रति वर्ष हानि हो रही है और निरन्तर हानि बढ़ती जा रही है उसको बढ़ाने के लिए तथा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री की क्या कार्य योजना है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, जो परिषद् की बैलेन्स शीट में उस बेलेंस शीट में रूरल सप्लाई की सब्सिडी नहीं मिल रही है जो परिषद् अपने पास से दे रहा है, वह घाटे का मुख्य कारण है। वैसे राज्य सरकार और परिषद् में सदैव विवाद रहा है कि गॉवों में कितनी प्रतिशत बिजली जाती है। टैरिफ रिवाइज करने की बात थी। अब नियामक आयोग को यह अधिकार मिल गया है और हमने टैरिफ तैयार भी किया है। जो सुधार विधेयक लाये हैं-3-4 साल के बाद हमारा जो पावर कारपोरेशन है वह फायदे में आना शुरू होगा तब तक जो घाटा है वह सरकार से लेकर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारा प्लान है।

श्री केशो मेहरा-

माननीय अध्यक्ष जी से मूल प्रश्न यह पूछा गया था कि जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसका बाजार मूल्य कितना है? उत्पादन मूल्य आपने नही बताया, बाजार मूल्य दिया है। तापीय का 206 करोड़ और जलीय विद्युत का 14 करोड़ कुल 220 करोड़ रूपया प्रतिमाह बाजार मूल्य है इस प्रकार से वार्षिक बाजार मूल्य है इस प्रकार से वार्षिक बाजार मूल्य 2540 करोड़ वार्षिक है। जो आपने राजस्व वसूली का विवरण दिखाया है उसमें 1995-96 में 3472 करोड़ रूपये प्राप्त हुये और आपका 1494 करोड़ रूपया घाटा हो गया आपको बाजार मूल्य से अधिक मिल रहा है, फिर भी घाटा हो गया। इसी तरह से 1996-97 में 3603 करोड़ रूपया मिला और आपको 1385 करोड़ रूपये का घाटा हो गया। 1997-98 में 4317 करोड़ रूपया मिला घाटा 1547 करोड़ का हुआ। 1998-99 में आपको 4774 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ यानि आपको 2200 करोड़ रूपये अधिक मिले उसके बाद भी घाटा 1746 करोड़ करोड़ का हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि जो एवरेज कास्ट है वह 1.42 पैसे प्रति यूनिट है और कन्जूमर एण्ड पर 2.45 पैसे प्रति यूनिट पड़ता है। हम लाइट एण्ड फैन 1.80 प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं यानि 70 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दे रहे हैं। माननीय सदस्य को ज्ञान नहीं होगा एन0 टी0 पी0 सी0 से बिजली खरीदते हैं, कोयले का पैसा, तेल का पैसा देते हैं, ओयनम भी पड़ता है। इसी वजह से राजस्व में अन्तर आता है और यही कमी का मुख्य कारण है।

प्रदेश में भू-स्तरीय जल (सरफेस वाटर) का पेयजल के रूप में उपयोग का प्रतिशत बढ़ाने के सम्बन्ध में जानकारी

*3-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में भू-स्तरीय जल (सरफेस वाटर) का कितना प्रतिशत पेयजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? भूगर्भ जल का दोहन पेयजल के रूप में अधिक करने की क्या उपयोगिता है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हैं? क्या भू-स्तरीय जल का पेयजल रूप में उपयोग का प्रतिशत बढ़ाने पर शासन विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)-

प्रदेश में उपलब्ध भूस्तरीय जल (सरफेस वाटर) का 0.26 प्रतिशत पेयजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

भूस्तरीय जल की अपेक्षित मात्रा में वर्ष भूगर्भ जल की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होने तथा कच्चे जल को पेयजल के रूप में शोधित करने आदि में निहित वित्तीय उपाशय के दृष्टिगत भूगर्भ जल को पेयजल के रूप में प्रयोग करने को प्राथमिकता दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, प्रदेश के भविष्य के बारे में चिन्तन करते हुए मैंने यह प्रश्न पूछा था। मेरे प्रश्न के दूसरे भाग की अन्तिम दो पंक्तियों क्या भूस्तरीय जल का पेयजल रूप में उपयोग का प्रतिशत बढ़ाने पर शासन विचार करेगा? इस सम्बन्ध में मुझे खेद है कि या तो जानबुझकर इस प्रश्न का उत्तर देने से कोताही की गई या किसी का ध्यान इस पर नहीं पड़ा। अभी भी माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दें। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भूगर्भ जल की कितनी मात्रा प्रदेश में उपलब्ध है। वह मोटे तौर पर कितने वर्षो के लिए पेयजल के रूप में पर्याप्त होगा, बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए। यह सही है कि प्रकृति का यह सही है कि प्रकृति का यह स्रोत असीमित नहीं है उसके समाप्त होने की अपेक्षा में शासन ने क्या नीति और योजना इस संदर्भ में बनाई?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आज 161.7 अरब घन मी0 पेयजल व 72.2 अरब घन मीटर भूगर्भ जल उपलब्ध है। पेयजल के लिए आवश्यक होता है 1.7 अरब घन मी0 शहरी क्षेत्र में 2.6 अरब घन मीटर ग्रामीण क्षेत्र में।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

यह कितने वर्षों तक चलेगा। यह सीमित है इसको दृष्टिगत रखते हुए भविष्य के लिए क्या योजना है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरफेस वाटर का अधिकाधिक प्रयोग किए बिना हम आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। रिचार्जिग के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है।

श्री सतीश महाना-

जो सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है वह अपनी जगह है। सरकार की प्राथमिकता भूस्तरीय जल के अधिकाधिक उपयोग करने की है। इसके लिए नदियों के किनारे जो बड़ी संख्या में शहर बसे हैं वहां बैराज का निर्माण कर रहे हैं जैसे गोकुल बैराज, कानपुर में गंगा बैराज, आगरा में आगरा बैराज का निर्माण कर रहे हैं। भूस्तरीय जल का जितना अधिक उपयोग कर सकते हैं वह निश्चित रूप से प्राथमिकता है। परन्तु इसके लिए साधन की उपलब्धता नदियों के किनारे बसे नगरीय क्षेत्र का अनुपात आदि पर विचार करना पड़ता है। (इस समय 11.00 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ला पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी, डंग साहब की चिन्ता यह है भूगर्भ जल का अधिकाधिक दोहन करने से वह नीचे जा रहा है अगर रिचार्जिग की व्यवस्था नहीं होगी तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या बन सकती है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मेरा प्रश्न यह है कि जो भूगर्भ जल है वह मोटे तौर पर कितने वर्षो तक चलेगा क्योंकि गहराई बढ़ती जा रही है। इस बात को दृश्टिगत रखते हुए क्या कोई योजना बनाई जायेगी इस भयंकर संकट को देखते हुए यह कहा गया है कि तृतीय विश्वयुद्ध पेयजल के लिए होगा।

श्री सतीश महाना-

भूगर्भ जल स्तर तो बारिश के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। यह पता लगाना मुश्किल है कि कितने वर्षो तक पानी उपलब्ध रह पायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यदि ऑकड़े हों तो बता दें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या इस पर शोध कराकर यह संसूचित व सुनिश्चित करेंगे कि कितने वर्षो तक यह पानी उपलब्ध रह पायेगा?

श्री सतीश महाना-

इस पर विचार किया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, भूगर्भ का अत्यधिक दोहन के कारण जो चिंता माननीय डंग साहब ने प्रस्तुत की है तो भूस्तरीय जल को बनाये रखने के लिए मंत्री जी कोई योजना तैयार करेंगे? जिससे जल का संकलन किया जा सकें।

श्री अधिष्ठाता-

यह सिंचाई विभाग से संबंधित है। क्या माननीय मंत्री जी से मिलकर कोई योजना तैयार करेंगे?

श्री सतीश महाना-

हमारी इस विषय पर प्राथमिकता है। बैराज का निर्माण उनके जिम्मे हैं। मैं वर्माजी को बताना चाहता हूँ कि हम 64 नगरों में भूस्तरीय जल दे रहे है जो वर्तमान योजना है उसमें 25-26 नगरों को देंगे।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि भूस्तरीय जल के संकलन पर बल देंगे मैं जानना चाहता हूँ कि प्रस्तुत होने वाले बजट में जो प्राविधान किया गया है उसके अनुसार .26 प्रतिशत से बढ़कर कितना हो जायेगा?

श्री सतीश महाना-

जो योजना है उसमें 484.2 एल0 एम0 डी0 पानी की क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रदेश में विद्युत लाइनों की गड़बड़ी के कारण मृत्यु की घटनाओं में हो रही वृद्धि की रोकथाम हेतु कार्य योजना एवं आश्रितों को अनुदान में बढ़ोतरी किये जाने की मांग प्रदेश में विद्युत लाइनो की गड़बड़ी के कारण मृत्यु की घटनाओं में हो रही वृद्धि की रोकथाम हेतु कार्ययोजना एवं आश्रितों को अनुदान में बढ़ोत्तरी किये जाने की मांग।

4-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत लाइनों की गड़बड़ी के कारण प्रदेश में मृत्यु की घटनाओं में हो रही वृद्धि की रोकथाम हेतु क्या सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है? क्या सरकार उक्त घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति/अनुदान की राशि में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही हैं यदि हॉ, तो वह क्या हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विद्युतीय दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से लाइनों के रखरखाव, पेट्रोलिंग, सुरक्षा उपकरणो के प्रयोग आदि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती परिषद द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं यह व्यवस्था उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में यथावत विद्युत दुर्घटनाओं में मृत बाहरी व्यक्तियों को अनुग्रह धनराशि के रूप रूपये दस हजार की अनुमन्यता पूर्ववर्ती परिषदाज्ञा सं0 1890-ई0 ए0/राविप/92, दिनांक 26.9.92 द्वारा की गई थी। उक्त धनराशि को आदेश संख्या 2060-आ0-सं0-18-96 दिनांक 20.7.96 द्वारा बढ़ाकर रूपये बीस हजार किया जा चुका है। उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 सम्प्रति और वृद्धि किया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

रामऔतार शाक्य-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने इस प्रश्न के माध्यम से विद्युत लाइनों की गड़बड़ी के कारण जो सम्पत्ति नष्ट हो जाती है और ऊर्जा मंत्री ने स्वीकार किया है कि लाइन लॉस के कारण 40 प्रतिशत विद्युत नष्ट हो जाती है। और मान्यवर इस लाइन लॉस के कारण अनेको मृत्यु भी होती है जिस पर अनुग्रह राशि भी सरकार को देनी पड़ती है। तो में जानना चाहता हूँ कि इस समस्या से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना अबतक क्यों नहीं बनाई गई?

सदन में सेल्यूलर फोन बजने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर भी अधिष्ठाता का निर्णय

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सेल्यूर फोन जो सदन में बजते हैं, उसके बारे पहले भी निर्देश दिये जा चुके हैं कि उन्हें जब्त कर लिया जायेगा। सदन चल रहा है और सेल्यूलर फोन बज रहे हैं तो क्या इन सेल्यूलर फोन बज रहे हैं तो क्या इन सेल्यूलर फोन्स को आप जब्त करने की कार्यवाही करेंगे?

श्री अधिष्ठाता-

पीठ द्वारा इस बारे में कई बार व्यवस्था दी जा चुकी है और सामान्य रूप से इसमें स्वयं अनुशासन की आवश्यकता है। पहले तो सेल्यूलर फोन न लाये और अगर ले आते हैं तो सदन में नहीं बजना चाहिए। आगे जब भी किसी का सेल्यूलर फोन बजेगा तो उसे जब्त कर लिया जायेगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो मृत्यु हो रही है, उसके बारे में आपने अनुग्रह धनराशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दी है। माननीय मंत्री जी इतना बता दें कि 1998-99 तथा 1999-2000 में सरकार को कितना नुकसान हुआ और कितनी मौतें हुई?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, 1998-99 में 901 लोगों की मृत्यु हुई और 1999-2000 में 701 लागों की मृत्यु हुई। 1998-99 में 122.22 लाख रूपये विभागीय लोगों को और 15.08 लाख रूपए बाहर के लागों को देना पड़ा सन् 2000 में दिये गये धनराशि के ऑकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है। इसका आप नुकसान के रूप में न लें।

जान जाने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। प्रयास यह किया जा रहा है कि जहां पर लाइनें जर-जर हो गई हैं, वहां पर हम स्थिति को ठीक करें। इसमें एक ही विभाग की गलती नहीं है। इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे ठीक किया जाय।

महानगरों में संचालित आश्रय योजनान्तर्गत आवास विहीन व्यक्तियों को आवास देने के लक्ष्य में हुई प्रगति की जानकारी

'5-कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों में संचालित आश्रय योजना के अंतर्गत आवास विहीन व्यक्तियों को आवास देने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

श्री सतीश महाना-

आश्रय योजनान्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 40,000 भवन निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया था।

माह मार्च, 2000 तक 7314 आश्रय उपलब्ध थे जो लक्ष्य का 18.29 % है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने व्यक्तियों को आपने चिन्हित किया है जो महानगर हैं, उनमें कहां-कहां पर आपने कितने आवासीय भवन बनाये हैं। क्योंकि आपने स्वयं उत्तर में स्वीकार किया है कि लक्ष्य का हम केवल 18 प्रतिशत ही पूरा कर पाये हैं, इसलिये आने वाले वर्षों में कब तक जितने आश्रय-विहीन लोग हैं, उनको भवन उपलब्ध करा देंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरे पास इसकी विस्तृत सूची है। यदि आप कहें तों मैं इसे पढ़ देता हूं। वैसे लखनऊ में 4000, कानपुर में 4500, गाजियाबाद में 4000, इलाहाबाद में 2500, आगरा में 2500 तथा बरेली में 1000 है। आश्रय विहीन सुधार योजना के अन्तर्गत जो भवन बनाये जाते हैं, इसका एक उद्देश्य था...

जो लोग सड़कों के किनारे पड़ हैं अतिक्रमण जिस समय चलता है उनको उस समय वहां से हटाया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितने लोग चयनित किये गये और उनको कब तक आवास दे दिया जायेगा।

श्री सतीश महाना-

कितने लोग पात्रता श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं यह तो तब ही बता पाते हैं जब जो लोग सड़कों के किनारे सरकारी जमीन पर रह रहे हों और अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत उन्हें हटाया जाता है। उनको प्राथमिकता के आधार पर आश्रय योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है। यह 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने की बात थी। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं हैं जिसके लिये कुछ और मानक निर्धारित है। आश्रय विहीन लोगों को इस योजना के अन्तर्गत विस्थापित किया गया और मकान दिये गये।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय मंत्री जी ने यह तो नहीं बताया कि कितना लक्ष्य था? कितनों को चिन्हित किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 18.29 उपलब्धि होने का क्या कारण है? धन उपलब्ध नहीं था या लाभार्थी लेने को तैयार नहीं थे या महानगर निगम द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई या जो कार्य संस्थान थे वे कार्य पूरा नहीं करा सके? इतना माननीय मंत्री जी बता दें दुसरा प्रश्न यह है कि वहाँ आश्रम विहीन योजना के अन्तर्गत मकान दिये जाने थे उन मकानों की किश्त प्रति माह थी या प्रतिदिन थी कुल मिलाकर किश्त कितने की थी?

सतीश महाना-

मान्यवर, तीन श्रेणियों में मकान दिये गये। 5 रूपये, 10 रुपये, 15 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से। इस बात की छूट थी कि जो प्रतिदिन न देना चाहें वे प्रतिमाह के हिसाब से दे दें। इस वित्तीय वर्ष में कम लक्ष्य का कारण था कि 97-98 और 98-99 में जो मकान उपलब्ध कराये गये थे उन सबका आवंटन नहीं हो सका था इसलिये उपलब्धता अधिक थी और लक्ष्य कम हुआ। इसके अलावा दूसरे और कारण भी रहे हैं जैसा कि अम्बरीष जी ने बताया है कभी नगर निगम ने भूमि नहीं दी, कभी लाभार्थी लेने को तैयार नहीं और कार्यकारी संस्था ने मकान बनाकर नहीं दिये। अभी मकान उपलब्ध है इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अशोक बाजपेई-

मान्यवर, में आपके माध्यम से माननीय से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आश्रय विहीन योजना के अन्तर्गत महानगरों में रहने वाले लोगों को आवास कितने वर्षों में शत प्रतिशत आच्छादित कर लिया जायेगा। लक्ष्य प्राप्त करने की आपने क्या योजना बनाई है उनको चिन्हित करके कब तक आवास उपलब्ध करा देंगे?

श्री सतीश महाना-

मैंने निवेदन पहले ही किया कि विभिन्न योजनाएं महानगरों में आवास की हैं। जो लोग बिना आवास के रह रहे हैं व उसमें आवेदन करके निर्धारित मानक के अनुसार आवास प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन स्कीमों में आवेदन करते हैं प्राथमिकता होती है कि उनको आवास उपलब्ध कर दिये जायं। उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि आश्रय विहीन योजना के अन्तर्गत हमारे पास आवास उपलब्ध हैं इसलिये अभी और आवास बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आवास उपलब्ध होने के क्या कारण है? या तो यह है कि आवास ठीक ढंग से नहीं बने, लाभार्थियों की सूची सही तरीके से नहीं बनाई गई उनके अनुरुप मकान नहीं बनाये गये। लाभार्थियों ने आवेदन किया और लिये नहीं। अगर सूची नहीं बनाई गई थी तो किस आधार पर मकान बनाये गये?

श्री सतीश महाना-

इसके पीछे कुछ कारण हैं। कुछ लोग शहरों में सड़क के किनारे रह रहे हैं जिस समय अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत उन्हें हटाया जाता है तो उनके लिये आश्रय सुधार योजना के अन्तर्गत मकान बने हैं वे उपलब्ध कराये जाते हैं। आउटर सिटी में भूमि उपलब्ध है वहीं यह मकान बनाते हैं।

जो लोग यहां पर रह रहे हैं वह भी वहां जाने में कठिनाई महसूस करते हैं एक यह भी कारण हो सकता है जैसा अम्बरीष जी ने कहा हो सकता है दूर जाने में इंस्टेस्टेड न हों। हमने बताया है कि मकान की मिल्कियत उनकी हो जाएगी, अभियान चलाकर काफी लोगों को हटाया गया है, आगे भी अभियान चलाकर काफी लोगों को हटाया गया है, आगे भी अभियान के रुप में यह योजना जबर्दस्त चलाने वाले है।

श्री राजाराम पाल-

महानगरों में 20-25 साल से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग किसी नाले के किनारे या नजूल की भूमि पर 25-30 साल से काबिज है उनको सामूहिक रुप से उजाड़कर खुले आसमान के नीचे, तेज धूप,बरसात और कड़ी ठंड में उनको छोड़ दिया गया है ऐसे लोगों को आश्रय योजना के तहतआवास का आवंटन करने का कष्ट करें ऐसे बस्तियों को चिन्हित करक जब तक आरय न दें उनकों उजाड़ने का काम न करे।

श्री सतीश महाना-

मैने निवेदन किया जो लोग रह रहे हैं वह किसी जाति के नहीं हैं गरीब और असहाय होना ही उनकी जाति है हमारी प्राथमिकता है कि उनको सीधे हटाकर मकानों में ही भेजा जाए। अगर माननीय सदस्य की जानकारी में हो कि किसी को आश्रय योजना में मकान नहीं दिए गए और उनको हटा दिया गया तो उसको दिखवा लेंगे।

जनपद पिथौराढ़ के मनुस्यारी व धारचूला क्षेत्र में पायी जाने वाली बहुपयोगी जड़ी-बूटी जम्बू व गन्दरायण के विकास हेतु नर्सरी बनाये जाने की मांग

'6- श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ जनपद के ऊंचाई वाले मनुस्यारी व धारचूला के हिमालय क्षेत्र [illegible] "जम्बू" व "गन्दरायण" प्रचुर मात्रा में पायी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बहुउपयोगी जड़ी-बूटियों के विकास व उक्त क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिये जाने हेतु उन्नतशील नर्सरी बनाये जाने हेतु सर्वेक्षण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री मातबर सिंह कण्डारी)-

जी हां।

जी हां।

वर्षा ऋतु में।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जड़ी-बूटी को व्यवसायिक दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए जड़ी बूटी की कृषि करने के लिए क्या सरकार कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रही है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तरांचल में जड़ी बूटी के कृषिकरण की योजना बन रहा है और इसको विकसित करने के लिए चमोली में गोपेश्वर में एक मंडल स्थान है वहां व्यवस्था की जा रही है वहां पर जड़ी बूटी का शोध विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसी मण्डल में 710 नाली जमीन ले रहे हैं जहां इसका विकास करेंगे। उत्तरांचल के 12 जनपद में जड़ी बूटी का कृषिकरण करेंगे ताकि बहूमूल्य जड़ी बूटी का उत्पाद किया जा सके।

*7-श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[दिनांक 28.4.2000 को ता0 प्र0सं0-13 द्वारा उत्तरित]

*8-श्री बी0आर0 वर्मा-

(8 वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

प्रदेश में किसानों के 10 हार्स पावर मोटर वाले सिंचाई नलकूपों पर न्यूनतम चार्ज की वसूली समाप्त किये जाने की मांग

*9-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या किसानों के 10 हार्स मोटर वाले सिंचाई नलकूपों पर न्यूनतम चार्ज की वसूली समाप्त करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की परियोजनाओं पर किये गये पूंजीगत निवेश के ब्याज व अधिष्ठान आदि पर किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस तथ्य से अवगत है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पर 80 फीसदी लोग निर्भर रहते हैं। सिंचाई के लिए विद्युत की बहुत आवश्यकता होती है। आज किसानों हालत बहुत खराब है जिस तरह से पंजाब मध्य प्रदेश ने अपने किसानों की हालत को सुधारने के लिए, खेती में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए फसल का उत्पादन अधिक हो किसानों की 10 हार्स पावर की मशीनों की बिजली माफ की है क्या आप भी 10 हार्स पावर बिजली माफ करने का कष्ट करेंगे तो प्रदेश के किसानों के हित में क्या मंत्री जी फैसला लेने के लिए तैयार हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रदेश के किसानों के हित में 40 रुपये प्रति हार्स प्रति माह चार्ज रखा गया है। मान्यवर, किसानों को आज विद्युत जिस दर पर दे रहे हैं और शहर के नजदीक ट्यूबवेलों की जो दर है यदि उसको लगा दें तो एक घण्टा उपयोग करने पर जो चार्ज लिया जाय वह पूरा हो जायेगा। इसलिए हम और कोई विचार नहीं कर रहे हैं और जो रेट दे रहे हैं वही रेट किसानों से ले रहे हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मैं जानना चाहता हूं जो न्यूनतम चार्ज आपने तय किया है एक हार्स पर 8 घण्टे की आपूर्ति है तो उस पर न्यूनतम व्यय कितना आयेगा? उस न्यूनतम व्यय को तय करने के लिए कौन-कौन आधार है? मेरी जानकारी है जो न्यूनतम चार्ज ले रहे हैं उसमें भी किसानों से मुनाफा ले रहे हैं, इसलिए क्या मंत्री जी किसानों को निःशुल्क विद्युत देने में पहल करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि किसानों से बिजली में मुनाफा ले रहे हैं तो यह गलत है। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि एक हार्स पावर पर एक घण्टा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो शहर के नजदीक जो ट्यूबवेल है उनसे 2.10 रुपये प्रति घण्टा प्रति हार्स दर आयेगी लेकिन जो किसानों से ले रहे हैं वह सबिसडाइज्ड रेट 0.55 पैसे प्रति हार्स पावर प्रति घण्टे है। मान्यवर, सब्सिडी जिस हिसाब से किसानों को दे रहे हैं उसके अनुसार सरकार धन उपलब्ध नहीं करा रही है जिसके कारण घाटा हो रहा है इसलिए विद्युत आपूर्ति के घण्टे कम करना पड़ा। इसलिए इस स्तर को रखा गया है।

श्री लालजी वर्मा-

क्या मंत्री जी ने इस बात का सर्वे कराया है कि एक निजी नलकूप का मोटर साल में कितने दिनों तक सिंचाई के लिए चलाया जाता है? क्या न्यूनतम चार्ज जो आप ले रहे हैं वह निर्धारित घण्टों के हिसाब से है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया है कि कितने घण्टे बिजली इस्तेमाल करने पर क्या रेट आता है?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विभाग ने किसानों को बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में जो घण्टे निर्धारित कर दिया है कि प्रति दिन मोटर इतने घण्टे चलेगा जबकि सिंचाई का एक निश्चित समय होता है जैसे गेहूं की 3-4 सिंचाई होती है और धान में सिंचाई की अक्सर जरुरत ही नहीं पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि पूरे वर्ष में जो यह विद्युत आपूर्ति किसानों के लिए की जाती है, उसने अधिकतम अगर खर्च किया है 12 महीनों का जोड़ दिया जाय तो एक महीने का खर्चा होगा और वह 12 महीने बिजली का पैसा दे रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 12 महीने जरुरत नहीं पड़ती अगर घंटे निर्धारित किये जायें तो 30 दिनों का खर्चा नहीं आता है तो क्या इस बात को ध्यान रखते हुए फ्री बिजली देने की कृपा करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, वर्षाकाल में तीन महीने किसान बिजली का उपयोग नहीं करते हैं और जिन दिनों कटौती करते हैं उन दिनों किसान उपयोग नहीं करते हैं तो उस समय में मिनिमम चार्ज वसूली करने का कौन सा औचित्य है जि महीने में उपयोग नहीं किया जाता है। तो इन तीन महीने नि:शुल्क करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मौसम किस परिस्थिति पर जाय न इन्हें मालूम है और न हमकों मालूम है। न ही यह सर्वे हुआ है कि किसान कितने घंटे बिजली का उपयोग करता है। ऐसा नहीं है कि बरसात में वर्षा हो ही। कभी सूखा पड़ता है तो ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। तो यह काल्पनिक प्रश्न है और इसका हम क्या जवाब दें।

इण्डिया मार्का-2 हैन्डपम्पों के अधिष्ठान के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित नीति व वर्तमान शासनादेशों का विवरण

*10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठान के संबंध में शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो वह क्या है?, क्या सरकार तत्सम्बन्धी वर्तमान शासनादेशों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रति 250-300 जन संख्या पर एक इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 1498/38-5-99-656/99, दिनांक 16.6.99 तथा 3291/38-5-99-656-98 दिनांक 6.8.99 समस्त संबंधितों को परिचालित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम के माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें अधिष्ठापन हेतु स्थल चयन हेतु जो शासनादेश निर्गत हुए हैं उसमें वर्तमान व्यवस्था क्या है, क्या उसके अधिष्ठापन और चयन में विधायकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है और धनराशि जनपद में आती है। उसके अधिष्ठान में हम विधायकों की सहमति और सुझाव पर प्राथमिकता सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहीं?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह अलग-अलग दोनों स्थानों के बारे में पूछा है। शहरी क्षेत्र में जो नलकूप हैं लोकल बाडीज के सुझावों के अनुसार लगाया जाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को स्वायत्ता दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम समिति होती है उनके अनुसार स्थल चयन किया जाता है। जो 50 हैण्ड पम्प है वह विधायकों की सहमति पर लगाये जाते हैं। अलग-अलग निर्धारित मानक है जो ग्राम समितियों और लोकल बाडीज के माध्यम से लगाया जाता है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मायवर, क्या ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर हैंड पम्प लगाये जाने की नीति है कि या नहीं? यदि है तो कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पिछले शुक्रवार को ही मैंने यह सदन को बताया था कि 20-25 जो नगरीय क्षेत्र के विधायक हैं उनको यह सुविधा उपलब्ध करायी जाय, हमारी फाइल वित्त विभाग में गयी है, अपेक्षा है कि जल्दी वहां पर कार्यवाही हो जैसे ही फाइल आ जायेगी पैसा दिया जायेगा, प्राथमिकता पर करेंगे।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, इंडिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के क्या मानक हैं नगरीय क्षेत्रों में क्या उनकी पूरी तरह से पालन हो रहा है अगर जहां पालन नहीं करते हैं तो वहां ऐसे दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री अधिष्ठाता-

इसमें मानक दिया 250-300 जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प का।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसकी जानकारी की जायेगी जहां उसका पालन नहीं हो रहा है निश्चित रुप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि ग्राम पंचायत जिला पंचायत भी एक सदन है तो इस प्रदेश की जो यह पंचायत है सदस्यों को यह देने में क्या कठिनाई अनुभव कर रहे हैं कि उनकी सहभागिता इस कार्य में वह क्यों नहीं लेना चाहते हैं क्या उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने पर विचार करेंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हमारी समान नीति है वह माननीय सदस्यों में ला दी है। माननीय विधायकों के परामर्श से 50 हैण्डपम्प, उसके अलावा अभी नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, 250-300 की जनसंख्या यह वर्ष 1991 की जनसंख्या पर आधरित है, कोई ऐसी कार्य योजना बना रहे हैं कि बढ़ी हुई आबादी के प्रतिशत पर हैण्ड पम्प लगाना सुनिश्चित करें? मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे दें।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, अभी वैसा माननीय शाक्य जी पूंछ रहे थे यह बात सही है कि 91 की जनसंख्या 250 पर रहेगा लेकिन जैसे जैसे विकास होता जा रहा है प्रति व्यक्ति पानी की खपत बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए क्या वह 250 की जनसंख्या पर रखना उचित है? क्या इसको कम करने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो मानक है उसके अनुसार जनसंख्या बढ़ती जायेगी तो उसी तरह से हैण्डपम्पों की संख्या बढ़ती जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वाकआउट करने का कारण क्या है?

(तारांकित प्रश्न संख्या 11 पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

डा0 ज्ञानवती सिंह जी उपस्थित नहीं है।

जनपद बागपत के ग्रामीण अंचलों व शहर में विद्युत आपूर्ति का प्रतिशत एवं गामीण अंचलों में नियमित रुप से बिजली देने के लिए योजना बनाने की मांग

* 11-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बागपत के ग्रामीण अंचलों एवं शहरों में कितने-कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है? क्या यह सही है कि ग्रामीण अंचलों में दो-दो, तीन-तीन महिनों तक बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है जिससे किसानों का कृषि कार्य बाधित रहता है? यदि हां, तो क्या ग्रामीण अंचलों में नियमित रुप से बिजली देने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन लगभग 7 घंटे प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में औसतन लगभग 13 घंटे प्रतिदिन विद्युत की जा रही है।

जी नहीं।

जनपद बागपत में विद्युत प्रणाली सुधार हेतु योजना बनाई गई है।

इस योजना में लगभग 1023 लाख के सुधार कार्य सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

* 12-श्री गुन्ना चौहान-

1 दिनांक 11-5-2000 को ता0 सं0-8 द्वारा उत्तरित।

मेरठ नगर में आउटर रिंग नाला खोदने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया प्रस्ताव एवं उस पर की गयी कार्यवाही

* 13-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर में जल निकासी के लिये वर्तमान ओडियन नाले का पानी तीव्र गति से बाहर निकालने के लिये आउटर रिंग नाला खोदने का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 1999 में दिया गया, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं। इस संबंध में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ से सुझाव प्राप्त हुआ है।

उक्त सुझाव पर सिंचाई विभाग तथा जल निगम से तकनीकी की दृष्टिकोण से परीक्षण कराते हुये अभिमत मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया उत्तर असंगत है। यह उत्तर 16.3.99 को मैने स्वयं नगर विकास मंत्री को प्रस्ताव किया था 301 में यह कार्यवाही हुई थी और मंत्री जी ने कहा है कि इसका प्रस्ताव प्राप्त नहीं हआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि 16.3.99 को 301 का मेरा प्रश्न था जिसके जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि उस पर कार्यवाही हो रही है तो वह क्या आपकी पत्रावली पर उपलब्ध है या नहीं?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जो माननीय वाजपेयी जी ने पूछा था कि इसके लिए अलग से रिंग रोड से नाला बनाने का कोई प्रस्ताव नगर निगम से प्राप्त नहीं हुआ था उनका सुझाव अवश्य प्राप्त हुआ है कि ऐसे प्रस्ताव से बना

दिया जाय। सिंचाई विभाग और जल निगम के माध्यम से इसका प्रस्ताव बनवाया जा सकता है इसके लिए उनसे सूचना अपेक्षित है।

(इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इनको अब प्रश्न पूछने की इजाजत न दीजिए इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अभी डाक्टर से मालूम करके आया हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक प्रश्न पूछ लें।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि प्रश्नकर्ता का वर्ष 1999 में इस तरह का कोई प्रश्न प्राप्त हुआ है तो उत्तर आया कि "जी नहीं" इस सम्बन्ध में मुख्य नगर अधिकारी, मेरठ से सुझाव प्राप्त हुआ है। मान्यवर, 16.3.99 को 301 में मेरा प्रस्ताव था, सूचना थी इन्होंने सूचित किया है जल निगम से इसको कराया जा रहा है तो फिर यह उत्तर दे रहे है कि जी नहीं इसका क्या औचित्य?

मान्यवर, मैरी पत्रावली पर वह उपलब्ध नही है मैं उसको दिखवा लूगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

नोट : नत्थी ख के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

बिजली चोरी को रोकने हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी नई कार्य योजना

* 14-श्री विजय पाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बिजली की चोरी से राज्य विद्युत परिषद् को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है? क्या बिजली चोरी को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हां।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के समान उ0 प्र0 पालिका अकेन्द्रियत कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिये जाने की मॉग

* 15-श्री रमेश राही

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्थानीय निकाय में केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयित श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो यदि नहीं, तो क्यों? अगर अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को केन्द्रीयित सेवा की भांति समान पेंशन लाभ देने पर सरकार विचार कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के पेंशन का निस्तारण "उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा सेवाभिवृत्त लाभ नियमावली, 1981 के अनुसार किया जाता है। इस नियमावली में पेंशन एवं उपादान की

धनराशि के आगणन की प्रक्रिया उ0प्र0 सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सत्र के आधार पर किया जाता है।

उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवा, सेवानिवृत्त लाभ विनियमावली, 1984 के प्राविधानान्तर्गत दी जाती है। जिसमें 66 छमाही की पूर्ण सेवा पर अधिकतम रु012,000/- वार्षिक पेंशन निर्धारित है। अर्थात् अधिकतम रु0 1,000/- प्रतिमाह पेंशन देय है। जिस पर अन्य लाभ अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रदेश में वर्ष 1999 में हज पर गये हज यात्रियों की संख्या एवं दी गयी सुविधाएं

*56-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999 में प्रदेश से कितने हज यात्री हज यात्रा पर गये? सरकार द्वारा उनको क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई? क्या वर्ष 2000 में प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को सरकार द्वारा सम्पूर्ण खर्च वहन किये जाने हेतु कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या?

अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राजा गजनफर अली)-

वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश से कुल 15326 हज यात्री हज पर गये।

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रियों को हज फार्म उपलब्ध कराने उसका पंजीकरण कराने हवाई जहाज का किराया जमा कराने, टीकाकरण कराने, यात्रा हेतु प्रशिक्षण दिलाने, उनकी सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज भेजे जाने, हज गाईड व दुआ की किताबें नि:शुल्क प्रदान करने, यात्रियों का बीमा कराने, लखनऊ व दिल्ली में सहायता शिविर लगाने, हज यात्रा आवेदन पत्र स्वीकार करने व हज संबंधी सूचनायें आदि सुविधायें उपलब्ध करायी गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर को नगर पंचायत बनाये जाने सम्बंधी योजना की जानकारी

*17-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री महाराज सिंह यादव, उदय राज यादव तथा श्री अम्बिका चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर को नगर पंचायत बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर को पंचायत बनाने के सम्बंध में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

*18-श्री राम पाल, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री आर0के0 सिंह पटेल-

[दिनांक 28-4-2000 को ता0 प्र0 सं0-2 द्वारा उत्तरित]

गंगा बैराज कानपुर के अधूरे कार्य का निर्माण कराने की समयावधि

*19-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा बैराज कानपुर के अधूरे कार्य के निर्माण को पूरा कराने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन

जी हां।

बैराज निर्माण कार्य सन् 2002 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सुलनपुर, ब्लाक जामों ग्राम हरदासपुर निवासी श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्र सूरजदीन का विद्युत बिल

*1-श्री तेजभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्र सूरजदीन ग्राम-हरदासपुर, ब्लाक-जामों, सुल्तानपुर का विद्युत विभाग द्वारा आयोजित तहसील दिवस पर दिया गया प्रार्थना-पत्र जो डायरी नं0-291/3-2-99 पर अंकित है जिसमें 3 हार्सपावर के कनेक्शन पर 5 हार्सपावर के बिल भेजने की शिकायत है, प्राप्त है? यदि हां, तो क्या संबंधित मोटर की अश्वशक्ति की विधिवत जांच होने के बाद भी बिल नहीं ठीक किया गया तथा 3 हार्सपावर कनेक्शन काटकर केबिल उठा ली गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच के बाद बिल ठीक न करने तथा कनेक्शन काटने की कार्यवाही कर उपभोक्ता का उत्पीड़न करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत बिल ठीक कराने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

विधिवत जांच होने के बाद बिल ठीक किया जा चुका है वर्तमान में माह 2/2000 तक उपभोक्ता पर बकाया रु0 23332.30 हैं।

बिल ठीक कर उपभोक्ता को अवगत करा दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण खण्ड बरेली के अन्तर्गत नवाबगंज के ग्राम खजुरिया श्री राम से ग्राम मौआ बाजार तक पोल झुक जाने के आदि के विषय में प्रश्नकर्त्ता का पत्र एवं की गयी कार्यवाही

*2-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 28.3.99 जो विद्युत वितरण खण्ड, बरेली के अन्तर्गत तहसील नवागंज के ग्राम खजुरिया श्रीराम से ग्राम मौआ-बाजार तक आने वाली विद्युत लाइन के पोल झुक जाने तथा तार ढीले होने के सम्बंध में है, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, बरेली को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त विद्युत लाइन ठीक करा दी गई है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

ग्राम खजुरिया- श्रीराम से ग्राम भौआ-बाजार तक की विद्युत लाइन को अतिरिक्त पोल लगवा कर माह 11/99 में विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम लखनऊ के स्व0 मो0 अकरम, नायब मोहर्रिर के आश्रित को पेंशन ग्रेच्युटी आदि का भुगतान

*3-श्री अरुण प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 मो अकरम, नायब मोहर्रिर नगर निगम, लखनऊ के आश्रित को पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य भुगतान कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लालजी टण्डन-

मृतक आश्रित को इनकी मृत्यु के दिनांक के अगले दिन से 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

पेंशन विनियम 1962 के नियम-9 (1) के प्राविधानानुसार 20 वर्ष की सेवा पर पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान स्वत: अनुमन्य था, जबकि मृतक कर्मी की दिनांक 13-04-78 को हुई मृत्यु के कारण उसका सेवाकाल 16 वर्ष 00 माह 11 दिन था। अपवादस्वरुप 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर निगम पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी देने पर विचार कर सकती है, जिसके लिये प्रकरण नगर निगम सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

नगर निगम सदन द्वारा संकल्प पारित होने के उपरांत।

पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिए धनराशि स्वीकृत करने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र पर की गयी कार्यवाही

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0-एम2/24828/प्रतापगढ़/ 99, दिनांक 30-6-98 एवं 25857 दिनांक 28-7-99 पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी हां। संदर्भित दो पत्रों में एक पत्र दिनांक 30-6-98 का नहीं है, अपितु दिनांक 30-6-99 का है।

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30-6-99, शासनादेश संख्या 1400/35-5-99--16(10) 98-62 टी0सी0 दिनांक 12-4-99 के प्रस्तर संख्या-3 जिसके अनुसार "पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि में जनपदों से प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन, जिनकी स्वीकृतियां किन्हीं कारणों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नहीं हो पाती है व्यपगत मानते हुए निक्षेप कर दिये जायेंगे" के क्रम में विचार योग्य नहीं हो पाया गया। संदर्भित पत्र दिनांक 28-7-99 में निम्न 3 योजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :--

1-डहिया-सराय शंकर मार्ग 3.5 कि0मी0।

2-ग्राम उसका परैया नाले पर पुल निर्माण।

3-नगर पंचायत पट्टी के लिए एक ओवर हेड टैंक की व्यवस्था सीमत वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त क्रमांक 1 व 2 की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

[दिनांक 31-3-2000 को ता0प्र0सं0-2 द्वारा उत्तरित]

*6-श्रीमती सुखदेवी वर्मा-

(छठे शुक्रवार के लिए स्थगित)

जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1998-99 में बुन्देल खण्ड विकास निधि से दिया गया धन एवं कराये गये कार्यों का विवरण

*7-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-चित्रकूट में वर्ष 1998-99 वित्तीय वर्ष में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से धन दिया गया था? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों/मंजरों के लिये कितना धन दिया गया था? क्या प्रश्नगत कार्य कराये गये? यदि हां, तो कहां-कहां? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कार्य में विलम्ब करने वाले दोषी को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वित्तीय वर्ष 1998-99 में बुन्देलखण्ड विकास निधि से कुल रु0 14.255 लाख दिया गया था। निम्नलिखित ग्रामों/मंजरों के लिए उनके नाम के सामने अंकित धनराशि दी गयी थी:-

क्र0 सं0	ग्राम/मंजरे का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)
1-	डोडिया	1.18
2-	बनाड़ी	1.50
3-	मछरिया	4.00
4-	कछार का पुरवा	1.50
5-	सोभा सिंह का पुरवा	2.00
6-	उत्तमपुर	1.325
7-	छिपिहा	1.50
8-	भभेट का पुरवा	1.25

उक्त ग्राम/मंजरों का विद्युतीकरण प्राप्त धनराशि से करा दिया गया है। धनराशि कम होने के कारण सम्पूर्ण कार्य नहीं हो सके। उक्त कार्य कराने में कोई अधिकारी/ कर्मचारी दोषी नहीं है अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र कर्वी में स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण कराने की मांग

*8-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विधान सभा कर्वी के कौन-कौन गांव स्वीकृत किये गये हैं? क्या स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद चित्रकूट में वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विधान सभा क्षेत्र कर्वी के निम्न ग्राम स्वीकृत किए गए थे:-

1-भुमार 2-लौथ्डया खुर्द 3-पचोखर 4-गढ़ीघाट 5-बउहर पुरवा।

धनाभाव के कारण स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है।

30 जून, 2000 तक कार्य पूर्ण कराए जाने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद ललितपुर में तालबेहट इकाई जल संस्थान में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

9-श्री दिलीप कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में तालबेहट इकाई जल संस्थान में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बंध में मा0 विधायक हरदेव सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 1-7-99 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है? क्या जांच आख्या के आधार पर दोषियों को दण्डित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा खरीदे गये सिक्योर मेक इलेक्ट्रानिक मीटरों की कार्य-प्रणाली सम्बन्धी जानकारी

10- प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कितने करोड़ रुपये के सिक्योर मेक इलेक्ट्रानिक मीटर खरीदे गये हैं? क्या इन मीटरों की कार्य प्रणाली संदिग्ध पाई गयी है? यदि हॉ, तो इन मीटरों के खरीदने की जिम्मेदारी किस पर निर्धारित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इनकी खरीददारी अभी भी जारी है? यदि हॉ, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लगभग 23 करोड़ रुपये के सिक्योर मेक इलेक्ट्रानिक मीटर खरीदे गये हैं।

जी नहीं।

कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अनियमितता की चेष्टा के कारण संज्ञान में आया है कि निर्धारित मापदण्डों से अधिक शक्ति के वाह्य चुम्बकीय प्रभाव से मीटर की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है तथा मीटर के न्यूट्रल में किसी भी प्रकार अवांछनीय सिगनल देने पर मीटर की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इसके सुधार हेतु मीटरों में नि:शुल्क विशेष प्रकार के मैटेलिक मैग्नेटिक शील्ड कवर लगाने हेतु मीटर के साफ्टवेयर में विशेष प्राविधान कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ताकि मीटरों की कार्य प्रणाली किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हॉ। क्योंकि भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों (आई0एस0एस0, सी0बी0आई0पी0, आई0ई0सी0 आदि) द्वारा निर्धारित नवीनतम मापदण्डों के अनुरूप ही आवश्यकतानुसार मीटरों को क्रय हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मेरठ के विद्युत वितरण खण्ड-2 में 5 एच0 पी0 ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

11- प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ट्यूबवेलों को 5 एच0पी0 कनेक्शन दिये जाने का प्राविधान है? यदि हॉ, तो क्या जनपद मेरठ के विद्युत वितरण खण्ड-2 में 5 एच0पी0 ट्यूबवेल कनेक्शन की जगह 7.5 एच0पी0 ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जा रहे हैं? यदि हॉ, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हॉ।

सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग मेरठ द्वारा प्राप्त मानकों के अनुसार नलकूप का भार, बोरिंग की साइज एवं गहराई के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सेक्टर-डी सीतापुर रोड योजना में पार्कों की संख्या एवं उनको विकसित किये जाने की मांग

12- श्री राम स्वरूप सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के सेक्टर-डी सीतापुर रोड योजना में कितने पार्क हैं? क्या सरकार उन पार्कों को विकसित करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-डी में कुल 05 पार्क हैं। इनमें से 03 पार्कों का विकास कार्य पूर्ण है तथा 02 पार्कों का विकास उपलब्ध संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-रामपुर स्थित बन्द पड़ी टेक्सटाइल्स् कपड़ा मिल कर्मचारियों को उनके फण्ड आदि देयकों का भुगतान किये जाने की मांग

13- श्री शिव बहादुर सक्सेना-

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-रामपुर स्थित रजा टेक्सटाइल्स कपड़ा मिल वर्ष 1991 से बन्द पड़ी है? यदि हॉ, तो क्या उसमें कार्यरत कर्मचारियों को उनके फण्ड आदि देयकों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उनके देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)-

जी हॉ.

कर्मचारियों के भविष्य निधि के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित किया है कि कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत दावों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। कोई भी दावा दिनांक 29-2-2000 तक बिना कार्यवाही के लम्बित नहीं है।

जनपद रामपुर की बन्द पड़ी दो मिलों रजा टेक्सटाइल्स एवं चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों को रोजगार देने की योजना

14- श्री शिव बहादुर सक्सेना-

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर की दो बड़ी फैक्टरी रजा टेक्सटाइल्स एवं चीनी मिल बन्द हो गयी है? यदि हॉ, तो क्या उसमें कार्यरत लगभग चार हजार कर्मियों को रोजगार देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हॉ, तो वह योजना क्या है?

श्री धर्मपाल सिंह-

मै0 रजा टेक्सटाइल्स लि0 रामपुर दिनांक 23-09-91 से एवं उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई रामपुर दिनांक 20-01-99 से आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बन्द हो गई है।

उक्त प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को रोजगार दिये जाने की कोई योजना श्रम विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जनपद हरदोई के मल्लावां विधानसभा क्षेत्र में "भाऊराव देवरस योजना" के अन्तर्गत उच्चतर लघु आय वर्ग के लोगों को स्ववित्त पोषित आवास बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिया गया लाभ

15- डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "भाऊराव देवरस योजना" के अन्तर्गत उच्चतर लघु आय वर्ग के लोगों के लिए 20,000 रुपये स्ववित्त पोषित आवास बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जानें के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों को अब तक कितना लाभ मिला है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

"भाऊराव देवरस योजना" के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों को अब तक कोई लाभ नहीं दिया गया है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद् के कार्यक्षेत्र में लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों की आवासीय समस्याओं का समाधान करने के लिए "भाऊराव

देवरस योजना" बनाई गई है। जनपद हरदोई का 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र आवास एवं विकास परिषद् तथा किसी प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित न होने के कारण जनपद हरदोई का 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र इस योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की मलिन बस्तियों में निवास करने वालों को "आश्रय योजना" के अन्तर्गत दिया गया लाभ

16- डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "आश्रय योजना" के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन परिवारों के लिए रुपये 5-10 तथा रुपये 15/- प्रतिदिन भुगतान के आधार पर मकान देने की योजना लागू करने के क्रम में क्या जनपद हरदोई के 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की मलिन बस्तियों में निवास करने वालों को इस योजना का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में यह लाभ दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टंडन

जी नहीं।

प्रदेश के नगर क्षेत्रों में आश्रय विहीन व्यक्तियों के लिए "आश्रय योजना" बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आश्रय विहीन व्यक्तियों को रुपये 5,10 व 15/- प्रतिदिन के भुगतान पर आश्रय आवंटित किये जाने की व्यवस्था है। जनपद हरदोई के 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में आवास एवं विकास परिषद् एवं किसी विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र न होने के कारण जनपद हरदोई का 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र इस योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर के आवासीय परिसर में बने पूजा स्थल के बारे में विवरण

17-श्री लालजी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर अम्बेडकर नगर के आवासीय परिसर में धार्मिक उपासना हेतु पूजा स्थल का निर्माण कराया गया है? यदि हॉ, तो कितने क्षेत्रफल में?, क्या इसका परिषद् से आवंटन है? यदि हॉ, तो कब से तथा किसके आदेश से? क्या बिजली/पानी का कनेक्शन है? यदि हॉ, तो कब से तथा किसके आदेश से? क्या इसका चार्ज वसूला गया? यदि हॉ, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रश्नगत परियोजना स्थल पर धार्मिक उपासना हेतु किसी पूजा स्थल का निर्माण नहीं कराया गया अपितु परियोजना कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व वहॉ एक पूजा स्थल (मंदिर) निर्मित था।

लगभग 1.65 एकड़ क्षेत्रफल।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हॉ।

परियोजना निर्माण काल से ही बिजली व पानी का कनेक्शन है। विद्युत नगर आवासीय परिसर में होना तथा विद्युत कर्मियों द्वारा इसका उपयोग किये जाने के आधार पर इसके आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं पाई गयी।

जी नहीं।

मंदिर में परियोजना के कर्मचारी एवं उनके पारिवारिक सदस्य पूजा करते हैं । कोई बाहरी व्यक्ति पूजा के लिए नहीं आता । तीज-त्योहारों में भारी भीड़ होती है । मंदिर में कभी चार्ज वसूलने का अभिलेख नहीं है । औद्योगिक शांति बनाये रखने एवं अवाध विद्युत उत्पादन हेतु जनहित में ऐसा किया गया है।

जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत पारा कालोनी में एक और ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

*18-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र द्वारा पारा कालोनी (पारा गांव) में वर्तमान में 250 के0वी0ए0 100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मरों द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां की बढ़ती हुई उपभोक्ता संख्या तथा उक्त दोनों ट्रांसफार्मरों पर क्षमता से अधिक लोड को देखते हुए पारा रोड के पश्चिमी क्षेत्र में 250 के0वी0ए0 का एक ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं ।

उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या एवं ट्रांसफार्मरों पर क्षमता से अधिक लोड को देखते हुए पारा कालोनी में 250 के0वी0ए0 के दो तथा 100 के0वी0ए0 का एक ट्रांसफार्मर स्थापित कर आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र कर्वी में बुन्देलखण्ड विकास निधि से विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांवों का विवरण

*19-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र कर्बी में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1999-2000 में कौन-कौन गांवों को प्रस्तावित किया गया था ? क्या प्रस्तावित गांवों के प्राक्कलन तैयार करके जिला विकास अधिकारी को प्राप्त हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 1999-2000 में बुन्देलखण्ड विकास निधि से विद्युतीकरण हेतु निम्नलिखित गांव प्रस्तावित किये गये थे :--

1-रघुवंशीपुर 2-अहरापुरवा मजरा मानपुर 3-अरछा बरेठी हीरालाल का पुरवा 4-बनकट नई दुनिया 5-ढिलौरी मतेजीपुर 6-सपहा में अनु0 जाति बस्ती 7-इटरौल भीखमपुर 8-जमहिल में गौरीशंकर का पुरवा 9-टर्री 10-बछरन 11-ढिलौरी के पडरी में 12-सिकरी सानी 13-भभई 14-भरतपुर में खपटिहा 15-रानीपुर खाकी 16-बसिला में दीनापुरवा 17-मकरी पहरा 18-आनन्दपुर छिछरिया 19-बालापुर खालसा में कालूपुर 20-बगैहा ।

जी हां । उक्त सभी ग्रामों का प्राक्कलन स्वीकृत कर जिला विकास अधिकारी को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन नगर पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पत्र एवं कार्यवाही की मांग

*20-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन नगर पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक 747 दिनांक 21-4-99 तथा पत्रांक-1586 दिनांक 27-9-99 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

शासन के पत्र संख्या 131 एम0 एल0 ए0/9-1-99-67च/96, दिनांक 27-1-2000 द्वारा अध्यक्ष नगर पंचायत गोवर्धन को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी थी। अध्यक्ष द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट के भौरी से हरदौली मार्ग के निर्माण हेतु धन की स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

*21-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-11-1999 एवं 14-11-1999 जो प्रमुख सचिव, नियोजन को जनपद चित्रकूट के भौरी से हरदौली मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में धन की स्वीकृति हेतु थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या दिनांक 14 जुलाई, 1999 को सदन में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक माह में धन देकर कार्य कराने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या अब तक उपरोक्त कार्य हेतु धन स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना-

जी हां । केवल दिनांक 20-11-1999 का पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत योजना के 1.5 किमी0 के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 31-3-2000 को दे दी गयी थी ।

जी हां। प्रश्नगत सड़क के 1.5 कि0मी0 के कार्य हेतु रु0 10.71 लाख के वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु0 2.677 लाख की स्वीकृति निर्गत कर दी गयी थी । परन्तु धनराशि जिला स्तर पर आहरित नहीं हो सकी । चालू वित्तीय वर्ष में पुनः स्वीकृति निर्गत करने की कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

लखनऊ नगर के मोहल्ला छपरतल्ला, चांदगंज में मकान नं0 521 क/36 के सामने सीवर टैंक बनाने से अवरुद्ध मार्ग के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*22-श्री नेतराम सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर के मोहल्ला छपरतल्ला, चांदगंज में मकान नं0-521 क/36 के सामने सार्वजनिक मार्ग पर सीवर टैंक बनाने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र माह मई, 1999 के द्वितीय सप्ताह में नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

जी हां

सीवर टैंक सर्विस लेन पर बने होने के कारण कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सिटी बोर्ड जौनपुर (नगर पालिका परिषद्) में भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में पत्र

*23-श्री अफजाल अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत सिटी जौनपुर (नगर पालिका परिषद्) में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 1999 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के ब्लाक मुख्यालय खुटार में नया विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने की मांग

*24-श्री नेतराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के ब्लाक मुख्यालय खुटार में जनता की विद्युत समस्या को देखते हुए एक 132 के0वी0ए0 का नया सब स्टेशन स्थापित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं ।

इस क्षेत्र को पोषित करने वाले 220 के0वी0 शाहजहांपुर उपकेन्द्र पर अधिष्ठापित 20 एम0वी0ए0 ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है ।

जनपद प्रतापगढ़ के जल निगम निर्माण शाखा में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

*25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री का आदेश सी0एम0/वि0को0/एस-5/7285/प्रतापगढ़/98, दिनांक 15-1-1998 जो प्रतापगढ़ जल निगम निर्माण शाखा में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से विस्तृत जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जिलाधिकारी को जांच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु पुनः निर्देशित किया गया है ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के नगर पंचायत बिल्थरा रोड में पुलिया और रोड के कराये गये कार्य के बकाये धन के भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*26-श्री अफजाल अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि यादव एण्ड चौहान ब्रदर्स नामक रजिस्टर्ड ठेकेदार द्वारा नगर पंचायत बिल्थरा रोड, जनपद बलिया में पुलिया और रोड का कार्य वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में कराया गया है ? क्या उक्त ठेकेदार का बकाये धन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बलिया द्वारा दिनांक 27-3-99 को नगर विकास अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन को पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

नगर पंचायत बिल्थरा रोड, जनपद बलिया में यादव एण्ड चौहान ब्रदर्स नामक ठेकेदार द्वारा वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में कोई ठेका नहीं लिया गया है और न ही उक्त फर्म द्वारा उपरोक्त वर्षों में कोई निर्माण कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बलिया द्वारा शासन को पत्र नहीं भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*27-श्री अजय कुमार पोइया-

[छठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद हाथरस में रामवीर सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं कार्यवाही

*28-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामवीर सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा, हाथरस के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या-क-2-162817, दिनांक 1-12-1999 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त का स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

श्री रामवीर सिंह, परियोजना अधिकारी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13-1-2000 द्वारा डूडा, आगरा कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, मड़ियाहूं क्षेत्र में स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण कराने की मांग

*29-श्री बी0 आर0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1998-99 में कितने गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हुए थे ? इन स्वीकृत गांवों में कब तक विद्युतीकरण किया जाना निश्चित था ? क्या उपरोक्त गांवों को दिसम्बर, 1999 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त गांवों का विद्युतीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वित्तीय वर्ष 1998-99 में मा0 विधायक जी की संस्तुति पर पांच ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हुए थे । इन स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण दि0 31-9-99 तक किया जाना निश्चित था ।

उपरोक्त स्वीकृत पांच गांवों में से दो गांवों का विद्युतीकरण दिसम्बर, 1999 तक कर दिया गया है । शेष तीन गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे माह जून, 2000 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

धन विलम्ब से प्राप्त होने एवं खेतों में फसलें होने के कारण निश्चित समय में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका । माह जनवरी, 2000 में विद्युत कर्मियों की हड़ताल के कारण भी विद्युतीकरण का कार्य प्रभावित रहा जिसके लिए कोई दोषी नहीं है। शेष तीन गांवों के विद्युतीकरण का कार्य माह जून, 2000 में पूरा होने की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (सिविल) वितरण एवं अधिशासी अभियन्ता (सिविल) वितरण, इलाहाबाद द्वारा परिषद् को क्षति पहुंचाने विषयक प्रश्न पर कृत कार्यवाही

*30-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (सिविल) वितरण एवं अधिशासी अभियंता (सिविल) वितरण, इलाहाबाद द्वारा परिषद् को पहुंचाई गई क्षति रुपये 30,000,00 की भरपाई सम्बन्धी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पंजीकृत पत्र दिनांक 13-11-99 जो कि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हॉ।

मामले की जॉच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आगरा में परिषदीय सम्पत्ति को बेचे जाने में घोटाला करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

*31-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 33/11 के0 वी0 होटल काम्पलेक्स, आगरा एवं 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र धुलियागंज, आगरा के परिषदीय सम्पत्ति को बेचे जाने में घोटाला करने सम्बन्धी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 26-11-99 जो कि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हॉ।

सम्बन्धित प्रकरण पर सन्दर्भित पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही तत्कालीन परिषद् द्वारा मुख्य अभियंता आगरा (श्री आई0 एल0 राठी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। श्री राठी के स्थानांतरित हो जाने एवं सम्पूर्ण भू-राजस्व अभिलेख प्राप्त न होने के कारण समिति द्वारा जांच को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मजदूर संघ के दो पदाधिकारियों को नामित करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*32-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पर्वतीय उपसंवर्ग नियमावली, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ के दो पदाधिकारियों को नामित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-12-99 जो कि मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हॉ।

ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन के फलस्वरूप राज्य विद्युत परिषद् का अस्तित्व समाप्त हो गया है। सम्प्रति तीन स्वतंत्र निगम क्रियाशील हो गये हैं। नवगठित पावर कारपोरेशन में पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के कस्बा राठ स्थित मुहाल मुगलपुरा में पाइप लाइन में गन्दा पानी आने के कारण कार्यवाही किए जाने की मांग

*33-डा0 छोटे लाल वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हमीरपुर के कस्बा राठ स्थित मुहाल मुगलपुरा में पिछले छः माह से पाइप लाइन से गन्दा पानी आ रहा है जिससे मुहल्ले में अनेकों बीमारियां फैल रही हैं? यदि हॉ, तो इस सम्बन्ध में क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

माह मई, 1999 में कस्बा राठ के मुहाल मुगलपुरा में पाइप लाइन से गन्दा पानी आने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसे तत्काल ठीक करा दिया गया था। उक्त कस्बे में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विचाराधीन लिफ्ट पेयजल योजना को आरम्भ किये जाने की मांग

*34-श्री कृष्ण चन्द पुनेठा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ की लिफ्ट पेयजल योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हॉ, तो सरकार जनहित में उक्त योजना का कार्य कब से आरम्भ करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हाँ।

यह योजना प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के विचाराधीन है। वित्त व्यय समिति से अनुमोदन के पश्चात् ही संसाधनों की उपलब्धता होने पर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में पुरावक्सराय-उतरेथू मार्ग के निर्माण के लिए पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत धनराशि व निर्माण कराये जाने की माँग

*35-श्री लाल जी वर्मा-

क्या नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अम्बेडकरनगर में पुरावक्सराय उतरेथू मार्ग के 2 कि0मी0 लेपन स्तर तक कार्य कराये जाने की स्वीकृति वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि राज्य अंश के अन्तर्गत स्वीकृति हुई थी? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

श्री सुरे श कुमार खन्ना-

जी हाँ।

इस योजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या-547/35-5-99-9(3)98-5 दिनांक 27-3-99 द्वारा प्रदान की गयी।

शासनादेश संख्या-ए-1-1710/दस-1999-10(1)/99 दिनांक 30-6-99 के अनुपालन में वैयक्तिक लेखा खाते में रखी उक्त धनराशि लैप्स हो जाने के कारण राजकोष में जमा कर दी गयी है।

लखनऊ अन्तर्गत सरफराजगंज (हरदोई रोड) की मलिन बस्ती के मार्ग व नाली के लिए स्वीकृत धनराशि का प्रयोग अन्यत्र किए जाने के कारण जाँच कराये जाने की माँग

*36-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ अन्तर्गत सरफराजगंज (हरदोई रोड) की मलिन बस्ती के मार्ग 1 व 2 सड़क तथा नाली निर्माण कराये जाने हेतु माह अक्टूबर, 1996 में स्वीकृति प्रदान की गयी

थी? क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि से चयनित स्थान पर निर्माण कार्य न कराकर अन्यत्र कार्य कराया गया है? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मलिन बस्ती की गली एक व दो की सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की रामकोला नगर पंचायत को नगरीय क्षेत्र की भाँति विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग

*37-श्री राधे श्याम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत रामकोला जनपद कुशीनगर नगरीय क्षेत्र होने के बावजूद विद्युत विभाग के कर्मचारी इस समय भी ग्रामीण क्षेत्र मानते हुए विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं? क्या यह सही है कि इस नगर पंचायत के उपभोक्ताओं से विद्युत मूल्य का भुगतान ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार न लेकर शहरी क्षेत्र के अनुसार बिलों का भुगतान लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार रामकोला नगर पंचायत की नगरीय क्षेत्र की भाँति विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

लागू टेरिफ के अनुसार 10 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/कस्बों के उपभोक्ताओं को देय विद्युत दरों के अनुसार, नगर पंचायत रामकोला के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल दिये जा रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र की आबादी दस हजार से अधिक है।

नगर पंचायत रामकोला जनपद-कुशीनगर क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र का स्तर दिया गया है। अतः तद्नुसार विद्युत आपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद लखनऊ के कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी में अवैध रुप से विद्युत फेज का उपयोग एवं नये संयोजन निर्गत किया जाना

*38-श्री अजय भट्ट-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी में अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से एक से अधिक विद्युत फेज का उपयोग किए जाने विषयक कितने परिवाद-पत्र (कम्पलेन्ट) सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी/उपखण्डीय अधिकारी को प्राप्त हुए हैं? क्या उक्त आवासीय क्षेत्र में विशेष अभियान के तौर पर अधिकारी आवासों की आकस्मिक जाँच कर स्थिति से अवगत कराने की कृपा करेंगे? पूर्व के छापे में पकड़े गये उक्त क्षेत्र के अभियुक्तों पर चलाये जा रहे मुकदमें की अन्तिम स्थिति क्या है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद लखनऊ के कैण्ट रोड स्थिति सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी में अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से एक से अधिक विद्युत फेज का उपयोग किये जाने से सम्बन्धित कोई परिवाद पत्र प्राप्त नहीं हुए।

जाँच कराई जा चुकी है। जाँच में एक ही संयोजन से अन्य आवासों को विद्युत दिये जाने की अनियमितता के मामले प्रकाश में आये थे जिन्हें जाँच के तहत माह 3/98 में 29 नये संयोजन निर्गत किये गये।

उक्त क्षेत्र के किसी भी अधिकारी पर मुकदमा नहीं लगाया गया है।

जनपद मथुरा, ब्लाक गोवर्धन, ग्राम-अडींग में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में विधायक का पत्र एवं कार्यवाही

*39-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-अडींग, ब्लाक गोवर्धन, जिला मथुरा में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक- सी0एम0/वि0को0/एम-/21970/मथुरा/99 दिनांक 3-4-1999 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

सामग्री प्राप्त कर ट्रांसफार्मर 25-12-1999 को लगा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई किये जाने की मांग

*40-श्री बाबू खाँ-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में लगभग 10 वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को स्थाई करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी नहीं।

स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई करने का कोई प्राविधान नहीं है।

लखनऊ स्थित शेखूपुरा आवास विकास कालोनी, अलीगंज में मकान नं0- 447,448,449,445 के पास भरे हुए सीवर लाइन के मेनहोल की सफाई किए जाने की मांग

*41-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शेखूपुरा, आवास विकास कालोनी, अलीगंज, लखनऊ स्थित आवास सं0-447, 448, 449, 445 के पास स्थित सीवर लाइन का मेनहोल भर जाने से वहाँ के निवासियों को सीवर से बाहर निकली गन्दगी का सामना करना पड़ रहा है? उक्त मेनहोल की सफाई न कराये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त मेनहोल को तत्काल पुनः साफ कराकर वहाँ पर निवास कर रहे कर रहे निवासियों को गंदगी से राहत दिलायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

मेनहोलों की सफाई करवा दी गयी है।

सफाई करवाई जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पुराना किला लखनऊ में कैण्ट रोड से लखनऊ माण्टेसरी इण्टर कालेज तक खराब सड़क का निर्माण कराये जाने की माँग

*42-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पुराना किला, लखनऊ में कैण्ट रोड से लखनऊ माण्टेसरी इण्टर कालेज, लखनऊ तक की सड़क अत्यधिक खराब हो जाने के कारण पानी भरा रहता है और आवागमन में जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हॉ।

प्राय: सीवर ओवर फ्लो के कारण सड़क पर पानी आ जाता है जिसके कारण सड़क भी क्षतिग्रस्त हो जाती है।

जी हॉ।

धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम की मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति के उपरान्त क्षेत्रीय सभासद द्वारा निर्धारित वरीयताक्रम में कार्य कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र रामकोला के ग्राम सभा बरवा महादेवा, वड़हरा आदि ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य

*43-श्री राधेश्याम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के अनुसार वर्ष 1998-99 में जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र रामकोला के ग्राम सभा बरवा महादेव, बड़हड़ा, अकटहां, फरदहा तथा बखाखास का विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया था? क्या उक्त गॉवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार उक्त गॉवों का विद्युतीकरण कब तक करायेगी?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

संदर्भित ग्रामों का विद्युतीकरण का प्रस्ताव 1999-2000 में स्वीकृत है।

विद्युतीकरण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

4 माह में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद लखनऊ में स्व0 कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव

*44-श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्व0 कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लखनऊ में लगाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हॉ, तो उक्त प्रतिमा कब तक और कहॉ लगायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हॉ।

स्थल चयन के उपरान्त यथाशीघ्र प्रतिमा लगायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद् का उपभोक्ताओं पर बकाया विद्युत कर की राशि एवं वसूल करने के लिए की गयी कार्यवाही

*45-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् का 30 नवम्बर, 1999 तक विभिन्न स्तर के समस्त उपभोक्ताओं पर कुल कितना विद्युत कर बकाया था? उक्त बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कारपोरेशन में विद्युत कर बकाये का अलग से लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। अत: राज्य विद्युत परिषद् का 30 नवम्बर, 1999 तक के विभिन्न स्तर के समस्त उपभोक्ताओं पर विद्युत कर बकाये की धनराशि का उल्लख करना सम्भव नहीं है।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के विरुद्ध 11/99 तक कुल विद्युत बकाया रु0 5794.29 करोड़ था जिसमें विद्युत कर भी शामिल है।

जी हाँ, विद्युत बकाये की वसूली हेतु निम्नलिखित कार्यवाही निरन्तर रूप से की जाती है:-

समय-समय पर विद्युत बकाया वसूली हेतु विभिन्न उपकेन्द्रों एवं अन्य स्थानों पर शिविर लगाये जाते हैं। बकायेदार उपभोक्ताओं का तथा सम्भव विच्छेदन किया जाता है।

संयोजन विच्छेदित होने पर भी वसूल न होने पर धारा-5 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाती है।

सरकारी विभागों पर बकाये धनराशि की वसूली हेतु विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क करके इस सम्बन्ध में सतत् प्रयास किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर निर्वाचन क्षेत्र रामकोला में विधायकों की पांच गाँवों की सूची वाले गाँवों का विद्युतीकरण

*46-श्री राधेश्याम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों से विद्युतीकरण हेतु मांगी गयी पांच-पांच गांवों की सूची के अन्तर्गत वर्ष 1999 में प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद-कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र रामकोला के जिन पॉच गॉवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव दिया गया था उनमें विद्युतीकरण कार्य अब तक करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? सरकार उक्त गॉवों में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करवा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र रामकोला में कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण की मांग

*47-श्री राधेश्याम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र रामकोला के ग्राम सभा चन्दरपुर के अहिरटोली, बौलिया टेकुआटार, ग्राम सभा सिंहोखा, जुमनिया, ग्राम सभा लवगरापुर, ग्राम सभा भखलिया के टोलामिया यादव में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1998 में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत धन

दे दिये जाने के बावजूद अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त गाँवों का विद्युतीकरण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ग्राम बौलिया के विद्युतीकरण हेतु धन प्राप्त नहीं हुआ है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि वित्तीय वर्ष 99-2000 में प्राप्त हुआ है। विद्युतीकरण की कार्यवाही प्रगति में है।

30 जून, 2000 तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला व मुनस्यारी तहसील के मध्य स्थित छिपला कोट नामक रमणीय तीर्थ स्थल को विकसित किये जाने एवं वहाँ पहुँचने के लिए अश्व मार्ग बनाये जाने की माँग

*48-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला व मुनस्यारी तहसील के मध्य सीमा बगापानी से लगभग 40 कि0मी0 उत्तर हिमालय में छिपला कोट नामक रमणीय जगह पर पौराणिक काल के अति महत्वपूर्ण एवं दैवीय अवशेष हैं जिसे वहाँ के लोग लघु कैलाश मानसरोवर की संज्ञा देते हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस रमणीय तीर्थ स्थल को विकसित किये जाने एवं उक्त स्थान तक पहुँचने हेतु अश्व मार्ग का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हाँ।

अभी तक अश्व मार्ग के निर्माण हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, कुमायूँ क्षेत्र, अल्मोड़ा से आगणन प्राप्त नहीं हुए हैं।

आगणन प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी में ए-1239 से 1239/2 के सामने स्थित पार्क पर अवैध कब्जा

*49-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी में ए-1239 से ए0 1239/2 के सामने स्थित आवास विकास परिषद् के पार्क पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य करा लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण हटवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत भवनों के सामने कोई पार्क नहीं है। इन भवनों के सामने परिषद् के ले-आउट के अनुसार एक तिकोना खुला स्थान प्राविधानित है जो कि मौके पर खुला ही है और इस पर कोई अवैध निर्माण/कब्जा नहीं है।

लखनऊ के कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे कोषागार के सामने स्थित नालियों की स्थाई व्यवस्था किए जाने की माँग

*50-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे कोषागार के सामने की सड़क की सफाई न किए जाने के कारण नालियां गन्दे पानी से भरी रहती हैं और गन्दगी एवं बदबू

के कारण जन स्वास्थ्य प्रभावित हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नालियों की सफाई की स्थाई व्यवस्था करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

नियमित रुप से नालियों की सफाई कराई जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ के कैण्ट रोड पर स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय के समक्ष फुटपाथ पर लगी फैन्सिंग को हटवाये जाने की मांग

51-श्री अजय भट्ट-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ के कैण्ट रोड पर स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय के समक्ष नागरिकों के पैदल चलने हेतु बने फुटपाथ पर सिंचाई विभाग द्वारा लोहे की फैन्सिंग लगवा दी गयी है? यदि हाँ, तो क्या उक्त फैन्सिंग हटवाकर नागरिकों के सुविधाजनक आवागमन को सुनिश्चित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत स्थल पर लगाई गई फैन्सिंग के फुटपाथ पर न होने तथा आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न होने के कारण।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र शाहगंज के अम्बेडकर ग्राम के ग्राम प्रधान द्वारा गाँव के विकास हेतु जौनपुर के राजेपुर प्रभारी मंत्री श्री राम सोनकर को दिया गया पत्र एवं कार्यवाही

श्री बांके लाल सोनकर-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र शाहगंज के अम्बेडकर ग्राम राजेपुर के ग्राम प्रधान ने तत्कालीन जनपद जौनपुर के प्रभारी मंत्री श्री राम सोनकर जी को गाँव के विकास हेतु 14-4-98 को कोई ज्ञापन दिया था? यदि हॉ, तो उपरोक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)

जी हाँ।

सम्बन्धित विभागों को अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

53-श्री राम औतार शाक्य-

[दिनांक 10-5-2000 को अता0 प्र0 सं0-49 द्वारा उत्तरित]

कुमाँयू व गढ़वाल मण्डल में वर्ष 1998-99 तक स्थापित किए गये राजकीय हाई स्कूल व कालेज एवं उनके भवनों की स्थिति का विवरण

54-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमाँयू व गढ़वाल में कितने राजकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज वर्ष 1998-99 तक स्थापित किए जा चुके हैं? उनमें से कितने हाई स्कूलों व इण्टर

कालेजों के पास अपनें भवन हैं? कितने विद्यालय भवनहीन हैं? क्या भवनविहीन सभी विद्यालयों का भवन निर्माण कराये जाने का कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

	गढ़वाल मण्डल	कुमॉयू मण्डल
राजकीय हाईस्कूल	256	206
राजकीय इण्टरकालेज	343	240
राजकीय हाईस्कूल	175	152
राजकीय इण्टरकालेज	322	230
राजकीय हाईस्कूल	81	54
राजकीय इण्टरकालेज	21	10

जी हॉ ।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री हरदेव सिंह, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड, कोटद्वार, गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार के कालागढ़ रामनगर के लिए प्रस्तावित मार्ग का निर्माण, स्वीकृत धन एवं व्यय का विवरण

56-श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग अरथाई खण्ड, कोटद्वार, गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार से कालागढ़ रामनगर के लिए मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? क्या वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए इस मार्ग के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है? यदि हॉ, तो कितनी? उक्त मार्ग के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है और उस पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हॉ।

जी हॉ।

रु0 55.00 लाख मार्ग की कुल स्वीकृति 70 कि0मी0 लम्बाई में 37 कि0मी0 मार्ग का निर्माण मार्च, 2000 तक पूर्ण हो चुका है, तथा मार्च, 2000 तक रु0 286.73 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

जनपद-पौड़ी गढ़वाल, लोक निर्माण खण्ड, लैंसडान तथा लोक निर्माण खण्ड बैजरों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत धनराशि

57-श्री अफजाल अहमद-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण खण्ड, लैंसडान तथा लोक निर्माण खण्ड बैजरो, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी

तथा नवम्बर, 1999 तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है? लैंसडान निर्माण खण्ड द्वारा रिखणीखाल से दलमोटा-खेमाखेल मार्ग पर कोलतार-पेंटिंग का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बैंजरो को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु0 536.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसके विरूद्ध माह नवम्बर, 1999 तक रु0 167.98 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

इस मार्ग पर कोलतार पेंटिंग का कार्य अभी स्वीकृत नहीं है। अत: पूर्ण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी में टर्म लोन योजना की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण सम्बन्धी जानकारी

58-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में बाराबंकी में टर्म लोन योजना की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण के विपरीत 31 अक्टूबर, 99 तक कितने लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण का चेक जारी किया गया तथा कितने मामले आपत्तियों के कारण निस्तारित नहीं हुए? क्या मैनुअल की धारा 9(2) के अन्तर्गत लाभार्थियों से आपत्तियों का निस्तारण समयान्तर्गत कराया गया? यदि नहीं? तो क्यों? क्या 31-10-99 तक जारी न किए जाने वाले चेकों को रोके जाने के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बाराबंकी में टर्म लोन योजना के अन्तर्गत मैनुअल की धारा-8(5) तथा ज-(7) में प्राविधानित लाभार्थी अंश 7.5 प्रतिशत की जमा धनराशि को निगम द्वारा उन्हें व्याज सहित वापस की जायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा गजनफर अली खॉ-

वर्ष 1998-99 में बाराबंकी में टर्मलोन योजना की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण के विपरीत 31-10-99 तक 213 लाभार्थियों को चेक जारी किए गये तथा 61 मामले आपत्तियों के कारण उक्त दिनांक तक निस्तारित नहीं हुए।

जी नहीं।

निगम के पास मुख्यालय एवं जिला स्तर पर उपलब्ध सीमित कर्मचारियों एवं कार्याधिक्य के कारण टर्म लोन मैनुअल की धारा 9(2) के तहत लाभार्थियों से आपत्तियों का निराकरण कराने में थोड़ा विलम्ब हुआ है।

दिनांक 31-10-99 तक केवल उन्हीं 61 लाभार्थियों का भुगतान नहीं हो सका था जिनकी पत्रावलियों में कमियों का निराकरण सम्बिन्धित लाभार्थियों द्वारा किया जाना था। इसलिए इस मामले में कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

टर्म लोन मैनुअल की धारा 8(5) के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत ऋण को निगम के प्रबन्ध निदेशक को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा धारा ज(7) के अन्तर्गत टर्म लोन वितरण के लिए संस्तुति प्राविधानित है। लाभार्थी अंश की जमा धनराशि को लाभार्थी को ब्याज सहित वापस किए जाने का प्राविधान टर्म लोन मैनुअल में नहीं है। अत: ब्याज सहित धनराशि वापस किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षण के उपरान्त जो लाभार्थी पात्र नहीं पाये जायेंगे उन्हें स्वीकृत ऋण निरस्त कर दिया जायेगा और उनका लाभार्थी अंश तत्काल वापस कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत धन के विषय में पत्र की कार्यवाही

59-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख-2599-624 एवं पत्र सं0 599604 दिनांक 27-11-99 पर मुख्य मंत्री जी के आदेश जो जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग निर्माण कार्य को पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में था, का पालन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

59-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सन्दर्भित दोनों पत्रों में प्रस्तावित योजनाओं के सीमित वित्तिय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत बुनकरों तथा इस कार्य में कार्यरत अन्य श्रेणियों के श्रमिकों का वेतन निर्धारित किए जाने की माँग

60-श्री भाई लाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऊनी, सूती दरी, ऊन हैण्ड टफ्टेड कार्पेट, ऊनी तिब्बतियन, नेपाली कार्पेट और मशीन मेड कार्पेट के बुनकरों तथा इस कार्य में कार्यरत अन्य श्रेणियों के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, उ0 प्र0 न्यूनतम वेतन अधि0 1960 के अन्तर्गत निर्धारित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? उक्त का न्यूनतम वेतन कब तक निर्धारित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन उ0 प्र0 न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं, उठता।

जनपद मिर्जापुर में बाल श्रम उन्मूलन हेतु कालीन विनिर्माण की सभी इकाईयों के पंजीकरण आदि के सम्बन्ध में जानकारी

61-श्री भाई लाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में बाल श्रम उन्मूलन के नाम पर कारखाना अधिनियम 1948 ई0 के धारा 85 अधिसूचना सं0-1369/xxxvi-3-1993-46 (एफ)-86 दिनांक 4 मई, 1993 अधिसूचना संख्या-680/36-3-46 एफ-(4) एवं कारखाना अधिनियम की धारा-6 पंजीकरण ऊनी कालीन बुनकरों का किन उद्देश्यों से कराया जा रहा है? क्या यह अधिनियम कालीन निर्माता/निर्यातकों अर्थात् प्रिंसिपल इम्पलायरों के लिए परिभाषित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? ऊनी कालीन निर्माता/निर्यातकों को इस नियम की परिधि में कब तक लाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिसिद्ध करने हेतु कालीन विनिर्माण की सभी इकाईयों, चाहें उनमें एक ही श्रमिक का नियोजन हो, को चिन्हित और सूचीबद्ध किये जाने के उद्देश्य से पंजीकरण कराया जा रहा है।

कारखाना अधिनियम 1948 में आकूपायर (दखलकार) की परिभाषा से कालीन निर्माता या निर्यातक भी आच्छादित हैं। उक्त अधिसूचनाएं कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-85 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा जारी की गयी हैं, जिसके अनुसार परिसर के मालिक को ही आकूपायर माना जाना वैधानिक बाध्यता है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से नियमों की परिधि में हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

62-श्री अजय कुमार पोइया-

[दिनांक 7-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-114 द्वारा उत्तरित]

राज्य विद्युत परिषद् में मुख्य अभियन्ता कार्यालय संवर्ग के कार्यालय सहायक-I तथा आशुलिपिक श्रेणी-II में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की की गयी पदोन्नतियां एवं आरक्षण पूर्ण किए जाने की मांग

63-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् में मुख्य अभियंता कार्यालय संवर्ग के कार्यालय सहायक-I तथा आशुलिपिक श्रेणी-II में वर्ष 1994 से अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गई हैं? क्या उक्त कर्मचारियों का कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों? आरक्षण कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद् में मुख्य अभियंता कार्यालय संवर्ग के कार्यालय सहायक-प्रथम के पद पर 24 तथा आशुलिपिक श्रेणी-II के पद पर 06 अनुसूचित जनजाति/जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 1994 से अब तक की गयी है।

जी नहीं।

क्षेत्रीय कार्यालयों से पदधारिता की सूचना ससमय उपलब्ध न हो पाने के कारण कार्यालय सहायक-प्रथम के पद पर चयन नहीं किया जा सका तथा आशुलिपिक श्रेणी-III के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी अभी पात्र नहीं हैं। विद्युत सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत 14-1-2000 को पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का तीन निगमों में विभाजन हो गया है। परिवर्तित स्थिति में तीनों निगमों की पदधारिता की सूचना उपलब्ध होने पर तथा आशुलिपिक श्रेणी-II पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को पात्रता प्राप्त करने पर ही सम्बन्धित निगमों द्वारा पदोन्नति करना सम्भव होगा।

उत्तरकाशी निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किशनपुर एवं बड़कोट पुनर्गठन पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य की अवधि

64-श्री विजेन्द्र आर्या तथा श्री संजय गर्ग-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरकाशी निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किशनपुर एवं बड़कोट पुनर्गठन पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा? क्या किशनपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में प्रस्तावित कुरोली, बोंगाड़ी एवं थलन की पूरी आबादी को पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

उत्तरकाशी निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किशनपुर पेयजल योजना के निर्माण कार्य जून-2000 तक एवं बड़कोट पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण कार्य मार्च 2001 तक पूर्ण करा लिए जायेंगे।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य विधान परिषद् का अशोक बिहार, आलमपुर, लखनऊ में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में पत्र

65-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 1999 जो कि अशोक विहार, आलमनगर, लखनऊ में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण शाखा उ0 प्र0 जल निगम उत्तर काशी के अन्तर्गत निर्माणाधीन कतिपय पेयजल योजनाओं में भूमि हस्तान्तरण आदि की जानकारी

66-श्री राजपाल सिंह-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण शाखा उ0 प्र0 जल निगम, उत्तर काशी के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कौन-कौन योजनाएं शुरु की गयी हैं? निर्माणाधीन पेयजल योजना में मुखवा, हालगू-फालगू, कन्सेन, मनेरी, किशनपुर, कोटियालगाँव, पेयजल योजनाओं के लिए क्या भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गयी है? क्या उक्त भूमि का लीज रेन्ट वन विभाग में जमा कर दिया गया है? यदि हाँ, तो योजनावर कितनी-कितनी धनराशि जमा की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रधानाचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांदा व जिलाधिकारी बांदा को उ0 प्र0 चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अध्यक्ष का कर्मचारियों के उत्पीड़न किए जाने के विषयक पत्र पर कार्यवाही

67-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांदा द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किए जाने विषयक उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग जिला शाखा-बांदा के अध्यक्ष का पत्र संख्या/संघ शाखा/बांदा/99/96-103, दिनांक 30-9-99 जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा को सम्बोधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ जिला शाखा बांदा का पत्र दिनांक 30-9-99 जिसकी प्रति जिलाधिकारी को पृष्ठांकित है, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा को प्राप्त हुआ है।

चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों का किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा दिये गये मांग पत्र के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा तथा मो0 आलम, प्रान्तीय मंत्री उत्तर प्रदेशीय कर्मचारी संघ, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के मध्य समझौता वार्ता के द्वारा मांग पत्र में वर्णित प्रत्येक बिन्दु का निराकरण किया जा चुका है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांदा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्ष 1999-2000 में प्राविधानित वर्दी न दिये जाने पर जाँच की माँग

68-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासनादेश संख्या-2293-एस/1/18-7-95-25 (जी-1) 23, दि0 23-11-93 के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांदा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शीत/ग्रीष्मकालीन वर्दी दिये जाने का प्राविधान है? यदि हाँ, तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांदा में 1998-99 कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी प्रदान की गयी? क्या यह सही है कि वर्ष 1999-2000 में वर्दी वितरण नहीं की गयी? यदि हॉ, तो क्या उक्त की जाँच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

शासनादेश सं0 2293/एल/18-7-93-25 (जी-1) 93, दिनांक 27 नवम्बर 1993 के अनुसार रा0 औ0 प्र0 संस्थान बांदा में च0 श्रे0 क0 को शीत/ग्रीष्मकालीन वर्दी दिये जाने का प्राविधान है। रा0 औ0 प्र0 संस्थान, बांदा में1998-99 में बजट के अभाव में किसी भी च0 श्रे0 क0 को वर्दी प्रदान नहीं की गयी।

जी नहीं।

वर्ष 1999-2000 में 4 कर्मचारियों को शीतकालीन वर्दी वितरित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊनी कालीन दरी, टफ्टेड कार्पेट आदि में कार्यरत बुनकरों, मजदूरों के हितार्थ त्रिपक्षीय वार्ता हेतु समिति गठित किये जाने की माँग

69-श्री भाई लाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऊनी कालीन, दरी, टफ्टेड कार्पेट, नेपांली कार्पेट तथा मशीन मेड कार्पेट में कार्यरत 40 लाख बुनकरों, मजदूरों के हितार्थ त्रिपक्षीय वार्ता हेतु समिति तथा एडवाइजरी कमेटी के गठन पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

कालीन उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन दरें न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत एक अधिसूचित नियोजन है तथा इसके अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित करके उनके हितों को संरक्षण प्रदान

किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनके वेतन निर्धारण हेतु अलग से त्रिपक्षीय समिति गठित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद लखनऊ, मोहल्ला नवीन नगर, हसनगंज बावली (एक्जान स्कूल के सामने) कैम्पवेल रोड में स्ट्रीट लाइट लगाने विषयक मा0 श्री नेतराम सिंह, विधायक के पत्र पर कार्यवाही

70-श्री मुराद लारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला नवीन नगर, हसनगंज बावली (एक्जान स्कूल के सामने) कैम्पवेल रोड लखनऊ में स्ट्रीट लाइट लगाने विषयक मा0 श्री नेतराम सिंह, विधायक के कवरिंग लेटर सहित वहाँ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दि0 15 अक्टूबर, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या सही है कि उस पर उनके कैम्प कार्यालय सं0-4545/वी0 आई0 पी0/दि0 20-10-99 द्वारा निदेशक, सूडा उ0 प्र0 को कार्य कराने हेतु निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो क्या इस मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हॉ।

जी हॉ।

जी नहीं।

उक्त स्थल मलिन बस्ती में नहीं आता है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत कार्य चयनित शहरी मलीन बस्तियों में ही कराये जाने का प्राविधान है।

71-श्री राम जग तथा श्री विजय कुमार-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद देवरिया में अल्प संख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का वितरण

72-श्री मुराद लारी-

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में जनपद देवरिया में अल्प संख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का वितरण हो चुका है? यदि नहीं, तो अब तक छात्रवृत्ति वितरित न किए जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार समयबद्ध तरीके से छात्रवृत्ति का वितरण करायेगी?

राजा गजनफर अली खॉ-

वर्ष 1998-99 में जनपद देवरिया में छात्रवृत्ति हेतु आवंटित धनराशि रुपये 297.10 लाख में से रुपये 84.55 लाख का वितरण अल्पसंख्यक छात्रों को किया गया है। छात्रवृत्ति मांग पत्रों की जाँच में विलम्ब होने तथा छात्रवृत्ति वितरण की समय सीमा समाप्त होने के कारण छात्रवृत्ति वितरण हेतु अवशेष धनराशि रुपये 212.55 लाख को प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा किए जाने के निर्देश दिये गये जिसमें से रुपये 100.00 लाख की धनराशि प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया। शेष धनराशि रुपये 112.55 लाख को भी प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद कन्नौज, गुरुसहायगंज नगर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रुप से सुनिश्चित किये जाने की माँग

73-श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गुरुसहायगंज नगर जनपद कन्नौज में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था गत कई माह से खराब है, जिससे उद्योग धन्धे एवं नागरिकों को कठोर कठिनाई हो रही है? यदि हॉ, तो क्या सरकार विद्युत आपूर्ति सुचारु रुप से सुनिश्चित करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। केवल माह जनवरी, 2000 में लाइन के तार चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुआ था। माह जनवरी, 2000 में गुरुसहायगंज-कन्नौज के बीच लाइन का तार चोरों द्वारा काट लिए जाने के फलस्वरुप गुरुसहायगंज जनपद कन्नौज को विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर सिकन्दरपुर छिबरामऊ से किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित शिड्यूल के अनुसार औसतन 9.30 घंटे प्रतिदिन की गयी जो बाद में मास फरवरी, 2000 में लाइन पर तार लगाकर सामान्य कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल निगम में अभियन्ताओं की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा लगाई गयी आरक्षण सम्बन्धी आपत्ति के उपरान्त चयन

74-श्री सुधाकर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम के पत्रांक 748/ मू0 में/अ-2 दिनांक 1-7-97 के क्रम में विशेष भर्ती अभियान द्वारा अवर अभियन्ताओं के 495, सहायक अभियंता के 111 पदों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 31 अक्टूबर, 1997 में हुई थी? क्या पिछड़ा वर्ग आयोग की दिनांक 26-7-1999 को लगायी गई आपत्ति समाप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो अभी तक उक्त पदों पर नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

उ0 प्र0 जल निगम में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 91 पदों, सहायक अभियन्ता (वि0यॉ0) के 12 पदों अर्थात कुल 103 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 436 तथा जूनियर इंजीनियर (वि0यॉ) के 59 अर्थात कुल 495 पदों पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 1-7-97 के विज्ञापन के अनुक्रम में दिनांक 31 अगस्त, 1997 को आई0 आई0 टी0 कानपुर के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी।

जी नहीं।

माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग के दिनांक 26-7-99 की संस्तुति में चयन की कार्यवाही को आरक्षण अधिनियम के प्रतिकूल बताया गया है तथा आरक्षण अधिनियम की धारा-3 के अनुसार रिक्तियों में विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण का प्राविधान करते हुए चयन/नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर निगम द्वारा गृह कर के सम्बन्ध में दिये गये नोटिस के क्रम में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

75-श्री पीटर फैन्थम-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम द्वारा गृह कर के सम्बन्ध में दिये गये नोटिस के क्रम में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-99 जो कि मुख्य नगर अधिकारी/ उ0 प्र0 नगर अधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्रावली नगर निगम की मा0 उप समिति, कर निर्धारण को प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, विधान सभा क्षेत्र अहिरोरी में विद्युतीकरण हेतु चयनित गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किए जाने की माँग

76-श्री श्याम प्रकाश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 स0 क्षेत्र अहिरोरी जनपद-हरदोई में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में किन-किन गॉवों को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है? क्या चयनित सभी गॉवों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक चयनित गॉवों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विधान सभा क्षेत्र अहिरोरी जनपद हरदोई में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में कुल 13 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया जो निम्नवत् है:-

1- आदमपुर
2- कटका
3- महुई धुरी
4- फुकहा
5- जमुहिया
6- भौता कमालपुर
7-पुरबा देवरिया
8-सैचामऊ
9-अमेठिया
10-वेहरुआ
11-जनवरी
12-सारीपुर छेछेटा
13-केसवन

जी नहीं।

शेष दो ग्रामों (ग्राम भौता कमालपुर एवं पुरवा देवरिया) का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधन की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं हो सका।

77-श्री नवाब सिंह नागर-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

नोएडा पावर कम्पनी लि0 द्वारा विद्युत परिषद् में हुए अनुबन्ध के अनुसार विद्युत उत्पादन करने सम्बन्धी बिन्दु का अनुपालन करने की जानकारी

78-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नोएडा पावर कम्पनी ने विद्युत परिषद् से वर्ष 1996-97 में अनुबन्ध करते समय कम्पनी द्वारा अपना विद्युत उत्पादन करने का निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो क्या उसका पालन नोएडा पावर कम्पनी ने किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

15 नवम्बर, 1993 को पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् तथा नोएडा पावर कम्पनी लि0 के बीच नोएडा पावर कम्पनी को विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध हुआ था जिसमें कम्पनी द्वारा साढ़े चार वर्ष के अन्दर स्वयं अपने द्वारा विद्युत उत्पादन शुरु करने का भी बिन्दु है।

विधान सभा

नोयडा पावर कम्पनी लि0 द्वारा विद्युत उत्पादन करने सम्बन्धी बिन्दु का अनुपालन नहीं किया जा सका है।

उक्त अनुबंध में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा नोयडा पावर कम्पनी को आपूर्ति की गयी विद्युत दर के निर्धारण सम्बन्धी विवाद का, बावजूद प्रयासों के, समय से निपटारा नहीं हो सका जिसके कारण कम्पनी को विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में शासन स्तर से लैटर आफ इन्टेन्ट समय से दिया जाना सम्भव नहीं हो सका।

जिला उन्नाव, ब्लाक सुमेरपुर, ग्राम कलानी में बिजली के खम्भे गाड़े जाने के बाद भी बिजली का तार न लगाया जाना

79-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम कलानी, ब्लाक सुमेरपुर, जिला उन्नाव एवं उसके मजरों में कई माह पूर्व विद्युतीकरण हेतु बिजली के खम्भे गाड़े जाने पर भी उनमें बिजली के तार नहीं लगाये गये है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ग्राम कलानी में हाल में कोई विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है। वर्ष 1982-83 में निजी नलकूप परिसर से कुछ पोल लगाकर गांव में विद्युत लाइन बनायी गयी थी। इस ग्राम का विधिवत् विद्युतीकरण किसी योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है। कोई कनेक्शन न होने के कारण कालान्तर में लाइन के क्षतिग्रस्त होने पर उसे ठीक नहीं किया गया।

कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। यदि वहां कनेक्शन लेने के लिए लोग इच्छुक हों तभी विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सुमेरपुर में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण

80-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998-99 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति ग्रान खरझारा एवं परसन्डा, ब्लाक बीघापुर एवं गुलरिहा, विकास खण्ड सुमेरपुर, जिला उन्नाव का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ग्राम खरझारा, परसन्डा ब्लाक बीघापुर एवं गलेरिया, विकास खण्ड सुमेरपुर, जिला उन्नाव का विद्युतीकरण करा दिया गया है।

जिला उन्नाव, ब्लाक सुमेरपुर के अम्बेडकर गांव पनईखुर्द में विवाद के कारण विद्युतीकरण का कार्य पूरा न किया जाना

81-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर गांव पनईखुर्द, ब्लाक सुमेरपुर, जिला उन्नाव के विद्युतीकरण हेतु गांव के आधे हिस्से में बिजली के खम्भे गाड़े गये है? क्या उनमें अभी तक तार नही बांधे गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां, ग्राम के 14 पोल पर तार लगे हैं तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हां, पांच पोल खड़े हैं जिनमें तार नही लगाये गये हैं क्योंकि अनुसूचित जाति बस्ती में लाइन ले जाने में भूमि-विवाद हो जाने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका!

कोई दोषी नहीं प्रतीत होता तथा अब भूमि विवाद हल हो गया है, अत: शेष विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा।

जून,2000 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बांसी के ग्राम झुडिया बुजुर्ग में विद्युतीकरण का कार्य न होने का कारणों की जानकारी

82-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सिद्धार्थनगर के ग्राम सेमरा विशनपुर, सकारपार न्यूटा आदि ग्रामों का विद्युतीकरण लगभग 6 माह पूर्व कराया था? यदि हां, तो उक्त ग्रामों से लगा ग्राम झुडिया बुजुर्ग तहसील बांसी का विद्युतीकरण न किये जाने के क्या कारण है? क्या मंत्री जी ग्राम झुडिया बुजुर्ग का विद्युतीकरण करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ग्राम सेमरा विशुनपुर एवं सकारपार, तहसील बांसी का विद्युतीकरण हो गया है। ग्राम झुडिया बुजुर्ग नाम का कोई ग्राम विधायक कोटा/सांसद कोटा/अम्बेडकर ग्राम/जिला योजना में चयनित नहीं है।

अत: कथित ग्राम झुडिया बुजुर्ग, तहसील बांसी का विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं है। प्रचलित किसी भी योजना के अंतर्गत उक्त ग्राम चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

83-श्री अजय कुमार पोइया-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण से वंचित रह गये गांवों की संख्या एवं विद्युतीकरण कराये जाने का प्राविधान

84-श्री राततेज यादव एडवोकेट-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित रह गये हैं? उन गांवों का विद्युतीकरण कराने के लिए सरकार क्या कोई व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 94 है।

मा0 विधायकों की सुस्तुति पर पाँच ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने का प्रावधान हैं।

उ0प्र0 जल निगम शाखा हरदोई द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के कार्य का भुगतान मस्टर रोल के माध्यम से कराया जाना

85-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 जल निगम शाखा हरदोई द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य लघु (पिटी) ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है परन्तु भुगतान विभागीय पद्धति मस्टर रोल बनवाकर निकाला जा रहा है? क्या इससे मस्टररोल की वैधता संदिग्ध प्रतीत होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर नियमानुसार कार्य न करने वाले दोषी कर्मचारियों के वि॰ कार्यवाही करेगी?

श्रीलालजी टंडन-

जी नहीं। उ०प्र० जल निगम शाखा हरदोई द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापनं का कार्य विभागीय पद्धति से मस्टररोल पर कराया जा रहा है एवं भुगतान भी नियमानुसार मस्टररोल के माध्यम से ही किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां की ग्राम पंचायत सदरपुर के विद्युतीकरण व्यवस्था के नवीनीकरण तथा मजरा लालपुर एवं अलमापुर में विद्युतीकरण की मांग

86-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज की ग्राम पंचायत सदरपुर स्वर्ण जयन्ती योजना के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित है? वर्ष 1997से योजना लागू होते हुए भी ग्राम सदरपुर के मजरा लालपुर एवं अलमापुर का अभी तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया है? क्या सदरपुर की जर्जर विद्युतीकरण व्यवस्था का नवीनीकरण भी नहीं किया गया है? क्या इस कारण स्वर्ण जयन्ती योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सदरपुर की लाइन बदलने तथा विद्युत व्यवस्था के नवीनीकरण तथा मजरा लालपुर एवं अलमापुर का विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हॉ।

जी हॉ। ग्राम सदरपुर का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-79 को हो चुका है। संबंधित मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है।

सदरपुर की विद्युत व्यवस्था जर्जर नहीं है। इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कनेक्शन दिये गये हैं।

मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया जायेगा क्योंकि स्वर्ण जयंती योजना में सदरपुर के मजरे चयनित नहीं हैं।

बाराबंकी के मदरसा दारुल उलूम, पीरबटावन की विवादित प्रबन्ध समिति के एक पक्ष के प्रधानाचार्य को निलम्बित करने सम्बंधी प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

87-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री को जानकारी है कि बाराबंकी के मदरसा दारुल उलूम, पीरबटावन की प्रबन्ध समिति विवादित है? यदि हां, तो क्या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी ने रजिस्ट्रार अरबी फारसी मदरसाज उ०प्र० को प्रेषित अपने पत्र संख्या-363/99-2000 दिनांक 13-7-99 में मदरसे की विवादित प्रबन्ध समिति के एक पक्ष का प्रधानाचार्य के निलम्बित करने संबंधी प्रस्ताव संलग्न करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोनीत किये जाने की अनुमति मांगी है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाराबंकी ने विवादित प्रबन्ध समिति के एक पक्ष के प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए उसके आधार पर कार्यवाही की है?

राजा गजनफर अली खॉ-

जी नहीं।

जी हॉ।

मदरसा एक अल्पसंख्यक संस्था है। समिति को अपने कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लेने व कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय के अनुपालन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कार्यवाही की गयी।

उ0प्र0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000में व्यवसाय में लगाई गयी पूंजी एवं लाभ तथा उक्त कम्पनी को नोडल एजेन्सी बनाये जाने हेतु सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

88-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उ0प्र0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कितनी पूंजी का व्यवसाय किया हैं? उक्त व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है?क्या उक्त कम्पनी को इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिक के लिए नोडल एजेन्सी बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

यू0पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु0 782.79 लाख का व्यवसाय किया है।

संदर्भित व्यवसाय में कम्पनी को रु0 30.28 लाख का लाभ अनुमानित है।

जी नहीं, क्योंकि यू0पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को उत्तरांचल क्षेत्र में सौर ऊर्जा तथा फोटो वोल्टाइक उपकरणों के लिए नोडल एजेन्सी घोषित करने के लिए पत्र दिनांक 22-9-98 को भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

89-श्री नेत राम सिंह-

[दिनांक 28-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-182 द्वारा उत्तरित।]

लखनऊ स्थित थाना सहादतगंज काश्मीरी मोहल्ला चौकी में बने पब्लिक डिपाजिट टाइप शौचालय को हटाकर फ्लश टाइप के शौचालय का निर्माण कराये जाने की मांग

90-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित काश्मीरी मोहल्ला पुलिस चौकी थाना सहादतगंज में पब्लिक डिपाजिट टाइप शौचालय बना है क्या यह सही है कि उक्त पुलिस चौकी एवं पब्लिक डिपाजिट टाइप शौचालय के मध्य धार्मिक स्थल है? क्या उक्त शौचालय का प्रयोग होने के कारण पूरे क्षेत्र में संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शौचालय को हटाकर फ्लश टाइप के शौचालय का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन-

जी हॉ।

जी हॉ।

जी नहीं।

प्रश्नगत शौचालय पुलिस विभाग द्वारा बनवाया गया है, जिसका उपयोग पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाता है। इस शौचालय को हटाकर फ्लश टाइप शौचालय का निर्माण कराने संबंधी कार्य गृह विभाग से संबंधित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छीतरपार व मझरतिया में विद्युत खम्भे लगाये जाने के लिए पत्र एवं उस पर कार्यवाही

91-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छीतरपार व ग्राम पंचायत मझरतिया में विद्युत खम्भे लगाने के लिये प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-क- 407649 दिनांक 2-12-99 व पत्र संख्या-क- 407648 दिनांक 2-12-99 प्राप्त हुये है? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हॉ।

ग्राम पंचायत छीतरपार व ग्राम पंचायत मझरतिया के खम्भे लगाये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कराया जा चुका है, लेकिन संबंधित कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। धन की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं हो सका।

जनपद बदायूं, नगरपालिका परिषद् विलसी को शासन द्वारा दिये गये अनुदान को दुरुपयोग किये जाने के कारण इसकी जॉच टी0 ए0 सी0 द्वारा किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

92-श्री भोला शंकर मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा नगरपालिका परिषद् विलसी जनपद बदायूं को 20 लाख रुपये का विशेष अनुदान जो नाली व सड़कों के निर्माण एवं बिजली के विस्तार हेतु स्वीकृत किया गया था, के दुरुपयोग किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क- 2006868 दिनांक 31मार्च, 1999 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि से कराये जा रहे कार्यो की टी0ए0सी0 से करायी गयी जांच की क्या प्रगति है? क्या उक्त जांच पूरी हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हॉ।

टी0 ए0 सी0 में किसी प्रकार की कोई प्रयोगशाला न होने के कारण टी0 ए0 सी0 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्यो की जॉच करने से इन्कार कर दिया गया।

टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच करने से इन्कार कर दिये जाने के फलस्वरुप अब यह प्रकरण लोक निर्माण विभाग, बदायूं के माध्यम से लोक निर्माण विभाग अन्वेषणालय, लखनऊ को परीक्षण हेतु संदर्भित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजनान्तर्गत रेल नगर में भवनों एवं भूखण्डों का कब्जा दिलाने, कब्रिस्तान के मुख्य द्वार को बदलने तथा शवों के दफनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग

93- श्री बनवारी लाल दोहरे--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-52 के उत्तर के संबंध में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन भवनों व भूखण्डों का कब्जा दिया जाना शेष है? क्या सरकार यहां के नागरिकों की मुख्य समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कब्रिस्तान के मुख्य द्वार को पम्प हाऊस की तरु से गैर विवादित भूमि पर स्थानान्तरित कराने का आदेश पारित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन--

मा0 विधायक द्वारा किये गये पूर्व प्रश्न के उपरान्त अवशेष 8 भवनों में से 7 भवनों तथा तीन भूखण्डों में से दो भूखण्डों का कब्जा दिया जाना शेष है। उक्त भवनों तथा भूखण्डों की सूची संलग्न है।

कब्रिस्तान की भूमि विवादित है, अत: वर्तमान में कब्रिस्तान का मुख्य द्वार पम्प हाउस की ओर से अन्यत्र गैर विवादित भूमि पर स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(क्रमशः 'ख' आगे पृष्ठ ----पर)

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत स्थित रेल नगर कालोनी सेक्टर-जे की सड़कों पर प्रीमिक्सिंग तथा पटरी ड्रेसिंग का कार्य पूर्ण कराने की मांग

94-श्री बनवारी लाल दोहरे-

विधान सभा के प्रथम सत्र,1999 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-69 के उत्तर के संबंध में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रशासनिक स्वीकृति कब और कितनी धनराशि की प्रदान की ऋगयी है? क्या माह जुलाई, अगस्त, 1999 में महामंत्री, युवा कल्याण समिति, रेलनगर का कोई पत्र उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में डी0 सी0 यू0 पैटर्न पर उपरोक्त कार्य अविलम्ब पूर्ण कराने के निर्देश पारित कर इस समस्या से नागरिकों को राहत प्रदान करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री लाल जी टण्डन-

मा0 विधायक के पूर्व प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में वांछित कार्यो हेतु दिनांक 3-5-2000 को धनराशि रुपये 5,44,000.00 की प्रशासनिक स्वीकृति लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी है?

जी हाँ।

चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वांछित कार्य डी0 सी0 यू0 पैटर्न पर ही कराया जा रहा है, अत: इस हेतु शासन द्वारा अलग से कोई निर्देश दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजनान्तर्गत रेलनगर/केन्द्रनगर सेक्टर-जे में बी, सी एवं सी-1टाइप के भवनों की संख्या एवं निर्मित किये जाने का वर्ष एवं रजिस्ट्री किये भवनों का विवरण

95-श्री बनवारी लाल दोहरे-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर [illegible] "जे" में बी, सी तथा सी-1 टाइप के कुल कितने-कितने भवन कब-कब निर्मित कराये गये थे? इनमें से कितने भवनों की रजिस्ट्री अब तक आवंटियों द्वारा करायी जा चुकी है? क्या सी-1 टाइप के भवनों के प्रारम्भिक कास्टिंग में सीवर, वाटर कनेक्शन चार्जेज आदि सम्मिलित कर लिये गये थे?

श्री लाल जी टण्डन-

सन्दर्भगत सेक्टर में बी, सी एवं सी-1 टाइप के क्रमश: 22,09 एवं 64 भवन (कुल 95 भवन) निर्मित कराये गये थे। उक्त समस्त भवन वर्ष 1987-88 में निर्मित कराये गये थे।

बी, सी एवं सी-1 टाइप के क्रमश: 16,04 एवं 20 (कुल 40) भवनों की रजिस्ट्री आवंटियों द्वारा जा चुकी है।

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत सेक्टर-"जे" स्थित रेल नगर/केन्द्र नगर में आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण को हटाने की मांग

96-श्री बनवारी लाल दोहरे-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना अन्तर्गत सेक्टर-"जे" स्थित रेल नगर/केन्द्र नगर में भवन संख्या-ए-39 से ए-42 के सामने से गई सड़क जो कालोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ती है, के दूसरी तरफ प्राधिकरण द्वारा बनाये गये बरसाती नाले को पाटकर कुछ पक्का निर्माण करा लिया गया है? यह पक्का निर्माण अर्जन अभिलेख/ले आऊट प्लान के अनुसार किस खसरा नम्बर पर स्थित है? इसका अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कब किया गया था? क्या यह भूमि प्राधिकरण द्वारा किसी को आवंटित की गयी है? यदि नहीं, तो इस भूमि पर उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा कब तक हटा कर नाले को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

उक्त निर्माण भूमि खसरा संख्या-301 क्षेत्रफल 0-1-0.0 ग्राम भदारुख पर स्थित है एवं राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की भूमि के रुप में अंकित है।उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज के रुप में दर्ज है, जिसके अर्जन की आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं।

नाले का अतिक्रमण हटाने के लिए दि0 28.4.2000 की तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। शीघ्र ही पुलिस बल के उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1999-2000 से पूर्वाचँल विकास निधि के राज्यांश से मार्ग एवं पुल निर्माण कराने में सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

97-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश वर्ष 1999-2000 सं जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग एवं पुल निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्ता के पत्र ख-2-599449 दिनांक 30-10-1999, ग-2-700287 तथा ख-2-599556 दिनांक 17-11-1999 एवं 19-11-1999 प्रमुख सचिव, नियोजन को मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुये है? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ। प्राप्त संदर्भित पत्र निम्न प्रकार है:-

पत्र ख-2-599449 दिनांक 27.10.99 ग-2-700287 दिनांक 6.11.99 तथा ख-2-599456 दिनांक शून्य।

उपरिउल्लिखित पत्रों द्वारा प्रस्तावित कतिपय योजनाओं में से सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए दो योजनाओं (1) डुहिया से सराय शंकर मार्ग का निर्माण तथा (2) उसका में परैया नाले पर पुल का निर्माण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड छपिया में जिला योजनान्तर्गत वर्ष 1999-2000 में चयनित ग्राम बुकनापुर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

98-श्री कृपाशंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बुकनापुर विकास खण्ड छपिया, जिला गोण्डा के विद्युतीकरण किये जाने हेतु जिलायोजनान्तर्गत वर्ष 1999-2000 में चयनित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस हेतु विद्युत परिषद् शक्ति भवन विस्तार लखनऊ के पत्र संख्या रेस्पो/ग्राम0 वि0/बी0 आई0 पी0 दिनांक 29 जून, 1999 को मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ को धनराशि भी हस्तानान्तरित कर दी गयी है? यदि हां, तो अब तक विद्युतीकरण कार्य न किये जाने के क्या कारण है? कब तक विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जी हाँ।

30 जून, 2000 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

99-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त तहसील मुनस्यारी व धारचूला में चमखरीक नामक वृक्ष का प्लान्टेशन की योजना शुरु किये जाने की मांग

100-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ जनपद के सीमान्त तहसील मुनस्यारी व धारचूला के ऊंचाई वाले वनों में चमखरीक नामक बहुमूल्य वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं? क्या उसकी लकड़ी बहुमूल्य तथा बहुपयोगी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चमखरीक वृक्ष प्लान्टेशन की दीर्घकालीन योजना शुरु करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हाँ।

चमखरीक नामक वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में नम एवं अच्छी भूमि पर चौड़ी पत्ती के वनों में छिटपुट रुप में पाया जाता है।

इस प्रजाति का उपयोग वस्त्र उद्योग में शटल बनाने में होता है।

इस प्रजाति की छिटपुट विद्यमानसा की प्रकृति के कारण शुद्ध वृक्षारोपण (मोनोकल्चर) तैयार नहीं किये जाते हैं। इस प्रजाति के हरें वृक्षों का पालन निषिद्ध है। विद्यमान वृक्षों से प्राकृतिक पुर्नजनन की सहायता ली जाती है।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र, उतरौला की ग्राम पंचायत गोनकोट व पुरैना वाजिद में विद्युत खम्भे लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

101-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र, उतरौला की ग्राम पंचायत गोन कोट व पुरैना वाजिद में विद्युत खम्भे लगाने के लिये प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-क- 407650 दिनांक 2.12.99 व पत्र सं0-407647 दि0 2.12.99 उन्हें प्राप्त हुये है? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

ग्राम पंचायत गोनकोट व पुरैना वाजिद में खम्भे लगाये जाने हेतु आवश्यक प्राक्कलन तैयार कराया जा चुका है, लेकिन सम्बन्धित कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। इस मद में कोई धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम सभा नरायणपुर व रसूलपुर सूर में विद्युत खम्भे लगाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्यवाही

102-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम सभा नरायणपुर व ग्राम सभा रसूलपुर सूर में विद्युत खम्भे लगाने हेतु सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड उतरौला को प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-अ-398826 दिनांक 9.8.99 व पत्र संख्या-क- 407498 दिनांक 5.8.99 प्राप्त हुये है? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्राम सभा नरायणपुर एवं रसूलपुर में खम्भे लगाये जाने हेतु प्राक्कलन बनाया जा चुका है। लेकिन संबन्धित कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।इस मद में कोई धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत महुवा इवा हीम व महुआ बाजार आदि में विद्युत खम्भे लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

103-श्री उबैदर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत महुवा इवा हीम व महुवा बाजार तथा टेढ़वा बाद में विद्युत हेतु सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड उतरौला को प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-अ- 398815 व पत्र संख्या-अ-398814 तथा पत्र संख्या-अ-398816 दिनांक 7.8.99 प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

ग्राम महुवा इवराहिम एवं महुआ बाजार में खम्भे लगाने हेतु 29,262 रुपये एवं टेढ़वा नावावाद हेतु 40,877 रुपये का प्राक्कलन बनाया गया लेकिन वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत इटईरामपुर (कुकुर भुकुला) व मनकापुर रोड पर चांद औलिया में विद्युत खम्भे लगाने हेतु विद्युत अभियन्ता को दिया गया प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

104-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत इटईरामपुर (कुकुर भुकुला) व मनकापुर रोड पर चांद औलिया में विद्युत खम्भे लगाने हेतु सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड उतरौला को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-अ-398817 दिनांक 7.8.99 व पत्र

संख्या-अ-398818 दिनांक 8.8.99 प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

ग्राम पंचायत इटईरामपुर (कुकुर भुकुला) व मनकापुर रोड पर चांद औलिया में खम्भे लगाये जाने हेतु आवश्यक प्राक्कलन तैयार कराया जा चुका है लेकिन संबंधित कार्य किसी योजना में प्रास्तावित नहीं है। इस मद में कोई धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के गांवों की विद्युत तारों की चोरी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

105-श्री राम शंकर पाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ जनपद उन्नाव के लगभग पचास गांवों की विद्युत तारों की हुई चोरी के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी उन्नाव को दिनांक 9.7.99 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है? क्या प्रश्नगत खम्भों पर तार लगवाकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

विधान सभा बांगरमऊ के प्रश्नगत ग्रामों से संबंधित विद्युत तारों की चोरियों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दो चरणों में दिनांक 30.12.99 तथा दिनांक 5.2.2000 को दर्ज कर ली गई है।

जी हाँ।

भंडार से सामग्री उपलब्ध होते ही पुनः लाइन बनाकर विद्युत आपूर्ति शीघ्र सामान्य कर दी जायेगी।

राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में योगदान

106-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अलावा कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है? क्या यह सही है कि उक्त निगम के पास वर्तमान में कोई कार्य नहीं है? यदि हां, तो उक्त निगम को अस्तित्व में बनाये रखने का क्या औचित्य हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उत्पादन निगम के अन्तर्गत वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के अतिरिक्त लगभग 14,500 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं।

जी नहीं. वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत अनपरा, ओबरा, पनकी, पारीक्षा एवं हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कार्यरत है। इसके अतिरिक्त तापीय परिकल्पना अनुश्रवण इकाई आदि भी कार्यरत है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

जनपद आजमगढ़ की विभिन्न नगर पंचायत क्षेत्रों में वाहन पड़ाव अड्डों पर हो रही अवैध वसूली

107-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की विभिन्न नगर पंचायत क्षेत्रों में वाहन पड़ाव अड्डों पर अवैधानिक वसूली की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत क्षेत्रों में वाहन पड़ाव अड्डों के नाम पर हो रही अवैधानिक वसूली को रोकने की कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ की विभिन्न नगर पंचायत क्षेत्रों में वाहन पड़ाव अड्डों पर किसी प्रकार की कोई अवैधानिक वसूली नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में विभिन्न नगर पंचायतों के वाहन पड़ाव अड्डों की तहबाजारी से प्राप्त राजस्व का विवरण

108-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में विभिन्न नगर पंचायतों के वाहन पड़ाव अड्डों की तहबाजारी से उक्त नगर पंचायतों को नगर पंचायत वार वर्ष 1999-2000 में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?

श्री लाल जी टण्डन-

जनपद आजमगढ़ में विभिन्न नगर पंचायतों के वाहन पड़ाव अड्डों की तहबाजारी से राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्नवत् है:-

1-नगर पंचायत मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ :--

इस निकाय की वाहन पड़ाव अड्डों पर तहबाजारी/टैक्सी स्टैण्ड शुल्क वसूल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु0 2,40,100/- की राजस्व प्राप्ति हुयी है।

2-नगर पंचायत जीयनपुर :--

इस निकाय में वाहन पड़ाव अड्डों पर तहबाजारी की वसूली नहीं की जाती है, बल्कि टैक्सी स्टैण्ड स्थल शुल्क से वर्ष 1999-2000 में रु0 5,43,433/- की राजस्व प्राप्ति हुयी है।

3-नगर पंचायत सरायमीर :--

नगर पंचायत सरायमीर जनपद आजमगढ़ को वर्ष 1999-2000 में वाहन पड़ाव अड्डों की तहबाजारी से कुल रु0 4,75,000/- राजस्व प्राप्त हुआ है।

4-नगर पंचायत फूलपुर :--

नगर पंचायत फूलपुर में वाहन पड़ाव अड्डों की तहबाजारी से वर्ष 1999-2000 में कुल रु0 8,51,000/- राजस्व प्राप्त हुआ है।

5-नगर पंचायत कटघर, लालगंज :--

नगर पंचायत कटघर लालगंज द्वारा तहबाजारी कर/टैक्सी स्टैण्ड तहबाजारी कर की वसूली से वर्ष 1999-2000 में कुल रु0 7,19,451/- प्राप्त हुआ है।

6-नगर पंचायत महराजगंज :--

वर्ष 1999-2000 में नगर पंचायत महराजगंज को रु0 3,45,000/- राजस्व प्राप्त हुआ है।

7-नगर पंचायत बिलरियागंज :--

वर्ष 1999-2000 में नगर पंचायत बिलरियागंज को रु0 4,26,000/- राजस्व प्राप्त हुआ है।

8-नगर पंचायत निजामाबाद :--

वर्ष 1999-2000 में नगर पंचायत निजामाबाद को तहबाजारी से कुल रु0 3,86,900/- प्राप्त हुआ है।

9-नगर पंचायत अतरौलिया :--

नगर पंचायत अतरौलिया को वर्ष 1999-2000 की तहबाजारी से 1,80,500/- राजस्व प्राप्त हुआ है।

10-नगर पंचायत अजमतगढ़ :--

नगर पंचायत अजमतगढ़ को वर्ष 1999-2000 में वाहन पड़ाव अड्डे से कुल रु0 3,06,000/- राजस्व प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार आजमगढ़ जनपद में उपरोक्त सभी नगर पंचायतों से वाहन पड़ाव अड्डों की तहबाजारी के रुप में वर्ष 1999-2000 में रुपये 44,73,384/- (चौवालिस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ चौरासी मात्र) की धनराशि राजस्व के रुप में प्राप्त हुई है।

जनपद मथुरा के नगर पंचायत गोवर्धन के अध्यक्ष के विरुद्ध विधायक कोष्ठक के पत्र पर कार्यवाही

109-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगर पंचायत गोवर्धन जनपद मथुरा के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0 /वि0को0/एम-2/27472/ मथुरा/99, दिनांक 6.11.99 प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-131 एम0एल0ए0/9-1-99-67 च/96 दिनांक 27 जनवरी, 2000 द्वारा अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी। अध्यक्ष द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर नगर में व्यवसाइयों द्वारा निजी जनरेटर लगवाकर निम्न वर्ग के व्यवसाइयों को कनेक्शन देकर धन अर्जित किये जाने के विषय में जांच

110-श्री गोपाल कृष्ण-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के पूरनपुर नगर में व्यवसाइयों द्वारा 60 के0वी0 एवं 110 के0वी0 के निजी जनरेटर लगवाकर विद्युत उत्पादन करके छोटे व निम्न वर्ग के व्यवसाइयों को कनेक्शन देकर धन अर्जित किया जा रहा है? क्या उक्त व्यवसाइयों को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांचोपरान्त उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनरेटर स्थापित करने की अनापत्ति तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दी जाती थी, जो वर्तमान में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कनेक्शन देकर धन अर्जित करने की जांच की जा रही है।

जी हाँ। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत कैथोलिया सलेमपुर तथा इरावापुर (चवई) बुजुर्ग व मोहन जोत में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने हेतु अभियन्ता को प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

111-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत कैथोलिया सलेमपुर में 63 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर लगाने हेतु तथा इरावापुर (चवई) बुजुर्ग व मोहन जोत में 63 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर लगाने हेतु सहायक अभिन्यता विद्युत वितरण उपखण्ड उतरौला को प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या अ-398820 दिनांक 8.8.99 व पत्र संख्या अ-398821 दिनांक 8.8.99 व पत्र संख्या अ-398822 दिनांक 8.8.99 प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

ग्राम मोहनजोत में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर 12/99 में लगा दिया गया है। ग्राम मलकापुर (धवई बुजुर्ग) में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है जो वर्तमान भार के अनुरुप है। ग्राम धौलिया सलेमपुर में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर ब्लाक जैतीपुर के ग्राम मनपुरा के विद्युतीकरण में पक्षपात कर अनुसूचित जाति बस्ती की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

112-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 4.8.99 या इसके आसपास जनपद शाहजहांपुर ब्लाक जैतीपुर के ग्राम भनपुरा के विद्युतीकरण में पक्षपात कर अनुसूचित जाति बस्ती की उपेक्षा करने की जांच के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां,तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

पत्र में वर्णित शिकायत की जांच अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। जांच के निष्कर्ष के पश्चात् यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

पिथौरागढ़ में वर्ष 1992-93 में प्रस्तावित "अप्पू घर" का निर्माण

113-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ में "अप्पू घर" का निर्माण क्या वर्ष 1992-93 से प्रस्तावित है? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से शुरु कर दिया जायेगा? वर्तमान में उसके निर्माण की अनुमानित लागत क्या है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

वर्ष 92-93 में योजना प्रस्तावित थी।

नियमानुसार आगणन न होने के कारण योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थानीय निकाय जल कल बेला प्रतापगढ़ के वेतन से कटौती के संबंध में जांच एवं कार्यवाही की मांग

114-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-118 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच आख्या एवं की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है? दोषी कौन-कौन लोग है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लाल जी टण्डन-

जांच आख्या दिनांक 14.7.99 के अनुसार 2 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु स्वाभाविक होने के कारण दुर्घटना पालिसी नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि नियमानुसार उन्हें देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

115-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[दिनांक 10.4.2000 को अता0प्र0सं0-97 द्वारा उत्तरित।]

जनपद हरदोई, श्रीमती शफकत फातिमा, निवासी नुसरत मंजिल, सण्डीला का उनकी जमीन पर लगे ट्रान्सफार्मर को हटाने एवं हटने की तिथि तक किराया दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

116-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शफकत फातिमा, निवासी नुसरत मंजिल, सण्डीला, जनपद हरदोई की जमीन पर लगे ट्रान्सफार्मर को हटाने एवं हटने की तिथि तक उक्त जमीन का किराया दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ग-2-नं0- 761509, दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उक्त ट्रान्सफार्मर को तत्काल हटाने एवं हटने की तिथि तक उक्त जमीन का किराया दिलाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जी नहीं।

उक्त भूमि पर परिवर्तक जनहित में सर्व सहमति से ही लगाया गया था। अत: जमीन का किराया देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी (महाप्रबन्धक प्रशासन) यू0पी0 डेस्को लखनऊ द्वारा अनियमितता किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

117-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी (महाप्रबन्धक प्रशासन) यू0पी0 डेस्को लखनऊ द्वारा अनियमितता किये जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय अनु0 जाति जनजाति अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ उ0प्र0 का मुख्य मंत्री, नियोजन मंत्री, अध्यक्ष अनु0 जाति जनजाति आयोग, प्रमुख सचिव, नियोजन, सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो एवं प्रबंध निदेशक यू0पी0 डेस्को को सम्बोधित पत्र सं0 17/99-2000 एवं 99/99-2000 क्रमश: दिनांक 19.9.99 एवं 29.10.99 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पत्रों पर कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पत्र संख्या-17/99-2000, दिनांक 18.9.99 तथा संख्या-99/99-2000, दिनांक 26.11.99 को प्राप्त हुए हैं।

शासनादेश सं0-3908/35-2-98-11(10)/16,152, दिनांक 7/8 दिसम्बर, 1998 के अनुसार शोध सहायक का कोई पद सृजित नहीं है। निगम के निदेशक मण्डल ने श्री राम कुमार भारतीय को उनके विषय में मा0 न्यायालय के आदेश न होने के कारण शोध सहायक के पद पर नियुक्ति/नियमितीकरण हेतु योग्य नहीं पाया है।

2. संदर्भित शासनादेश दिनांक 7/8 दिसम्बर, 1998 द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व अनुभाग अधिकारी को एक-एक पद स्वीकृत है। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के अन्तर्गत एकल पदों पर कोई आरक्षण नहीं बनता है। उक्त पदों पर ज्येष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति नियमानुसार की जा चुकी है।

3. यू0पी0 डेस्को में 16 कार्मिकों की जो पदोन्नति की गयी वह निमानुसार है। इन पदों पर आरक्षण संबंधी शासनादेश के प्राविधानों का पालन किया गया है। इस शासनादेशानुसार वरिष्ठ शोध अधिकारी के 2 पद सृजित हैं जिसमें से एक पद पूर्व से ही भरा हुआ है। ग्रामीण प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष के अनुसार वरिष्ठ शोध अधिकारी के एक पद पर प्रोन्नति पर पर्याप्त कार्यभार न होने के कारण विचार नहीं किया गया है।

इसी शासनादेशानुसार कार्यालय अधीक्षक के 7 पद सृजित हैं इनके विरुद्ध 6 पद भरे हैं व एक पद खाली है। इस पद को भी पर्याप्त कार्यभार न होने के कारण नहीं भरा गया है।

श्री किशोर वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हैं। निगम की सेवानियमावली के अनुसार प्रोन्नत कोटे के 25 प्रतिशत पद भरे हुए हैं तथा इस पद हेतु आरक्षण का कोटा भी पूरा है। इसलिए इनकी पदोन्नति नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 की भिन्न-भिन्न इकाइयों में कार्यरत कल्याण अधिकारियों को पांचवे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश जारी किये जाने की मांग

118-श्री राकेश सोनकर-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 की भिन्न-भिन्न इकाईयों में कार्यरत कल्याण अधिकारियों की पांचवे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिये जाने हेतु श्रम विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत कर दिये गये है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक तत्सम्बन्धी शासनादेश निर्गत कर दिये जायेंगे?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रकरण में आपत्तियां एवं सुझाव हेतु अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है।

अधिसूचना में निर्धारित अवधि के प्राप्त सुझावों व आपत्तियों पर विचारोपरान्त एतद्संबंधी शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्रामों का विद्युतीकरण से सम्बन्धित मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र पर कार्यवाही

119-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0 को0/एम-2/26811/हरदोई 99 जो जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के स्वर्ण जयन्ती ग्राम सदरपुर

के मजरा लालपुर व अलमापुर तथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम बांसा के मजरा सथरा व मढ़िया, कहारनपुरवा आदि मजरों का विद्युतीकरण कराने से संबंधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्राम सदरपुर व बांसा पूर्व से विद्युतीकृत है। स्वर्ण जयन्ती ग्रामों के सभी मजरों को विद्युतीकरण करने के कोई आदेश नहीं है।जिसके कारण मजरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर, तिलहर नगर में स्वीकृत 33 के0बी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन तथा 5 ए0 बी0 ए0 के स्थान पर कम शक्ति का ट्रान्सफार्मर लगाया जाना

120-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में 33 के0बी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन तथा 5 ए0बी0ए0 स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त सब स्टेशन पर 3 ए0बी0ए0 ही लगाया गया तथा एम0-ओ0सी0 जो विद्युत को नियंत्रित करती है नहीं लगाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

वर्ष 1998-99 के कार्यक्रम में तिलहर में नये 33 के0बी0 उपकेन्द्र IXI, 5 एम0बी0ए0 का निर्माण स्वीकृत था।

जी हां, तिलहर में 33 के0बी0ए0 का 3.0 एम0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर संस्थापित किया गया। क्योंकि 1.5 एम0बी0ए0 का ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं था।

जी हां।

1.5 एम0बी0ए0 के सब स्टेशन पर एम0ओ0सी0वी0 का प्राविधान नहीं होता है।

प्राविधान के अनुसार 33 के0बी0 फ्यूज सेट लगाया गया।

कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक जैतीपुर के ग्राम भनपुरा के विद्युतीकरण में अनुसूचित जाति बस्ती की उपेक्षा के सम्बन्ध में पत्र

121-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दि0 4.9.1999 जो जनपद शाहजहांपुर , ब्लाक जैतीपुर के ग्राम भनपुरा के विद्युतीकरण में अनुसूचित जाति बस्ती की उपेक्षा करने की जांच के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

पत्र में वर्णित शिकायत की जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तिन्दवारी (बांदा) से निकली धौसड़ मेन लाइन की मरम्मत किये जाने की मांग

122-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तिन्दवारी (बांदा) से पुरानी 30 के0 एम0 लम्बी धौसड़ मेन लाइन की जर्जर विद्युत उपकरणों की मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान में 33 के0वी0 विद्युत उपस्थान तिन्दवारी (बांदा) से निकली 30 कि0मी0 लम्बी धौसड़ लाइन पूर्णत: ऊर्जीकृत एवं स्वस्थ है तथा वर्तमान में इसमें किसी भी प्रकार की मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं है।

निदेशक स्थानीय निकाय,उ0प्र0 के स्तर पर श्री मान सिंह पुष्कर, सेवा निवृत्त अधिशासी अधिकारी की सुविधाओं विषयक पत्र

123-श्री गंगा प्रसाद पुष्कर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को पेंशन प्रकरण एवं चिकित्सा अवकाश ग्रेच्यूटि, नगदीकरण के भुगतान कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17.2.1999 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

उक्त पत्र को दृष्टि में रखकर श्री मानसिंह पुष्कर, सेवा निवृत्त अधिशासी अधिकारी (दि0 31.1.98 अपरान्ह) के सेवा निवृत्ति सुविधाओं विषयक तथा अन्य मामलों में निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 के स्तर पर अब तक की कार्यवाही की बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है:-

क्रम सं0	मद	की गई कार्यवाही
1-	पेंशन	पेंशन आदेश सं0-पी0सी0/पे0भू0आ0-4428,दिनांक दि0 3.5.2000 को जारी।
2-	उपादान	उपादान भुगतान हेतु आदेश सं-पी0सी0/उ0भ0आ0/4420 दिनांक 3.5.2000 को जारी।
3-	नकदीकरण,चिकित्सा अवकाश/सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावे की देय धनराशि का भुगतान किया जाना।	जिलाधिकारी मथुरा को भुगतान हेतु पत्र सं0-06/1958/77-अ0अ0न0पं0/93दिनांक 3.5.2000 द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद, भूडनगरिया विद्युत स्टेशन को विद्युत आपूर्ति

124-श्री नरेन्द्र सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि भूडनगरिया सब स्टेशन जनपद फर्रुखाबाद ट्रांसफार्मर व फीडरों के लिये सप्लाई एक वर्ष से न होने के कारण किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है? क्या सरकार ट्रांसफार्मर व फीडरों के लिये सप्लाई की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

भूड़नगरिया सब स्टेशन जनपद फर्रुखाबाद पर 33/11 के0वी0 3 एम0वी0ए0 एवं 1.6 एम0 बी0 ए0 के दो ट्रांसफार्मर स्थापित हैं तथा इस सब.स्टेशन को विद्युत आपूर्ति 132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र नीबकरोरी से होती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर रोड योजनान्तर्गत सेक्टर जे रेल नगर तथा सेक्टर एल में सीवर डिस्पोजल की स्थायी व्यवस्था की मांग

125-श्री बनवारी लाल दोहरे-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न संख्या-70 के उत्तर के संबंध में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ में विकसित की गयी विभिन्न योजनाओं में भारी विकास शुल्क देकर आवंटित भवन व भूखण्डों के कब्जों के पश्चात् भी सीवर डिस्पोजल की स्थायी व्यवस्था नवम्बर,1999 तक नहीं गयी है? क्या कानपुर रोड योजना के प्रश्नगत सेक्टरों में स्थाई सीवर डिस्पोजल व्यवस्था का कोई प्रस्ताव प्राधिकरण में विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय अनुमानित है? इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

जी हां। सम्पवेल के निर्माण का प्रस्ताव है।

सम्पवेल के निर्माण पर लगभग रु06.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

सम्पवेल के निर्माण पर लगभग ढ़ाई वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

126-श्री संजय गर्ग-

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

जनपद लखनऊ (शहर) विद्युत विभाग मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के एक ही स्थान पर तीन वर्ष से तैनाती एवं उनकी बकाये विद्युत की जिम्मेदारी संबंधी जानकारी

127-चौ0 रिफाकत हुसैन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद (शहर) में कितने मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता विगत 3 साल से एक ही स्थान पर तैनात हैं? क्या सरकार ऐसे अभियन्ताओं को जो तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर तैनात हैं, को उनके क्षेत्र में विद्युत बकाया के लिए जिम्मेदार मानते हुए दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

लखनऊ शहर में विद्युत तथा राजस्व वसूली के कार्य से सम्बन्धित केवल एक अभियन्ता(अधिशासी अभि0) विगत तीन साल से एक ही पद पर तैनात हैं।

निर्धारित लक्ष्यों/मापदण्डों के अनुसार कम वसूली की जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में जानकीपुरम के सेक्टर एफ फेज-1 कालोनी की सीवर सफाई, बिजली एवं सड़कों की समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

128-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर एफ फेज-1 कालोनी. जानकीपुरम की सीवर सफाई, बिजली और सड़कों की समस्याओं के संबंध में जानकीपुरम् कल्याण समिति लखनऊ का कोई पत्रांक म0म0-98-99/29 दिनांक 12.3.1999 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

वर्तमान में रिंग रोड स्थित सम्पवेल क्रियाशील करा दिया गया है तथा सीवर का अन्तिम निस्तारण इसी सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से किया जा रहा है।

इस समय कालोनी में सीवरेज समस्या नहीं है। पेट्रोल पम्प के सामने स्थित सड़क का सुधार कार्य करा दिया गया है। वर्ष 1999 की बरसात के पूर्व मुख्य नाले की सफाई करा दी गई थी, जिससे इस वर्ष भी इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है। फेज-1 में कुल 3 पार्क हैं जो पूर्ण रुप से विकसित हैं। इसमें से एक पार्क का लेबिल अपेक्षाकृत नीचा है। मार्ग प्रकाश का अनुरक्षण कार्य नियमित रुप से किया जा रहा है। 90% प्रकाश बिन्दु ठीक है। जिलापूर्ति सन्तोषजनक है। कहीं कीचड़युक्त पानी नहीं है। श्मशान स्थल पर चहारदीवारी का निर्माण प्रस्तावित है। अवैध कब्जे समय-समय पर हटाये जाते रहते है। जानकीपुरम् क्षेत्र के सेक्टर ए, बी, सी, डी, एफ एवं जी को नगर निगम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में ग्राम सभा त्रिलोकपुर का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

129-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद के ब्लाक की ग्राम सभा त्रिलोकपुर का वर्ष 1997-98 में अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो क्या ग्राम सभा त्रिलोकपुर का विद्युतीकरण कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत ग्राम प्रस्तावित न होने के कारण विद्युतीकृत नहीं किया जा सका।

नगर निगम मुरादाबाद के सेवानिवृत्त मीटर रीडर श्री जफर हुसैन बेग की पेंशन के भुगतान की मांग

130-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री जफर हुसैन बेग, सेवानिवृत्त, मीटर रीडर, नगर निगम मुरादाबाद दिनांक 31.7.92 को सेवा निवृत्त हुए थे? यदि हां, तो क्या उनकी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विलम्ब हेतु दोषी कौन है? पेंशन भुगतान कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल की तहसील खटीमा में मुख्य बाजार से तहसील आने वाले बन्द मार्ग को चालू कराने की मांग

131-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल की तहसील खटीमा में मुख्य बाजार से तहसील आने वाला रास्ता जो 10 वर्षो से चालू था, उसे बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उसे कब तक चालू करा दिया जायेगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हां।

सुरक्षा की दृष्टि से तहसील कार्यालय/आवासीय परिसर की चहार दीवारी बनवाये जाने से पूर्व लोग परिसर का प्रयोग अपनी सुविधानुसार करते थे। तहसील से कोई सार्वजनिक मार्ग नहीं था। चहारदीवारी बनवाते समय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर तीन ओर सीढ़ियां बनवायी गई थी। कालांतर में जनता की मांग पर और अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से मण्डलायुक्त के निर्देशानुसार दीवार के पूर्व-उत्तर किनारे पर एक घूमने वाला फाटक लगवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि से संबंधित किसानों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने की मांग

132-श्री लाल जी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना जनपद अम्बेडकर नगर हेतु जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उनके परिवार के सदस्यों को सेवा में ले लिया गया था और कुछ कृषकों के परिवार के सदस्यों को अभी तक सेवा में नही लिया गया है? क्या उक्त तापीय परियोजना एन0 टी0 पी0 सी0 को हस्तान्तरित की जा रही है? यदि हां, तो हस्तान्तरण के उपरान्त उक्त सेवा में लिये गये कर्मचारियों को समायोजन कहां किया जायेगा?यदि नहीं, तो क्यों? क्या जिन किसानों के आश्रितों को सेवा से वंचित रखा गया है उन्हें भी सरकार सेवा में लिये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (टाण्डा उत्पादन उपक्रम का अन्तरण) स्कीम, 2000 के द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2000 को प्रश्नगत् परियोजना एन0 टी0 पी0 सी0 को हस्तान्तरित कर दी गई है तथा साथ में परियोजना के चार सौ से अधिक कार्मिकों को भी अन्तरण स्कीम द्वारा एन0 टी0 पी0 सी0 को हस्तान्तरित किया गया है।

उक्त सेवा में लिये गये अवशेष कर्मचारियों का समायोजन उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम, 2000 दिनांक 14 जनवरी, 2000 तथा टाण्डा अन्तरण स्कीम, 2000 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (टाण्डा उत्पादन उपक्रम का अन्तकरण) स्कीम, 2000 दिनांक 14 जनवरी, 2000 के द्वारा इसका दायित्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को सौंप दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में यमुना किनारा मार्ग एवं उसके फुटपाथों की मरम्मत कार्य पर व्यय धनराशि तथा प्रमुख पर्यटन मार्ग की रख-रखाव सम्बन्धी जानकारी

133-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 5 वर्षो में आगरा में यमुना किनारा मार्ग और उसके फुटपाथों की मरम्मत कितनी बार की गयी है? उक्त मरम्मत कार्य स्तर से एवं किस एजेन्सी द्वारा किया गया? मरम्मत कार्य पर वर्षवार कितनी-कितनी धनाराशि व्यय हुई है? नगर के इस प्रमुख पर्यटन मार्ग की रख-रखाव की स्थायी जिम्मेदारी किस विभाग की है?

श्री लाल जी टण्डन-

विगत 5 वर्षो में प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत तीन बार करायी गयी, परन्तु फुटपाथों की मरम्मत नहीं करायी गयी।

नगर निगम, आगरा द्वारा कराया गया।

वर्ष 1996-97 में रुपये 40,240/- व्यय हुये।

वर्ष 1997-98 में रुपये 22,35,930/- व्यय हुये।

वर्ष 1998-99 में रुपये 1,61,310/- व्यय हुये।

वर्तमान में प्रश्नगत् मार्ग के रख-रखाव का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्रामों व उनके वार्डों तथा मजरों का विद्युतीकरण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

134-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्रामों व उनके वार्डों तथा मजरों का विद्युतीकरण किये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी0 एम0/ वि0 को0/एम-2/ 26811/हरदोई/99 दिनांक 3.9.1999 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित स्वर्ण जयन्ति ग्रामों सदरपुर (माधोगंज) एवं वासा (मल्लावां) का विद्युतीकरण

क्रमशः 31.3.79 एवं 15.2.84 को किया गया है। उस समय वार्डो एवं मजरों को विद्युतीकृत करने के शासन एवं परिषद से कोई निर्देश नहीं थे। ग्राम सदरपुर की विद्युत लाईन तथा पोल जर्जर हालत में नहीं है।

अतः उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम भुड़की में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत विकास के शेष कार्यो को पूर्ण कराने की मांग

135-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज तहसील के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम भुड़की में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कौन-कौन से कार्य अभी पूर्ण होने शेष है? विकास के जो कार्य पूर्ण नही हो पाये हैं, वे कब तक पूर्ण हो जायेंगे?

श्री राधेश्याम कोरी-

जनपद आजमगढ़ में लालगंज तहसील के अन्तर्गत अंम्बेडकर ग्राम भुड़की में योजनान्तर्गत समस्त कार्य यथा:-

(1) सम्पर्क मार्ग (2) विद्युतीकरण (3) नाली/खड़न्जा (4) स्वच्छ शौचालय (5) नि:शुल्क बोरिंग (6) आई0 आर0 डी0 पी0 (7) इन्दिरा आवास (8) स्वच्छ पेयजल (9) स्कूल भवन (10) किसान पेंशन (11) विधवा पेंशन।

कोई कार्य पूर्ण होना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिकैतराय एल0 डी0 ए0 सचिवालय कालोनी-लखनऊ के फेज-3 में निर्मित पार्क की चहारदीवारी की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण की मांग

136-श्री विनोद मणि-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैतराय एल0 डी0 ए0 सचिवालय कालोनी-लखनऊ के फेज-3 में आर0 एस0 2/285 के सामने निर्मित पार्क की चहारदीवारी की मरम्मत कराने एवं पार्क के सौंदर्यीकरण कराने सम्बन्धी प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सन्दर्भगत कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यथाशीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के संबंध में जानकारी

137-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सेवायोजन कार्यालय में नौकरी हेतु बेरोजगारों का वर्ष 1998 से 15 जनवरी, 2000 तक कुल कितने पंजीकरण किये गये हैं? उनमें से कितने लोगों को सरकार द्वारा रोजगार प्राप्त कराया गया है तथा कितने प्रतीक्षा सूची में है?

श्री राधेश्याम कोरी-

लखनऊ सेवायोजन कार्यालय में वर्ष 1998 से 15 जनवरी, 2000 तक कुल 67,853 अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया तथा सेवायोजन कार्यालय लखनऊ के माध्यम से 505 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त

कराया गया शेष को रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका है। दिनांक 15.1.2000 को सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ की सजीव पंजी पर कुल 2,21,889 अभ्यर्थी बेरोजगार के रुप में पंजीकृत थे।

138-श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री जय प्रकाश-

(छठे शुक्रवार के लिए स्थगित)

उत्तर प्रदेश जल निगम के सी0 एण्ड एस0 शाखा लखनऊ का कार्यालय भवन एवं वाहन किराया आदि का विवरण

139-श्री संजय गर्ग, श्री ज्वाला प्रसाद यादव तथा श्री रामतेज यादव-(एडवोकेट)

क्या, नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के सी0 एण्ड एस0 शाखा लखनऊ का कार्यालय भवन उत्तर प्रदेश कैडर के किसी प्रशासनिक अधिकारी का निजी मकान है? क्या इस कार्यालय भवन एवं वाहन किराये के रुप में लगभग 80 हजार रुपये प्रतिमाह सी0 एण्ड डी0 एस0 को देना पड़ रहा है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उनको दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

भवन के स्वामी उत्तर प्रदेश कैडर के प्रशासनिक अधिकारी नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल निगम को सी0 एण्ड डी0 एस0 विंग के कार्यालय भवन का किराया रुपये 26,500.00 प्रतिमाह है तथा मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों के शासकीय उपयोग हेतु किराये पर लिये गये 12 वाहनों का रुपये 83,800.00 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

उक्त भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई स्थित साफ्ट ईस्ट कम्पनी सण्डीला में श्रमिकों को निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाना

140-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सरकार को जानकारी है कि हरदोई स्थित साफ्ट ईस्ट कम्पनी औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला में श्रमिकों को न्यूनतम निर्धारित पारिश्रमिक न देकर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। सहायक श्रमायुक्त हरदोई द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2000 को जांचोपरान्त पाया कि कम्पनी के सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान हो रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई स्थित साफ्ट ईस्ट कम्पनी सण्डीला के यूनियन अध्यक्ष का, श्रम आयुक्त, कानपुर जिलाधिकारी हरदोई को दिया गया मांग पत्र

141-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सरकार को जानकारी है कि अध्यक्ष साफ्ट ईस्ट कामगार यूनियन औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला जनपद-हरदोई का 17 सूत्रीय मांग-पत्र दि0 14.10.99 श्रम आयुक्त कानपुर, जिलाधिकारी- हरदोई को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जिलाधिकारी हरदोई के निर्देशानुसार सहायक श्रमायुक्त हरदोई ने परीक्षणोपरान्त दि0 1.12.99 को संराधन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई स्थित मै0 सैफ ईस्ट कम्पनी लि0, सण्डीला के श्रमिक श्री रामसेवक शुक्ल की सेवा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

142-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 को जो श्री राम सेवक शुक्ल श्रमिक मै0 सैफ ईस्ट कम्पनी लि0 सण्डीला जनपद हरदोई की सेवा समाप्त किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। श्री राम सेवक शुक्ल को एक सप्ताह में सेवा में बहाल करने हेतु उप श्रमायुक्त द्वारा सेवा योजकों को दि0 14.10.99 को आवश्यक निर्देश दे दिये गये थे। किन्तु श्री शुक्ल को बहाल न करने के कारण सेवायोजकों के विरुद्ध मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दि0 26.2.2000 को अभियोजन दायर किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई स्थित मै0 सैफ ईस्ट कम्पनी लि0 सण्डीला के श्रमिक श्री चन्द्रशेखर शर्मा तथा राम सेवक शुक्ल की सेवा समाप्त किये जाने के प्रकरण के विषय में अभियोजन दायर किया जाना

143-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्री चन्द्रशेखर शर्मा तथा राम सेवक शुक्ल श्रमिकों की सेवाएं मै0 सैफ ईस्ट कम्पनी लि0 सण्डीला जनपद हरदोई द्वारा समाप्त कर दिये जाने के प्रकरण को अवैधानिक बताते हुए उपश्रमायुक्त लखनऊ, क्षेत्र लखनऊ द्वारा सामान्य प्रबन्धक को पत्रांक 17444/एल0 आर0 आई0 आर0 दिनांक 14.10.99 को यह निर्देश दिये गये थे कि उनको एक सप्ताह के अन्दर नौकरी में बहाल कर दिया जाये? यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी द्वारा उसका अनुपालन किया गया? यदि नहीं,तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रबन्धकों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरदोई

का अनुमोदन लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई के न्यायालय में वाद सं0 790/2000 के रुप में दि0 26.2.2000 को अभियोजन दायर किया जा चुका है।

जनपद लखनऊ, विकासनगर स्थित अवैध निर्माण मामा लाइम स्टोर को हटाये जाने की कार्यवाही का स्थगन

144-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि महानगर लखनऊ में विकास नगर स्थित मामा लाइम स्टोर को परिषद् द्वारा गिरा दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर अभी भी स्टोर संचालित है? यदि हां, तो विभाग द्वारा उसे अधिग्रहीत न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री लाल जी टण्डन-

दिनांक 20.8.99 को उक्त अवैध निर्माण को गिराने की कार्यवाही के दौरान अनाधिक निर्माणकर्ता श्री किशन लाल के दिल का दौरा पड़ने के फलस्वरुप असामयिक मृत्यु के उपरान्त जिला प्रशासन के निर्देश पर उक्त अवैध निर्माण को गिराये जाने की कार्यवाही रोक दी गई थी।

जी हां।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अन्तर्गत प्रश्नगत अवैध निर्माण से संबंधित भूमि परिषद् की कुर्सी रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना लखनऊ हेतु अधिग्रहीत है एवं उक्त भूमि के अधिकार परिषद् में निहित हैं। उक्त वर्णित घटना के उपरान्त प्रश्नगत अवैध निर्माण हटाये जानेकी कार्यवाही वर्तमान में स्थगित है।

उत्तरांचल के ऐतिहासिक व धार्मिक मेलों को शासकीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का विवरण

145-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तरांचल के कितने ऐतिहासिक व धार्मिक मेलों को शासकीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है? कितने अन्य मेलों को वित्तीय वर्ष 2000-2001 में वित्तीय सहायता के अधीन लाने का प्रस्ताव है?

श्री मातबर सिंह-

वर्ष 1999-2000 में उत्तरांचल में 111 ऐतिहासिक व धार्मिक मेलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त 35 अन्य महोत्सवों/मेलों को वर्ष 2000-2001 में वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है जो विचाराधीन है।

लखनऊ, स्नेहनगर आलमबाग में निवासियों द्वारा सड़क का अतिक्रमण किया जाना

146-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्नेहनगर आलमबाग लखनऊ के निकट जोशी आटा चक्की के निवासियों द्वारा अपने मकान के दोनों ओर की सड़क का अतिक्रमण का 3-3 फिट पक्का चबूतरा बनवा लिया गया है जिससे जनता को आवागमन हेतु मार्ग अवरुद्ध हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण (अवैध कब्जे) को हटवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

आवागमन हेतु मार्ग अवरुद्ध नहीं है बल्कि संकरा अवश्य हो गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई रोड लखनऊ,ठाकुरगंज के सुलभ शौचालय से कल्याण गिरि मन्दिर के पास तक सड़क के दोनों ओर के बन्द पड़े नाले को खोलने का कार्य किये जाने की मांग

147-श्री अनिल कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि ठाकुरगंज,हरदोई रोड लखनऊ के सुलभ शौचालय से कल्याण गिरि मन्दिर के पास तक मुख्य सड़क के दोनों ओर के नाले को ऊपर से बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो इसे खोलने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो वर्षाकाल में सड़कों से प्रवाहित होने वाले जल की निकासी की क्या व्यवस्था की गयी? उक्त सड़क के दोनों ओर के नाले को खोलने का कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

योजना तैयार की जा रही है।

जल निकासी हेतु अधिकांश जगह पर पाइप पड़े हैं एवं कच्चा नाला खुदा है।

योजना की लागत प्राप्त होने पर धन की उपलबधता के आधार पर नगर की मा0 कार्यकारिणी/ सदन की स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में ब्लाकवार घोषित अम्बेडकर ग्रामों की संख्या एवं विकास कार्यक्रमों से संतृप्त व असंतृप्त ग्रामों का विवरण

148- डा0 ज्ञानवती सिंह.-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बागपत में ब्लाकवार कौन कौन ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं? इनमें से किन-किन ब्लाकों में कितने-कितने अम्बेडकर ग्रामों का पूर्ण विकास हो चुका है तथा किन-किन ब्लाकों में कितने-कितने अम्बेडकर ग्राम अब भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाये हैं?

इसके क्या कारण है?

श्री राधेश्याम कोरी-

जनपद बागपत में ब्लाकवार 103 अम्बेडकर ग्राम घोषित हैं,जिनका विवरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। जनपद बागपत में घोषित 103 अम्बेडकर ग्रामों में से 68 अम्बेडकर ग्राम प्रमुख विकास कार्यक्रमों से संतृप्त हो चुके हैं तथा 35 अम्बेडकर ग्राम असंतृप्त हैं जिनका ब्लाकवार विवरण संलग्नक-2 पर है।

धनाभाव के कारण।

(देखिए नत्थी ग आने पृष्ठ-------पर।)

जनपद उन्नाव, ब्लाक बीघापुर, न्याय पंचायत इन्देमऊ में 10 हजार से अधिक विद्युत बिल बकायेदार एवं उनके भुगतान सुनिश्चित कराये जाने की मांग

149-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्याय पंचायत-इन्देमऊ, ब्लाक-बीघापुर, जनपद-उन्नाव में कितने और कौन-कौन ऐसे निजी नलकूप चालक हैं जिन पर विद्युत का 10 हजार से अधिक का बिल बकाया है? ऐसे उपभोक्ताओं से अवशेष कि वसूली अब तक न किये जाने का क्या कारण है क्या मंत्री जी अवशेष बिलों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

न्याय पंचायत-इन्देमऊ, ब्लाक-बीघापुर जनपद-उन्नाव में कुल 6 ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता हैं जिन पर विद्युत का 10 हजार से अधिक का बिल बकाया है। इन बकायेदार के नाम निम्नवत:-

1-श्री राम कृष्ण पुत्र श्री लल्लू पचेसा इन्देमऊ, उन्नाव।

2-श्री कालीचरण बाजपेयी पुत्र श्री गंगा कृष्ण इन्देमऊ, उन्नाव।

3-श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री बृजभान, इन्देमऊ,, उन्नाव।

4-श्री राम शंकर पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद, इन्देमऊ, उन्नाव।

5-श्री नवल किशोर पुत्र श्री आर0के0 सिंह इन्देमऊ, उन्नाव।

6-श्री दर्शन पुत्र श्री राम औतार, इन्देमऊ, उन्नाव।

प्रयासों के बावजूद इन उपभोक्ताओं ने विद्युत बिल बकाये की धनराशि जमा नहीं की।

जी हां। इनके कनेक्शन को विच्छेधित करके जिलाधिकारी के माध्यम से भू-राजस्व वसूली धारा-5 के [illegible] नोटिस जारी कर वसूली की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

वसूली जिलाधिकारी स्तर पर की जानी है अत: समय का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर हेतु महायोजना का वर्ष एवं पूर्ण होने की अवधि

[illegible]-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर हेतु महायोजना (मास्टर प्लान) किस वर्ष में बनी थी तथा उसके पूर्ण होने की अवधि क्या थी? क्या वह अब भी प्रभावी है? यदि नहीं, तो क्यों?

[illegible] लाल जी टण्डन-

जौनपुर विनियमित क्षेत्र की महायोजना शासनादेश संख्या-1897/37-3-177 एन0के0वी0/दिनांक [illegible], 1978 द्वारा स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत महायोजना वर्ष 2001 तक के लिए तैयार की गई थी। अत: [illegible] यह प्रभावी है।

[illegible] इलाहाबाद, विकास खण्ड फूलपुर के अन्तर्गत अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित सराय घर दास ऊर्फ महजूदवा में विद्युतीकरण कार्य कराये जाने की मांग

[illegible]-श्री जोखूलाल यादव-

क्या अम्बेदकर ग्राम विकास मंत्री [illegible] की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड फूलपुर, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत सराय घर दास ऊर्फ [illegible] के रूप में चयनित किया गया है? यदि हां तो क्या उक्त गांव में विद्युतीकरण का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो कब तक उक्त गांव का विद्युतीकरण कराया जायेगा? [illegible] तो क्यों?

[illegible] राधेश्याम [illegible]

जी हां।

जी हां।

30 जून, 2000 तक विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के असोसा गांव में बेसो नदी के पुल के लिए पूर्वांचल के राज्य सेक्टर से स्वीकृत धन से पुल का निर्माण कराया जाना .

152-श्री नरेन्द्र सिंह यादव-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के असौसा गांव में बेसो नदी के पुल के लिये पूर्वान्चल के राज्य सेक्टर से स्वीकृत धन से पुल का निर्माण प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो लगभग दो वर्ष से प्राप्त उक्त धन से पुल निर्माण किस कार्य दायी संस्था को करना था। क्या सरकार पुल निर्माण न करने के कारण कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ के असौसा गांव में बेसो नदी के पुल के लिये पूर्वान्चल के राज्य सेक्टर से स्वीकृत धन से पुल का निर्माण कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड आजमगढ़ द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता

जनपद चम्पावत के पुल्ला नामक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना एवं उसकी अनुमानित लागत

153- श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चम्पावत जिले के पुल्ला नामक क्षेत्र हेतु प्रतावित पेयजल योजना का निर्माण कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा? उक्त पेयजल योजना की अनुमानित लागत क्या है?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

उक्त योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2000-2001 में शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त पेयजल की अनुमानित लागत रूपये 185.00 लाख है।

प्रदेश में 132 के0वी0ए0 की विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने का मानक एवं जनपद बलिया के दीघार में 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

154-श्री भरत सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में 132 के0वी0ए0 को विद्युत उप केन्द्र खोले जाने का मानक क्या है? क्या जनपद बलिया के दीघार में 232 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रदेश में 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने का मानक क्षेत्र विशेष की वर्तमान तथा भविष्य में आने वाली विद्युत मांग, वोल्टेज की स्थिति एवं विद्युत पारेषण प्रणाली की तकनीकी आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

जी नहीं।

बलिया जनपद के दीघार नामक स्थान पर 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु प्राप्त हुए प्रस्ताव पर विचारोपरांत यह पाया गया कि इस स्थान पर फिलहाल 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र के निर्माण की तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

लखनऊ के कानपुर रोड योजना, सेक्टर एच0, एल0डी0ए0 कालोनी में पानी एवं सीवर व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

155-श्री चेतराम-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की क्पा करेंगे कि राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थय का पत्र संख्या-301-/रा0मं0चि0स्वा0 197 दिनांक 12-12-97 जो सेक्टर एच0एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना लखनऊ के पानी एवं सीवर व्यवस्था ठीक कराये जाने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हॉ तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

उपलब्ध सूचना अनुसार सन्दर्भगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 जल निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति

156-श्री अफजाल अहमद

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 जल निगम में प्रबन्ध निदेशक का पद 31 दिसम्बर, 1999 से रिक्त हो जाने के कारण जनहित के तमाम कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप प्रदेश में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पद को शीघ्र भरने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

अधिसूचना सं0-468/9-3-2000-18, सी-91, दिनांक 10 फरवरी, 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर श्री एच0एस0 जेठवानी, की नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रम कल्याण अधिकारी शुगर मिल बभनान गोण्डा को स्थानान्तरित किये जाने की मांग

157-श्री मो0 मुकीम-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्रम कल्याण अधिकारी, शुगर मिल बभनान, इकाई बभनान गोण्डा गत बीस साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत है? यदि हां, तो क्या सरकार उनको स्थान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 49 तथा तत्सम्बन्धी उ0प्र0 कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली, 1955 के अन्तर्गत क ल्याण अधिकारी को शासन द्वारा स्थान्तरित किये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद लखनऊ, शिवानी बिहार कल्याणपुर में जल निगम द्वारा पानी की टंकी एवं ट्यूबवेल का निर्माण कार्य व नये कनेक्शन जारी किया जाना

158-श्री मो0 मुकीम-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शिवानी बिहार कल्याणपुर, लखनऊ में जल निगम द्वारा पानी की टंकी एवं ट्यूबवेल का निर्माण कार्य माह जून, 1999में पूर्ण कर लिया गया है? क्या जल निगम द्वारा

वाटर सप्लाई हेतु पाइप लाइन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या जलापूर्ति हेतु पानी के नये कनेक्शन रियायती दरों पर दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो अब तक कुल कितने कनेक्शन दिये गये हैं? क्या यह सही है कि अभी तक जल आपूर्ति नहीं की गयी है? यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं? जलापूर्ति कब तक सुनिश्चित की जायेगी?

श्री लालजी टण्डन--

शिवानी विहार कल्याणपुर में नलकूप का निर्माण माह 1998 में तथा पानी की टंकी का निर्माण माह जुलाई 1999 में पूर्ण कर लिया गया है। वाटर सप्लाई हेतु 18.74 कि0 मीटर पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जलापूर्ति हेतु पानी के नये कनेक्शन सामान्य दरों पर स्वीकृत किये गये है। अब तक कुल 12 नये कनेक्शन स्वीकृत किये गये है।

जी नहीं जलापूर्ति चालू है।

प्रश्न नहीं उठता

उपरोक्तानुसार जलापूर्ति चालू है।

उत्तर प्रदेश के देहरादून नगर निगम का गठन एवं नगर निगम क्षेत्र का विस्तार

159. श्री हरवंश कपूर--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून नगर निगम का गठन कब किया गया था, नगर निगम बनने के पश्चात क्या नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाली ग्राम पंचायतों को विघटित कर नगर निगम में सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

उ0प्र0 शासन के नगर विकास अुभाग -7 की अधिसूचना सं0-356/ए/नौ-7-98-62ज/97, दिनांक 09 दिसम्बर, 1998 द्वारा देहरादून नगर निगम का गठन किया गया था।

नगर निगम, देहरादून के गठन के पश्चात् अधिसूचना सं0-1946 ए/नौ-7-99-62ज/97, दिनांक 02 जून, 1999 द्वारा देहरादून, नगर निगम, क्षेत्र का विस्तार किया गया जिसके द्वारा नगर निगम,क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायतों को अभी विघटित नहीं किया है।

ग्राम पंचायतों का विघटन उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत किये जाने का अनुरोध शासन के पंचायती राज विभाग से किया गया है।

160-श्री रामपाल वर्मा-

दिनांक 28-4-2000 को अता0प्र0सं0-102 द्वारा उत्तरित।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक में खिलाड़ियों/कलाकारों को भूखण्ड आवंटन में वरीयता दिये जाने का निर्णय

161-श्री नेतराम सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आधी दर पर भूखण्ड आवंटित करने की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो ऐसे किन-किन खिलाड़ियों को वर्ष 1999-2000 में लाभान्वित किया गया है? क्या अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री आर0पी0सिंह को भूखण्ड किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 3 अगस्त 1990 निदेशालय, खेल विभाग के पत्रांक-7078/90-91, दिनांक 22 अगस्त, 1990, द्वारा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

लखनऊ विकास प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक दिनांक-28.3.87 में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों/ कलाकारों को आवासीय दर के आधे दर पर भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था परन्तु प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक दि0-15.12.90 में उपरोक्त सुविधाओं को समाप्त करके केवल आवंटन में वरीयता दिये जाने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 1999-2000 में किसी भी राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को उपरोक्त सुविधा नहीं दी गयी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय से उक्त पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो पा रही है, अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (वर्तमान में उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड) के अन्तर्गत जल विद्युत परियोजनाओं के मेंटिनेन्स में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हरदेव सिंह विधायक का पत्र

162-श्री जय प्रकाश, श्री हरदेव सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (वर्तमान में उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड) के अन्तर्गत जल विद्युत परियोजनाओं के मेंटिनेन्स में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हरदेव सिंह, विधायक के पत्र दिनांक 27-12-99 जो कि मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जलविद्युत परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 7 जिलों में 17 विद्युत गृह स्थापित हैं। इन विद्युत गृहों के लिये लूब्रीकेन्ट्स, स्पेयर्स क्रय करने मशीनों के लिए कल पूर्जो की मरम्त इत्यादि करने विद्युत गृहों की सुरक्षा व्यवस्था कर्मचारियों की चिकित्सा हेतु दवाइयों की व्यवस्था एवं इनके बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए किराये पर लेकर बसों की व्यवस्था इत्यादि करनी पड़ती है। इन सभी कार्यो के लिए मई, 1997 तक कुल रू0 50,000 लाख प्रति माह, तदोपरांत रू0 75,00 लाख प्रतिमाह व्यय किये जा रहे हैं। फरवरी एवं मार्च में मी इसी के अनुरूप व्यय किया जाता रहा है। अत: श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ के पत्रांक 1736 दिनांक 25.12.99 लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार हैं।

उत्तरकाशी में तिलोथ जल विद्युत परियोजना (मनेरी भाली परियोजना-प्रथम चरण से संबंधित प्रश्न के समुचित उत्तर के संबंध में सूचित करना है कि उक्त परियोजना की मशीनें, वर्ष 1984 के अंतिम 3 माहों में चालू की गई थी। विद्युत गृह के चालू होने के कुछ पर पश्चात् से ही मशीनों के जलमग्न हिस्से भागीरथी नदी के जल में अत्यधिक मात्रा में सिल्ट होने के कारण क्षतिग्रस्त होते रहे हैं। नदी के जल सिल्ट में 90/ क्वार्टज के कण विद्यमान हैं, जो कि मशीनों के जलमग्न हिस्सों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर देते हैं। मूल निर्माता मैं0 वी0 एच0 ई0 एल0 से पूर्व में विचार विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि जब नदी के जल में सिल्ट की मात्रा 1200 पी0 पी0 एम0 से ज्यादा हो, तो विद्युत गृह को बन्द कर दिया जाय। सिल्ट की मात्रा अधिक होने के कारण विद्युत गृह को माह जुलाई-अगस्त में पूर्णतया बन्द रखा जाता है। विद्युत गृह बन्द होने के समय एवं जल प्रवाह की अवधि में मशीनों के अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से कराये जाते हैं।

तिलौथ विद्युत गृह की मशीनों के मरम्मत कार्य हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें इन मशीनों के मूल निर्माता मैं0 बी0 एच0 ई0 एल0 भी अपनी निविदायें दे सकता है। इस प्रकार आमंत्रित निविदाओं के विरूद्ध अनुभवी ठेकेदारों से कार्य लिया जाता है तथा कार्य को मै0 वी0 एच0 ई0 एल0 के इंजीनियरों एवं विभाग के इंजीनियरों के सुपरविजन में कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

भागीरथी नदी के जल में सिल्ट की मात्रा अधिक होने के कारण इस विद्युत गृह पर गलैण्ड सील एवं कपसीव का कटना एवं तदुपरान्त पानी का रिसाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गयी हैं, जिससे, निपटने के लिए अतिरिक्त पम्पों की स्थापना की गयी है। इस रिसाव के कारण विद्युत गृह के पूर्णतया जलमग्न होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः प्रकरण की जांच वी0 एच0 ई0 एल0 से कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चम्पावत में स्वीकृत छतार-गौड़ी किमतौली मार्ग का निर्माण

163-श्री बाबू खां-

क्या उतरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद चम्पावत में छतार-गौड़ी किमतौली मार्ग का निमार्ण सरकार द्वारा स्वीकृत है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हां।

यह मार्ग चम्पावत-गौड़ी-कितोली हल्का वाहन मार्ग के नाम से स्वीकृत है।

निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के ग्राम तल्ली लमाई (राजस्व ग्राम चौकी) में स्थित हाइड्रम लिफ्ट सिंचाई की योजना की क्षमता को बढ़ाये जाने की मांग

164-श्री बाबू खां-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद चम्पावत के ग्राम तल्ली लमाई (राजस्व ग्राम चौकी) में हाइड्रम लिफ्ट सिंचाई योजना का निमार्ण किया जा रहा है? क्या यह सही है कि उक्त योजना से केवल 3 परिवारों को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ? यदि हां, तो क्या इसकी क्षमता बढ़ाकर उक्त पूरे ग्राम को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजनापर 6"x 3" आकार की दो हाइड्रम मशीनें स्थापित कर 38 परिवारों की भूमि हेतु 12 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गई है। सृजित सिंचन क्षमता के अधिकाधिक उपयोग हेतु फीडर मूल, पाइप लाइन एवं टैंकों का निर्माण धन की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा वर्ष 1999-2000 में माल्टा की खरीद व लाभ की जानकारी दिये जाने की मांग

165-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमाऊ मण्डल विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में फल विपणन योजना के अन्तर्गत कितनी माल्टा की खरीद की गयी? उक्त व्यवसाय में निगम को कितना लाभ प्राप्त हुआ है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

वर्ष 1999-2000 में कुमायूँ मण्डल विकास निगम द्वारा माल्टा का क्रय नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर रोड, एल0 डी0 ए0 कालोनी सेक्टर आई लखनऊ में म0 सं0 ई-1 से ई-15 तक आवंटित व्यक्तियों के नाम एवं लागत आदि का विवरण

166-शिशुपाल सिंह यादव-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रोड, एल0 डी0 ए0 कालोनी सेक्टर आई लखनऊ में मकान संख्या ई-1 से ई-15 तक के मकान किस-किस नाम से आवंटित है? मकान की पृथक-पृथक कीमत क्या है? दिसम्बर, 1999 तक प्रत्येक मकान की कितनी-कितनी धनराशि जमा की जा चुकी है और कितनी धनराशि जमा करनी शेष है?

श्री लाल जी टण्डन-

आवंटियों के नाम, उनको आवंटित मकानों की पृथक-पृथक कीमतें एवं उनके सापेक्ष जमा एवं अवशेष धनराशियों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी घ आगे पृष्ठ----पर।)

जनपद एटा के विकास खण्ड अलीगंज, ग्राम विथरा में 33/11 के0 वी0 का विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने की जानकारी दिये जाने की मांग

167-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी हे कि जनपद एटा के विकास खण्ड-अलीगंज के ग्राम विथरा में एक 33/11 के0 वी0 का विद्युत सब-स्टेशन लगभग 10 वर्ष पूर्व बनाया गया था? यदि हां, तो क्या उससे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य नये उपकेन्द्रो के निर्माण हेतु निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

जनपद एटा में विकास खण्ड-सकीट के अन्तर्गत ग्राम-रिजौर में 33/11 के0 वी0 ए0 का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किया जाना

168-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा में विकास खण्ड-सकीट के अन्तर्गत ग्राम-रिजौर में एक 33/11 के0 वी0 ए0 का विद्युत सब-स्टेशन का वर्ष 1988-89 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। क्या उक्त निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी नहीं।

वर्ष 2000-2001 के कार्यक्रम में उपकेन्द्र का निर्माण सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

प्रदेश में आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को अपरेन्टिस कराया जाना

169-श्री राम ललित चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में आई0 टी0 आई0 तथा पालीटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को अपरेन्टिस कराने की कोई व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त व्यवस्था पर अमल

कर रही है? यदि हां, तो बस्ती मण्डल के विभिन्न उद्योगों में वर्ष 1998-99 में कुल कितने लोगों को अपरेटिन्स कराया गया है?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां, सिर्फ आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को अपरेन्टिस कराने की व्यवस्था की गयी है।

जी हां।

वर्ष 1998-99 में बस्ती मण्डल के विभिन्न उद्योगों में आई0 टी0 आई0 से प्रशिक्षण प्राप्त 65 प्रशिक्षणार्थियों को अपरेन्टिस कराया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी टाउन एरिया में हैण्डपम्प लगाने तथा खराब पेयजल आपूर्ति व्यवस्था ठीक करने की मांग

170-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या-124 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

वर्ष 1999-2000 में 25 हैण्डपम्प और अधिष्ठापित कर दिये गये है। नलंकूप नम्बर-2 को रिबोर करने के लिये रू0 21.00 लाख की धनराशि भी वित्तीय वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत कर दी गयी है। पट्टी टाउन एरिया में पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्वत: रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्शा चालकों को रिक्शा क्रय हेतु ऋण अनुदान दिये जाने की योजना

171-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में लाइसेंस धारक रिक्सा चालकों को रिक्सा मालिक बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसके क्रियान्वयन में अब तक कितने रिक्शा चालक जो लाइसेंस धारक हैं, को रिक्शा मालिक बनाया गया है? यदि नहीं, तो उनको कब तक रिक्शा मालिक बनाने की योजना है?

श्री लाल जी टण्डन-

स्वर्ण जयंती शहरी योजना के स्वत: रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्शा क्रय हेतु ऋण + अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत डूडा, लखनऊ में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में अब तक 272 व्यक्तियों को रिक्शा क्रय किये जाने हेतु अनुदान+ऋण दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत श्रीदत्तगंज बाजार में स्वीकृत फुटपाथ व नाली निर्माण का कार्य

172-उबैदुर्रहमान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत श्रीदत्तगंज बाजार में 600 मीटर फुटपाथ व नाली निर्माण का कार्य वर्ष 1995 से वर्ष 1999 के मध्य बनाया जाना स्वीकृत था? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। नवम्बर, 1998 में स्वीकृत था।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, बदायूं के अधिकारियों द्वारा नगर के नाले, पार्क, स्कूल आदि सार्वजनिक भूमि अवैध निर्माण कराये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

173-श्री भोला शंकर मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् बदायूं के पदाधिकारियों तथा अधिकारियों द्वारा नगर के नाले, पार्क, स्कूल तथा अन्य पब्लिक के प्रयोजन की जमीन पर अवैध निर्माण कराकर तथा कम दामों में बेच दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र मण्डल आयुक्त, बरेली तथा प्रमुख सचिव, नगर विकास को दिनांक 16-11-99 एवं दिनांक 27-7-99 प्राप्त हुए हैं यदि हा, तो अवैध निर्माण को रोकने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति से बचाने की दशा में दोषी को दण्डित कर उनके द्वारा गबन की गयी धनराशि की वसूली किये जाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नीची मगरौली में विद्युतीकरण का कार्य

174-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नीची मगरौली में विद्युतीकरण स्वीकृत कर स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के यहां विचाराधीन है? यदि हां, तो शासन कब तक ग्राम नीची मगरौली का विद्युतीकरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मण्डल हरडोई के यहां ग्राम नीची मगरौली के विद्युतीकरण की कोई स्वीकृति तथा प्राक्कलन विचाराधीन नहीं है।

ग्राम नीची मगरौली किसी योजना में चयनित न होने के कारण इसके विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नही है। कोई स्वीकृति न होने के कारण समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता हैं।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ, ग्राम पारा वार्ड-आलमनगर में स्थित कथित नजूल की भूमि की बिक्री

175-श्री हरदेव सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम-पारा, वार्ड-आलमबाग, लखनऊ में स्थित हजारों बीघे नजूल की भूमि प्रापर्टी डीलरों द्वारा कब्जा और प्लाटिंग करके बेच दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध ढंग से कब्जा करके बेची गयी भूमि को रिक्त कराकर वैधानिक रूप से उसकी बिक्री करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत भूमि नजूल भूमि नहीं है।

लखनऊ में आलमनगर वार्ड के सभासद श्री सुरेन्द्र यादव द्वारा नजूल की भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में शिकायत की जाँच तथा कार्यवाही की मांग

176-श्री हरदेव सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री सुरेन्द्र यादव, सभासद वार्ड-आलमनगर, लखनऊ ने वार्ड की सैकड़ों बीघे नजूल की भूमि पर कब्जा करके सहकारी आवास समितियों/प्रापर्टी डीलरों के हाथ बेच दी है तथा काफी नजूल भूमि पर निर्माण कार्य करा लिया है? क्या उनके द्वारा नजूल की भूमि अब भी बेची जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार श्री सुरेन्द्र यादव की सभासद होने से पूर्व तथा वर्तमान में मौजूद चल-अचल सम्पत्ति की जांच कर उनके द्वारा बेची गयी एवं उनके कब्जे में मौजूद नजूल भूमि को रिक्त कराकर कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नजूल भूमि का न होना।

177-श्री अजय कुमार पोइया-

[दिनांक 7-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-187 द्वारा उत्तरित।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट नामक स्थान पर स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव

178-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट नामक स्थान पर स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसके कब तक मंजूरी मिल जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी/महानिदेशक, पी0 बी0 डी0 से मानक के अनुसार भूमि की उपलब्धता प्रस्ताव/आगणन अप्राप्त होने के कारण।

लखनऊ स्थित गन्ने वाली गली अमीनाबाद में टेलीफोन विभाग द्वारा खोदी गयी गली का निर्माण किया जाना

179-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ स्थित गन्ने वाली गली अमीनाबाद की गत वर्ष माह अक्टूबर, 1999 को टेलीफोन विभाग द्वारा केबिल डालने के लिए पूरी गली खोदी गयी थी? क्या वह सही है कि उक्त गली के खराब हो जाने से वहां के निवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गन्ने वाली गली को ठीक कराने का आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

टेलीफोन विभाग द्वारा नहीं बल्कि लेसा द्वारा गली खोदी गयी थी।

जी हां।

जी हां।

गली को ठीक कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद सर्किट हाउस में मुख्य मंत्री के आगमन पर उन्हें जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल फैजाबाद द्वारा नूजल विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिया गया पत्र पर कार्यवाही

180-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री के दिनांक 12 दिसम्बर, 1999 को जनपद फैजाबाद सर्किट हाउस आगमन पर जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल फैजाबाद द्वारा उन्हें नजूल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जिलाधिकारी, फैजाबाद की आख्या प्राप्त की गई। इसके अनुसार फैजाबाद नजूल कार्यालय द्वारा नजूल नीति के अन्तर्गत कृत कार्यवाही पर वस्तुस्थिति अधोलिखित है:-

शासनादेश दि0 1.1.96 के अन्तर्गत निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टे दिये जा रहे है।

अन्य विभागों की भांति नजूल विभाग में गार्ड फाइल बनी है, जिसमें शासन द्वारा प्रदत्त समस्त आदेशों को व्यवस्थित ढंग से संकलित किया जाता है।

विभाग के सभी लिपिकीय पद एक ही वेतनमान के हैं तथा व्यक्ति की कार्य-कुशलता एवं उसकी योग्यता के आधार पर ही ही विभिन्न पदों पर तैनाती की जाती हैं।

जिन पट्टेदारों के पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें बेदखल न करके फ्रीहोल्ड कराने का अवसर दिया गया है। वर्तमान नीति में जिन पट्टों की अवधि समाप्त हो गई है, उनके नवीनीकरण एवं नये सिरे से पट्टा दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

नजूल की रिक्त भूमि को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क दिये जाने का प्राविधान वर्तमान नजूल नीति में नहीं है, अपितु ऐसे लोगों को पट्टे पर भूमि दिये जाने का प्राविधान है।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण अपने संवर्ग के पदों पर ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं इसलिए अन्य स्थानों/विभाग में किये जाने की स्थिति नहीं है परन्तु समय-समय पर उनका पटल परिवर्तन नजूल कार्यालय में ही किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षण संस्थाओं पर प्रापर्टी टैक्स लागू किया जाना

181-श्री पीटर फैन्थम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षण संस्थाओं पर प्रापर्टी टैक्स लागू किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि अल्पसंख्यक एंग्लो इण्डियन स्कूलों को सरकार द्वारा कोई

सुविधा नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक एंग्लो इण्डियन स्कूलों को प्रापर्टी टैक्स से मुक्त रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

अधिनियमों में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार शिक्षण संस्थाओं पर प्रापर्टी टैक्स पूर्व से ही लागू है। यह संबंधित निकाय के विवेक पर है वह शिक्षण संस्थाओं पर टैक्स लागू करे अथवा छूट प्रदान करें।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

182-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

(छठे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0-114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत रोलिंग मिल एवं आर्क फर्नेस के नाम स्वीकृत लोड तथा विद्युत देय भुगतान आदि की जानकारी

183-श्री हरदेव सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चतुर्थ मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-200 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 275 रोलिंग मिल एवं आर्क/फर्नेश के नाम एवं स्वीकृत लोड क्या है तथा जनवरी, 1999 में विद्युत देय के रुप में कितना भुगतान किया गया? यदि नही, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि इन मिलों से ही प्रतिमाह 100 करोड़ रुपये से अधिक की विद्युत चोरी की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन वाणिज्य अधिष्ठानों पर किस प्रकार का मीटर लगा हुआ है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत प्ररिषद) के अंतर्गत 275 रोलिंग मिल एवं आर्क फर्नेस के नाम व स्वीकृत लोड तथा जनवरी, 1999 में विद्युत भुगतान का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसको किसी भी कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

वाणिज्य अधिष्ठानों में लगे मीटर का प्रकार/विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में रखे उत्तर के प्रथम भाग में उल्लिखित विवरण के साथ उपलब्ध है।

184-श्री हरदेव सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र,1997 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 200 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा में कृपया बतायेंगे कि 275 रोलिंग मिल एवं आर्क/फर्नेस के नाम एवं स्वीकृत लोड तथा जून, 1997 में विद्युत देय के रुप में कितना भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद) के अन्तर्गत 275 रोलिंग मिल एवं आर्क फर्नेस के नाम व स्वीकृत लोड तथा जून,1997 में विद्युत देय भुगतान का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसको किसी भी कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

185-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27.7.99 जो कि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत अनपरा झूंसी ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री जे0एन0 टण्डन, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत को पत्र एवं कृत कार्यवाही

186-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत 800 के0वी0 अनपरा, झूंसी ट्रान्समीटर लाइन के निर्माण सम्बन्धी श्री जे0एन0, टण्डन अधीक्षण अभियंता, विद्युत निर्माण मण्डल, इलाहाबाद का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-987 दिनांक 20.3.99 जो कि मुख्य अभियंता (सिविल पारेष) लखनऊ एवं सदस्य (पारेषण) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

उक्त पत्र में इंगित बिन्दुओं का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(मद संख्या 3 पुकारे जाने पर)।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्य कहीं चले गये हैं, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, भाजपा के इतने सदस्य यहां बैठे हैं, संभवत: इनको दृष्टि दोष हो गया है, तभी ऐसा है। यह जांच करा लें।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य सूची के नत्थी "ख" में मेरा आठवां प्रश्न लगा था जो 06-12-99 को दिया गया था। प्रश्न था क्या नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की चर्चा के दौरान विधान सभा में माननीय वित्त मंत्री ने समस्त आयोजनागत व्ययों की वित्तीय स्वीकृतियों को जारी करने हेतु समय सीमा के बारे में कोई घोषणा की थी? यदि हां, तो वह

घोषणायें क्या थी? क्या उसके अनुसार वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई? यदि हां तो योजानागत व्यय (प्लान एक्सपेन्डीचर) का कितने प्रतिशत दिसम्बर, 1999 तक वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई? यदि नहीं तो क्यों? यह प्रश्न था, इसे टाल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न 15 तारीख को आयेगा, मुझे सचिव ने सूचित किया है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

आज की कार्यसूची में आठवें नं0 पर था, अगले में 14 पर लिया जायेगा।

मैं देख लेता हूं।

विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, जैसा आपको विदित ही हे कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के लिये नियत किया गया है। नियमानुसार नाम-निर्देशन-पत्र दिनांक 11 मई, 2000 के मध्याहन 12.00 बजे के पूर्व तक आ जाने चाहिये थे। उक्त अवधि के भीतर प्राप्त नामांकन पत्रों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र0सं0	नाम-निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्थापक	समर्थक
1.	डा0 अम्मार रिजवी	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ऊर्फ मुन्ना	श्री विजय प्रकाश
2.	डा0 अम्मार रिजवी	श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी	श्री प्रमोद कुमार
3.	श्री स्वामी ओइमवेश	श्री प्रदीप कुमार	श्री राजपाल सिंह
4.	श्री स्वामी ओइमवेश	श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना	श्री बाबूलाल चौधरी-
5.	डा0 अम्मार रिजवी	श्री राजधारी	श्री गंगाबख्श सिंह
6.	डा0 अम्मार रिजवी	श्री राजराम पाण्डेय	श्री विवेक कुमार सिंह
7.	अम्मार रिजवी	श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल	श्री मण्डलेश्वर सिंह
8.	श्री गोरी शंकर एडवोकेट	श्री अम्बिका चौधरी	श्री राम जग
9.	श्री गौरी शंकर एडवोकेट	श्री शिवपाल सिंह यादव	श्री जगदीश सिंह राणा
10.	श्री गौरी शंकर एडवोकेट	श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि	श्री राधेश्याम जायसवाल
11.	श्री गौरी शंकर एडवोकेट	श्री धनीराम वर्मा	श्री राजेन्द्र यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-9 के उपनियम (4) में यह उपबंधित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो नाम-निर्देशित हुये हों, पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकते हैं। तद्नुसार उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। उक्त नियम 9 के उप नियम (4) के अनुसार अब मैं अभ्यर्थियों के प्रस्तावकों को आमंत्रित करूंगा कि वह अपना-अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह है। कई सम्मानित सदस्यगण, नेतागण हमसे मिले, आपसे भी सम्पर्क किया होगा। मैंने जो भावना देखी, उस पर कोई टीका-टिप्पणी की जाय, ठीक नहीं है। परन्तु सर्वसमति करने की बात

जो थी, वह पूरी नहीं हो पाई। सर्वसम्मति के अभाव में निर्वाचन पहले भी स्थगित किया गया था। इस बार भी मैं यही चाहूंगा कि वह उपयुक्त रहेगा कि सर्वसम्मति से ही हो जाय तो स्वागत योग्य है.....

श्री अध्यक्ष-

मुझसे विपक्ष के कई माननीय नेतागण मिले और उन्होंने भी अनुरोध किया कि यदि किसी माननीय सदस्य के नाम के ऊपर आम सहमति हो जाए तो अच्छा है अन्यथा यह उचित होगा या टालना उचित होगा। संसदीय कार्य मंत्री भी लगभग वही बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो परिस्थिति है यदि तीन नाम प्रस्तावित हुए हैं जिनके नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं यदि कोई दो सदस्य वापस लेना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यदि कोई नाम निर्देशित व्यक्ति नाम वापस नहीं लेंगे तो निर्वाचन होगा तो इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि हम आम सहमति बना सकते हैं?

श्री लाल जी वर्मा

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है, अनुच्छेद-178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथाशीघ्र, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। मान्यवर, आज चुनाव का समय निर्धारित है और इस विधान सभा का मान्यवर, यह गठन का चौथा वर्ष चल रहा है, अभी तक हम उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाये और बार-बार इस बात के आधार पर टालने की बात आती है कि हम एक राय नहीं हो पाए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारे संविधान में अनिवार्यता हे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे बीच से दो सदस्य होगें इतने दिनों तक जो चुनाव हमें स्वयं करना है। हम इस आधार पर टालते जायें कि हमारे बीच में एकता नहीं बन पा रही है। यह हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसकी अवहेलना होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव मान्यवर, कोई अनुचित बात नहीं है। हमारी जब से विधान सभा बनी, 1937 से, तब से भी लगातार उपाध्यक्ष के निर्वाचन भी हुए हैं, निर्विरोध हुए हैं। 1952 के बाद जब से हम आजादी प्राप्त करने के बाद जब हमारी विधान सभा जो वर्तमान संविधान है उसके अनुसार जब गठित हुई तब से कुल 13 बार उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है और उसमें 6 बार निर्वाचन हुए हैं, उसमें एक राय नहीं हुई थी और कई-कई नामनेशन आए हैं। यदि कहें तो मैं नाम भी बता सकता हूं, कई बार ऐसी स्थिति आयी है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1985 में मान्यवर, जो हमारी वर्तमान विधान सभा के सदस्य हैं, वर्तमान में जो कैराना से चुने गये हैं, हुकुम सिंह जी, वह भी निर्विरोध नहीं हुए थे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बार जो यह स्थिति है, आपको और अधिक टालने की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, इस दिशा में चाहे एकता बनती हो या नहीं बनती हो। हमारा जो संवैधानिक दायित्व है उसके निर्वाह के लिए हमें इस चुनाव को अवश्य करना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया हुकुम सिंह जी का, वरिष्ठ सदस्य हैं, 14 सितम्बर, 1984 को निर्वाचन हुआ था और उसमें मान्यवर, श्री रियासत हुसेन को 25 और हुकुम सिंह को 292 मत मिले थे। इस तरह अनेकों बार इस तरह का निर्वाचन हुआ है और अन्तिम जो निर्वाचन हुआ था, उपाध्यक्ष जब बने थे। 1992 में राम आसरे वर्मा जी भी बने थे, उनका निर्वाचन हुआ और सुन्दर लाल जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और इसी सदन ने वोट देने का काम किया था। तो निश्चत रुप से मान्यवर, हमारा जो संवैधानिक दायित्व है, उसका निर्वाह करना चाहिए और इसके लिए आवश्यकता पड़े तो निर्वाचन की भी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, यही निवेदन है और बार-बार इसको टालकर हमें अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।

नोट --*वक्ता ने भाषण का पुन:निरीक्षण नहीं किया।

अगर कोई ऐसा सुझाव आता है तो कल या परसों चुनाव हो जाय तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है। मैं जो उम्मीदवार हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी स्थिति न आये कि वह अपनी वकालत करने स्वयं खड़े हों। अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वह कर सकते हैं लेकिन अपनी वकालत न करें। यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि चुनाव जरुर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अगर कोई माननीय सदस्य, नाम निर्देशित सदस्य नाम वापस लेना चाहते हों तो 1-2 मिनट का मैं अवसर दे रहा हूं।

डा0 अम्मार रिजवी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और माननीय लाल जी वर्मा ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में अगर आपकी अनुमति हो तो दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

चुनाव प्रचार न हो तो अच्छा है।

डा0 अम्मार रिजवी-

मान्यवर, जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि अगर हम सहमत न हो पायें तो उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिये। चूंकि कांस्टटीट्यूशनल आब्लीगेशन है, सत्ता पक्ष ने हमसे कहा कि एक नाम दीजिये, किसी वजह से हम लोगों में कोआर्डिनेशन, समन्वय नहीं हो सका और हम एक नाम नहीं दे सके तो हमारा यह आपके माध्यम से अनुरोध है कि 3 लोगों के नाम यहां पर मौजूद हैं नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री परामर्श कर लें और इसी में से किसी को करवा दें, उपाध्यक्ष का पद खाली नहीं रहना चाहिये। हर साल जैसे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है उसी प्रकार से उपाध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होती है। मैं अनुरोध करुगा कि इसी सत्र में संसदीय कार्य मंत्री जी परामर्श करके तीन लोगों में से किसी को भी घोषित करवां दे हमें कोई एतराज नहीं है। कोई भी हो जाय लेकिन इसी सत्र में आप इसकी घोषणा कर दें। मैं माननीय लालजी वर्मा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करता हूं।

* (नेता विरोधी दल) श्री धनीराम वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक परंपरा रही है कि जो मुख्य विपक्षी दल होता है उसी से उपाध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। पहले हमारे विपक्ष के सभी माननीय नेताओं ने एक राय होकर हमारी पार्टी के सदस्य माननीय गौरी शंकर जी के लिये सर्व सम्मति से लिखकर दिया था वह मुख्य पत्र आपके पास भिजवा दिया था। उसमें डा0 अम्मार साहब के हस्ताक्षर थे उसकी फोटो कापी हमारे पास है, मूल प्रति पीठ को पहुंचा दी थी। जब सभी माननीय नेता सहमत थे तो उसी आधार पर इलेक्शन करवा लेना चाहिए था। इलेक्शन वाला है तो लोगों की राय बदलती रहती है, लोग चाहते हैं कि इलेक्शन लड़े और कोई पद मिल जाय तो कुछ न कुछ विचार बदलते रहते है। एक परंपरा जो है उसको तोड़ा न जाय। मेरा प्रस्ताव है कि सर्व सम्मत आधार पर, अब भले ही कह रहे हैं कि हमारी सहमति नहीं थी, हमारे सदस्य माननीय गौरी शंकर एडवाकेट को उम्मीदवार घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता विपक्ष और अन्य सम्मानित सदस्यों के विचार सुन लिये। उपाध्यक्ष का पद भरा जाना तो उचित है और संवैधानिक व्यवस्था भी है। पिछली बार इसके लिये तिथि निश्चित की गयी थी और निर्वाचन स्थगित किया गया था तो उसका आधार यह था कि एक आम सहमति बन जाय।. . .

श्री अध्यक्ष-

बीच में लगता है प्रयास में कहीं कुछ ढिलाई आ गयी। चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ तो फिर थोड़ी सी सक्रियता आयी है। माननीय लालजी वर्मा ने भी इस बात का आग्रह किया है कि निर्वाचन यदि आवश्यक है तो हो जाये। आम सहमति बनाने के लिए 2-3 दिन के लिए चुनाव स्थगित किया जाये तो आपत्ति उन्हें भी नहीं है। माननीय डा0 अम्मार रिजवी ने भी यही कहा। मैं समझता हूं कि माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्यमंत्री जी, यह तीनों लोग इस बात का प्रयास कर लें और किसी माननीय सदस्य के नाम पर आम सहमति बन जाये तो यथाशीघ्र इसी सत्र के अन्त तक कोई नाम दे दें आम सहमति बनाकर तो अच्छा है। हम सब बहुत प्रसन्न होंगे यदि कोई एक नाम आ जाये।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जिन हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं और आपका जो निर्णय है वह शिरोधार्य है। एक बात स्पष्ट हो जाये कि क्या यह जो 3 नामांकन हुये हैं उन्हीं में से नाम तय किये जायेंगें?

श्री अध्यक्ष-

हमने कहा है कि किसी भी माननीय सदस्य का नाम तय हो जाय। चयन का क्षेत्र हमने बहुत विस्तृत कर दिया है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गयी, कल नामिनेशन हो गया और तीन माननीय सदस्य ने नामिनेशन किया तो फिर किसी भी सदस्य का अर्थ क्या है, जो नामिनेशन हुये हैं उसी में से चयन होना है। मैं निवेदन के साथ आपसे आग्रह करुंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें क्या लां-एण्ड-आर्डर की समस्या आ रही है? चुनाव आपको कराना है। चौथा साल इस विधान सभा को चल रहा है, सरकार के सामने कठिनाई क्या है? क्या हर चुनाव के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से डेट निश्चित करानी पड़ेगी। पंचायत चुनाव न कराने के लिए यह हाईकोर्ट गये, हाईकोर्ट ने मना कर दिया फिर सुप्रीम कोर्ट में गये। मेरा आपसे निवेदन है कि जो प्रक्रिया निर्धारित है और भारत के संविधान के तहत चुनाव होना है इसके लिए नामिनेशन हो गया है तो अब चुनाव बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। सरकार की दलील व्यर्थ है। मान्यवर, तीनों में से किसी का चुनाव हो जाना चाहिए या इनमें से ही नेता सदन किसी को कर दें। आपने 4 साल का समय दिया, और समय देंगें तो फिर खरीद-फरोख्त शुरु कर देंगें। इस पर भी रोक लगानी है। उपाध्यक्ष का चुनाव आज ही इसी समय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उपाध्यक्ष पद के लिए जो निर्वाचन है उसे अभी स्थगित करता हूं और आशा करता हूं कि इस सत्र के अन्त तक माननीय नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष मिलकर आपस में आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगें लेकिन इसके लिए हमें एक औपचारिक प्रस्ताव रखना होगा।

* श्री बी0 आर0 वर्मा-

यह अच्छी बात है जिसके पहल के लिए आपने नेता सदन, संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह जिम्मेदारी डाली है। मुझे स्मरण है पूरे विपक्ष की तरफ से एक नाम श्री गौरी शंकर जी का जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या लोकदल, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी लोगों की तरफ से एक नाम आया था और सभी ने दस्तखत करके दिया था।

नोट --*वक्ता ने भाषण का पुन:निरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कह दी। यह बात हमारे अभिलेखों पर है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

ऐसा प्रयास हुआ उस पर सत्ता पक्ष की सहमति नहीं रही और सत्ता पक्ष की तरफ से दो तीन और सदस्यों का नामांकन कराया गया। मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली के नियम-9(1) को देखने की कृपा करें उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेंगे। परन्तु इस प्रकार नियत तिथि सभा की अवधि में होने वाली रिक्तता की दशा में यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, तथा यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत् हो, तीस दिनों के भीतर होगी। यह चिन्ता हम लोगों की है कि पहली बात तो उपाध्यक्ष का पद भर जाना चाहिए थी पहले इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कोशिश की गई होगी कि एक नाम आ जाए और सर्व सम्मति से उस व्यक्ति को उपाध्यक्ष के आसन बैठाएं। परन्तु जैसी कि माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की चौथा वर्ष चल रहा है इन तीन वर्षो तक हम कोशिश नहीं कर पाए एक नाम सर्व सम्मति से अगर तय हो जाता तो मेरे जैसे व्यक्ति को खुशी होती। अगर सहमति नहीं बनती है तब निश्चित तौर पर निर्वाचन हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं समझता हूं कि अन्तिम प्रयास कर लेना चाहिए।

श्री बी0आर0 वर्मा-

सर्वसम्मति न बने तो चुनाव कराकर इस पद को भर दिया जाए अन्यथा आने वाले दिनों में यह नजीर बनेगी कि पहली बार तेरहवीं विधान सभा बिना उपाध्यक्ष के रह गई।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात ठीक है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

श्रीमन् मेरा तो यह भी प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में यह परम्परा रही है कि उपाध्यक्ष विपक्ष से हो परन्तु बहुत सारे प्रदेश ऐसे भी हैं जहां सत्ता पक्ष का उपाध्यक्ष भी होता है। अगर विपक्ष एक नाम पर सहमत नहीं होता है या विपक्ष द्वारा सुझाए गए नाम पर सत्तापक्ष सहमत न हो तो सत्तापक्ष किसी को उपाध्यक्ष के पद पर आसीन कर दे लेकिन यह पद खाली न रहे।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी ने ठीक सुझाव दिया है। यथा सम्भव इसी सत्र में उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाए।

मैं समझता हूं कि एक औपचारिकता और रही है सदन प्रस्ताव पास कर दे कि जितने नाम निर्देशन प्राप्त हुए हैं वह निरस्त किए जाएं। बाद में आवश्यक होगा तो इन्हीं लोगों के नाम दुबारा निर्देशित हो जाएंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसी व्यवस्था के अनुसार मद संख्या-3, मद संख्या-4, मद संख्या-5 का निस्तारण हो रहा है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 मई, 2000 को सदन के संज्ञान लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 16

सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई।

(निम्नलिखित स्वीकृत सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गई।)

जनपद फतेहपुर के हसवा क्षेत्रान्तर्गत ललौली इण्टर कालेज के प्रबन्धक द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यो की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र, हसवा के अन्तर्गत ललौनी इण्टर कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर विद्यालय की कार्यकारिणी में विरोधाभास हो गया है तथा प्रबंधक द्वारा बड़ी रकम लेकर विद्यालय के अध्यक्ष व सदस्यों के सहमति के बगैर नियुक्ति करना चाहते हैं जिससें क्षेत्रीय जनता में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है। अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा जिलाधिकारी, फतेहपुर को जांच की मांग शपथ-पत्र देकर की गयी है। जांच के दौरान ही जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर अवैध रुप से धन लेकर नियुक्ति की अनुमोदन करना चाहते हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की जांच कराकर फर्जी नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के प्राथमिक विद्यालय शहजादपुरा में कार्यरत अध्यापक की हुई मृत्यु के एवज में उनके मृतक आश्रित की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल-

[महोदय, मो0 साजिद प्राथमिक विद्यालय शहजादपुरा जिला जालौन में स0 अध्यापक के पद पर कार्यरत था दिनांक 29.11.99 को जिले भर के विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मो0 साजिद निरीक्षण के दौरान अपनी डियूटी पर अध्यापन कार्य करते निरीक्षणकर्ता जिला कार्यक्रम अधिकारी को मिला। जबकि उक्त विद्यालय के अन्य अध्यापक निरीक्षक के दौरान अनुपस्थित पाये गये उपस्थिति पंजिका पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी ने हस्ताक्षर किये और उसकी उपस्थिति प्रमाणित की उसी दिन अध्यक्ष शिक्षा समिति/ ग्राम प्रधान ने भी निरीक्षण किया परन्तु फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन ने आपके पत्र संख्या 469 दिनांक 4.12.99 द्वारा उसे निलम्बित कर दिया। दिनांक 15.12.99 को उक्त अध्यापक ने स्वयं मुख्य विकास अधिकारी जालौन को अपने साथ हुई अन्याय के बावत प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की, उक्त विद्यालय के दो अध्यापक जो निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये थे उनका बहाल कर दिया गया दिनांक 11.1.2000 को जिलाधिकारी जालौन को तथा दिनांक 4.2.2000 को उक्त अध्यापक ने न्याय हेतु क्रमश: जिलाधिकारी जालौन व बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन को पत्र दिये परन्तु फिर भी उसको बहाल न किया गया जिसके कारण मो0 साजिद को गंभीर रुप से मानसिक आघात लगा और दिनांक 9.2.2000 को रात्रि में जिला अस्पताल उरई में उसकी ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दिनांक 16.2.2000 तक उसकी बहाली नहीं की गई तथा दिनांक 18.2.2000 तक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिपिक द्वारा दिनांक 18.2.2000 तक उसकी बहाली का आदेश जारी नहीं किया गया एक आदेश जो किसी अन्य पत्र का पृष्ठांकन संख्या 69504-64 दिनांक 7.2.2000 था इसी क्रमांक पर पिछली तिथि में उसकी

नोट -- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहाली का कथित आदेश बेसिक अधिकारी ने बना कर अपने पास रख लिया जिसको जारी भी नहीं किया गया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन के द्वारा मानसिक रुप से उत्पीड़न के कारण तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी जालौन द्वारा किये गये उत्पीड़न के कारण मो0 साजिद की मृत्यु से उसके वृद्ध माता-पिता बेसहारा तथा भुखमरी के कगार पर पहुंच गये है उसके बेरोजगार भाई मो0 शारिक अंसारी को अभी भी मृतक आश्रित के रुप में नियोजित न किये जाने से जिले भर के अध्यापकों में आक्रोश है।

अत: लोक महत्व के इस प्रश्न को उठाने व आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी में अतरौरा संपर्क मार्ग में लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज निषाद-

[महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड भीटी में अतरौला सम्पर्क मार्ग का लेपन हेतु सन् 97-98 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है। परन्तु आज तक इस मार्ग पर केवल गिटिटयां ही रखी गयी है कुछ जगह पर बिछा दी गयी है जिससे जनता को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के बनने से भीटी मुख्यालय से केवटाई, भेदवा, अतरौरा, रामबाबा, हीड़ी पकड़िया महमदपुर, नहरपुर लोहझरा बस्तीपुर आदि ग्राम पंचायतों को भीटी मुख्यालय पर आसानी से पहुंच सकते हैं। परन्तु आज तक सड़क का लेपन कार्य नहीं हुआ जबकि इस सड़क का कार्य होना अति आवश्यक है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके द्वारा शासन को शीघ्र कार्य कराने का आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद गाजीपुर के सदर क्षेत्रान्तर्गत मंगई नदी के मानपुर घाट पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र 233 सदर के अन्तर्गत मंगई नदी मानपुर घाट पर पुल न बनने से क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस पुल के बन जाने से सिंगेरा, बरेन्द्रा, बीरबलपुर, बवोतरी, पलिया वाया मानपुर से गाजीपुर का सीधा सम्पर्क जुड़ जायेगा। जिला मुख्यालय की दूरी काफी कम हो जायेगी। मानपुर घाट से जिला मुख्यालय तक पक्की सड़क बन चुकी है तथा मानपुर घाट से पलिया, कवोतरी, बीरबलपुर वाया सिंगेरा तक पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है। मात्र नदी में पुल न होने से उक्त लम्बी सड़क का बनना बेकार साबित हो रहा है। गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी सूख जाता है तो उक्त मार्ग पर दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता है तथा जीप, ट्रैक्टर, ट्रक लगातार चलते रहे हैं। ज्यों ही नदी में पानी आ जाता है। रास्ता बंद हो जाता है और 8 महीनों उक्त लम्बी रोड सुनसान रहती है।

उक्त लम्बी रोड पर लगा धन जो जनता के लिए सरकार ने बनाया जिसमें सरकार की मानसिकता थी कि क्षेत्र के लोगों का विकास हो। उससे भी क्षेत्र की जनता वंचित तथा विभिन्न तरह की समस्या कोई बीमार पड़ जाय तो जिला मुख्यालय पर पहुंचने के पहले रास्ते में ही दम तोड़ देता।

उपरोक्त समस्त समस्याओं को देखते मानपुर घाट पर पुल बनाने की मांग दोहराते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर में गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 कौशल किशोर-

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर में किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता है खुलेआम बाजार में गेहूं का मूल्य 500/-रूपये कुन्टल से लेकर 530 रूपये प्रति कुन्टल मात्र है। इस मूल्य पर गेहूं खरीदकर व्यापारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर बेंच रहे हैं। सरकारी गेहूं खरीदने वाली एजेसिंयों की इन व्यापारियों से सांठ गांठ हो जाती है जब कृषक गेहूं लेकर सेन्टर पर जाता है तो उसे बोरा उपलब्ध न होने का गेहूं खराब होने का बहाना बनाकर वापस कर दिया जाता है। कृषक निराश होकर गेहूं वापस ले जाकर खुले बाजार में कम मूल्य पर बेचने पर मजबूर हो जाता है अगर कोई कृषक जिद करता है और मजबूरी में क्रय एजेसिंयों को खरीदना ही पड़ता है। तो कृषकों से प्रति कुन्टल 3 किलो का कहीं काट लिया जाता है इस प्रकार कृषकों का बृहद शोषण हो रहा है।

मान्यवर, लोक महत्व की यह अविलम्बनीय समस्या है कृषकों के हो रहे शोषण को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेन की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के लहरपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल एवं प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के दुरूपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अनतर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

[महोदय, जनपद सीतापुर, विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के विकास खण्ड लहरपुर के विकास खण्ड लहरपुर पर सेंठी हरगांव में जूनियर हाईस्कूल प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु धन राशि प्रधान अध्यापकों व सहायक अध्यापकों को अवमुक्त की जा चुकी है। परन्तु भवन निर्माण न कराकर धनराशि निजी प्रयोग में खर्च कर ली। अभी तक न उन पर रिकवरी जारी की गयी। और न ही शेष कार्य का मूल्यांकन किया गया। जिससे भवन निर्माण अधूरे पड़े है किसी-किसी भवन निर्माण में शौचालय का पैसा गबन कर लिया गया है।

बार-बार लिखने पर भी दोषी अध्यापकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गयी। न ही किसी के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी शिक्षा विभाग इस प्रकरण को दबाना चाहता है। इससे जनता में बड़ा रोष व्याप्त हो गया है।

अत: इस अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं। सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।]

जनपद फतेहपुर के किशुनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरली धर-

[महोदय, मैं आपकी कृपा पूर्ण अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत सरकार के संज्ञान में लाने हेतु सम्मानित सदन में एक अति लोक महत्व की सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूं।

नोट -- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर मेरी विधान सभा क्षेत्र किशनपुर जनपद-फतेहपुर नदी के किनारे स्थित है जहां भमि असमतल एवं बीहड़ है पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। पेय जल संकट हेतु जल निगम फतेहपुर द्वारा इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये थे। ग्राम अर्ठहया (घाटा) एक हैण्डपम्प धरांव में रिवोर महोली काडेय, मजरे महावत असहत ब्लाक विजयीपुर हरचन्द्रपुर ब्लाक घाता, रहमतपुर कोरी के दरवाजे ब्लाक विजीयीपुर कोट कोकाई का डेरा रामपुर ब्लाक का डेरा रामपुर भसरौली ब्लाक विजयीपुर के तामाम मजरों में तथा ग्राम सरकण्डी ग्राम जरौली के मजरों में स्वीकृत इण्डिया मार्का हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं और अब दो तीन वर्ष लापरवाही में बीत जाने के बाद ऐसा लगता है कि जल निगम फतेहपुर उक्त ग्रामों के तमाम हैण्डपम्प की धन राशि हड़प वापस चाहता है। इसी प्रकार सरौली गढ़ा, एकडला, सॉटा, नरैनी मगवा असोधर इत्यादि ग्रामों के भी स्वीकृत हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे है।

अस्तु मैं शासन का ध्यान उक्त पेयजल समस्या के निवारण की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं एवं दोषी कर्मचारियों/अधिारियों को दण्डित करानें की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्रतीक्षा सूची से अस्वीकृत हुई उनके नाम श्री भोला शंकर मौर्य तथा श्री विजय पाल सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री अरविन्द गिरि, श्री परवेज़ हलीम, श्री दद्दू प्रसाद, श्री लालमणि प्रसाद, श्रीमती सुखदेवी वर्मा तथा श्रीमती उर्मिला देवी हैं।

भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

* कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से एक औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ कुल हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

जनसंख्या पर प्रमोद जी की सूचना है, बाजपेयी जी का प्रस्ताव है और सुबाष जी की भी सूचना है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

यह इतना गंभीर विषय है कि लोक सभा ने इसको गम्भीरता से लिया है और यह स्वीकार किया है कि यह चिन्ता का विषय है।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। कल 11 मई को 12 बजकर 56 मिनट पर दिल्ली में सफदरगंज अस्पताल में आस्था नामक बालिका के जन्म के साथ भारत की आबादी एक अरब हो गई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा राष्ट्र है जिसने एक अरब की संख्या पार कर ली है। आजादी से पहले 23 करोड़ आबादी थी और 1900 से 2000 के बीच 23 से एक अरब की संख्या हो गई है। सोवियत रुस और अमेरिका भी मिला दे तो तीन गुनी जनसंख्या है। अगर यही हालत रही तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से 2.5 प्रतिशत है हम पूरी दुनिया के और आबादी के हिसाब से 16 प्रतिशत हैं। दो सेकेन्ड से एक बच्चा पैदा हो रहा है। स्थिति यह है

नोट -- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कि एक करोड़ साठ हजार लोग प्रतिवर्ष बढ़ रहे है। यानि प्रतिवर्ष एक आष्ट्रेलिया अपने साथ जोड़ रहे है।

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एव न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं एक सूचना दे दूं। आज की कार्यसूची में मद संख्या-14 पर देख लें डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिको पर कड़ाई से लागू किया जाय" इसी पर मेरा सुझाव है कि आपके भी बहुमूल्य सुझाव आ जायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी जितनी देर बोल रहे थे उतनी देर में पांच बच्चे पैदा हो गये।

श्री हुकुम सिंह-

जब हम बोलते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं और जब आप बोलते हैं तो क्या आदमी पैदा होते हैं?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बोलता हूं इसलिए जो बच्चा पैदा होते हैं वे वैध होते हैं और जब संसदीय कार्य मंत्री जी बोलते है तो अवैध बच्चे पैदा होते है। मान्यवर मैं चाहता हूं कि इस विषय के महत्व को देखते हुए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाय और देश की आबादी को रोका जाय। वरना जो कहा जाता था कि एक दिन प्रलय आयेगी वह होगा।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री सुबाष जी यह जो अवसर छीनने वाली बात है। जब यह विषय आयेगा तो आप अपने विचार प्रकट कर दीजियेगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, एक अरब की आबादी देश की हो गई है, चिन्ता की बात है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सब से अधिक है, इसलिए सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, जिससे भविष्य में भयावह स्थिति उत्पन्न न हो सके।

श्री अध्यक्ष-

अभी तक मेरे पास इस सदन के किसी माननीय सदस्य के परिवार में वृद्धि की सूचना नहीं आयी है इसलिये अभी कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तो महीने पहले चिन्ता जता दी है। आप तो आज जता रहे हैं। इस तरह से अवसर छीनने वाली बात नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जब मद संख्या-14 लिया जायेगा, तो उस समय आप अपने सुझाव दे दीजियेगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र की तरह एक जन संख्या आयोग गठित करना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनःनिरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

[illegible] उचित समय दे दीजिये।

[illegible] के [illegible] की सूचनायें

श्री [illegible]

अ[illegible] के अन्तर्गत कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुई। तीन ही सूचनायें अस्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री अरुण प्रताप सिंह जी की स्टोर कीपर, विद्युत भंडार खण्ड हल्द्वानी जनपद नैनीताल को [illegible] किये जाने के संबंध में है, इसे अस्वीकार किया जाता है। दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश जी [illegible] में डिपो प्रभारी यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 रामपुर द्वारा गेहूं खरीद में की गयी अनियमितता के संबंध में है, इसे अस्वीकार किया जाता है। तीसरी सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट जी की दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लागू मोटर वाहनों पर व्यापार कर में विसंगति के संबंध में है, इसे अस्वीकार किया जाता है।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के ग्राम सिकन्दरपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम अवध आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका+

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर, मैं अपनी आज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबपुर के ग्राम सिकन्दरपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम अवध तथा श्री दयाराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मेरठ के ऐतिहासिक इमारत टाउन हाल में स्थित पुस्तकालय तथा नेता श्री सुभाष चन्द्र बोस स्मारक के रुप में घंटाघर को संरक्षित रखने तथा मौलिक स्वरुप को बनाये रखते हुए सौन्दर्यीकरण कर दर्शनीय बनाये जाने विषयक श्री सुन्दर सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)+

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मेरठ के ऐतिहासिक इमारत टाउन हाल में स्थित पुस्तकालय तथा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस स्मारक के रुप में घण्टाघर को संरक्षित रखने तथा मौलिक स्वरुप को बनाये रखते हुए सौन्दर्यीकरण कर दर्शनीय बनाये जाने विषयक श्री सुन्दर सिंह तथा श्री आशीष गुप्ता निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

25 मिली लीटर से अधिक क्षमता वाली हस्तनिर्मित कांच की शीशी को कर मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री के निर्धारित वक्तव्य का स्थगन+

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-11 पर संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में अनुपस्थित थे)

श्री अध्यक्ष-

इस मद को स्थगित किया जाता है।

नोट :- +छापी नहीं गयी।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, यह चिन्ता की बात है उनका कोई अनुरोध होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सचिव, विधान सभा बता रहे हैं उनका कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध था।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सुचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 12-5-2000 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयी हैं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है--

मैं सूचनाएं पढ देता हूं। पहली सूचना श्री आर0 के0 चौधरी, श्री बी0 आर0 वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री श्रीराम पाल, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री लाल जी वर्मा की है। दूसरी सूचना श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राम प्यारे सिंह की है। तीसरी सूचना श्री बाबू लाल, श्री संजय गर्ग, श्री विजय पाल सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री प्रदीप कुमार, श्री रघुबर दयाल वर्मा की है। चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य, श्री अम्बिका चौधरी, श्री जगदीश सिंह राणा की है। पांचवीं सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री कोकब हमीद , श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री संजय गर्ग, श्री स्वामी ओइमवेश, श्री राजपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री बनारसी दास चान्दना की है। छठवीं सूचना श्री गोपाल कृष्ण की है। सातवीं सूचना श्री राम ललित चौधरी, श्री राम प्रसाद चौधरी की है। आठवीं सूचना श्री राम पाल की है, नवीं सूचना श्री मानिक चन्द्र यादव और रघुवर दयाल वर्मा की है। दसवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की है। इन्होंने कहा है कि आज इसको स्थगित कर दें पुनः सोमवार को इसकी सूचना देंगें। इसके बाद तीन सूचनाएं विशेष उल्लेख के अन्तर्गत विषय के महत्व को देखते हुए पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री विजय प्रकाश और श्री सुबास चन्द्र श्रीवास्तव की निरन्तर बढ रही जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के संबंध में है, इसका निस्तारण हो गया है। मद संख्या-14 पर इस पर चर्चा होगी। दूसरी सूचना श्री अरविन्द गिरि और श्री रमेश राही की जनपद लखीमपुर खीरी में छात्र देवेश अग्निहोत्री आदि पर राजनैतिक द्वेषवश गैंगस्टर व रासुका आदि लगाये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री अम्बरीष कुमार की है। इसको नियम-56 समाप्त करने के तुरन्त बाद ले लेंगे। शेष माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, नियम-56 में जो सूचना मैंने दी वह अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। करोड़ों लोगों के जन मानस से जुड़ा सवाल था। वह दूसरी सूचना है नियम-56 में नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष-

वह शलाका में नहीं आ पाई है। उसे सोमवार को पुनः दे दीजियेगा।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मेरी सूचना 7-वें नम्बर पर है। पूरे प्रदेश का मामला है इसको आज पोस्ट-पोन्ड कर दें। सोमवार को करा लें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर यह जो आप सोमवार को कर रहे हैं ठीक है। हमीरपुर से सांसद हैं अशोक सिंह चन्देल..... . . . .

श्री अध्यक्ष-

मैंने देखा है इसको दोबारा दे दीजियेगा सोमवार को। छोटी सी सूचना है मैंने पढ़ा है। वह सूचना आज तो चयनित नहीं हुई, आप सोमवार को दे दें।

श्री आर0 बी0 वर्मा-

यह चयनित नहीं हो पा रही है। उत्पीड़न का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप सोमवार को दे दीजियेगा मैं देख लूंगा। मैं चाहूंगा कि पहली सूचना पर कोई भी तीन माननीय सदस्य बोल लें। आप स्वयं तय कर लें।

श्री श्री राम पाल-

मान्यवर,मेरी सूचना आठवें नम्बर पर है। मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की साजिश से उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की योजनाबद्ध तरीके से फर्जी पुलिस इनकाउन्टर करा रही है और [x x x x x x] भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसे नौजवान जो अपनी जिन्दगी में मान सम्मान के लिये जीना चाहते हैं, उनको मौत के घाट पुलिस ने उतार दिया। घरों से पकड़कर दिन दहाड़े उन्हें मार देती है और बाद में इनकाउन्टर बता देती है। आज पूरे प्रदेश की जनता आक्रोशित है।

मान्यवर, 2 मई, 2000 को सुबह आठ बजे जनपद लखीमपुर खीरी थाना खीरी के अन्तर्गत जमुनिया गांव में अवधराम पासी उर्फ गुड्डू पासी को, जो अपनी बहन के यहां गया था और सुबह चाय नाश्ता कर रहा था कि इतने में घर में पुलिस आ गई. . . .

श्री अध्यक्ष-

एक अनुरोध है नियम 58 भी है, नियम 56 की सूचना में, नियम 58 के उप नियम (2) को देखें इसके अनुसार एक ही विषय पर प्रस्ताव होगा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी आपकी सूचनाओं में चार घटनाओं का, चार अलग जनपदों का उल्लेख किया गया है, अच्छा होगा यदि एक घटना पर ही बोलें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है नियम-58 तो यह जो घटना है प्रदेश में इस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित. . . .

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, आपके अनुसार यह उदाहरण दिए गए हैं, ठीक हैं।

श्री आर0के 0 चौधरी-

मान्यवर, मैं कह रहा था अवध राम पासी को खीरी की पुलिस ने जब वह अपनी बहन के यहां चाय नाश्ता कर रहा था पुलिस पकड़कर ले गई, मारा-पीटा, उसके बाद एक बार में घसीटते हुए ले गये और

नोट-- [xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

गोलियों से भूनकर मार दिया गया, मान्यवर, अवधधाम पासी और गुड्डू पासी कोई अपराधिक इतिहास नहीं है एन0 सी0 आर0 भी कोई दर्ज नहीं है। लखीमपुर की पुलिस दलित विरोधी है पिछड़ा वर्ग विरोधी है अल्पसंयक विरोधी है और इसी तरह से अवधधाम पासी [illegible] गुड्डू पासी को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह से मान्यवर, खुशीराम पासी को भी इसी [illegible] के घाट उतार दिया गया, वह उनका रिश्तेदार था। घाटमपुर मान्यवर, [illegible] के भाई अनुज पासी को तीन महीने पहिले मार दिया गया उसको घर से पकड़कर ले गए और मार दिया।

(इस समय 1 बजकर 06 मिनट पर अधिवक्ता डा0 [illegible] सिंह डंग विधासीन हुए।)

[illegible] थाना अलीगंज में [illegible] को थाना अलीगंज की पुलिस ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ जनपद में [illegible] पुलिस ने श्याम सुन्दर पासी को घर से पकड़कर ले गए और बाग में ले जाकर गोलियों से भून दिया। लखनऊ में थाना मड़ियाहू में बाबू पासी को पुलिस पकड़कर ले गयी और मार डाला। पुलिस ने फर्जी इंकाउन्टर दिखा दिया। बख्शी तालाब में अर्जुन देहलिया को पकड़कर इन्काउन्टर कर दिया। लखनऊ जनपद में 8 मई को मान्यवर थाना मोहनलालगंज ग्राम गौर में रामप्रसाद पासी को इन्काउन्टर की नियत से पीटकर पकड़कर पैर तोड़ दिया हजारों लोगों ने पुलिस को घेरा तो दरोगा आर0 के0 सिंह भाग गया, राम प्रसाद की जान तो बच गयी लेकिन वह बलरामपुर अस्पताल में भर्ती है। इलाहाबाद में घटना घटी कैन्ट पुलिस ने सुनील कुमार को थाना सिविल लाइन से पकड़ लिया और नेहरु पार्क के पीछे ले जाकर मार दिया। कैन्टोमेन्ट आर्मी का इलाका है वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आर्मी के साथ वार्ता किया तब पुलिस छुटकारा पायी। मान्यवर, इस तरह से बहुजन समाज के साथ पिछड़े लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। खासतौर से पासी समाज के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं अनुरोध करुंगा इसमें जांच हो। यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है यह महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय है इसमें चर्चा कराई जाए।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जातीय विद्वेष भावना से फर्जी इंकाउंटर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ किये जा रहे हैं और पुलिस द्वारा नौजवानों को फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है, यह दुःखद घटना है। मान्यवर, 2 मई, 2000 को लखीमपुर खीरी में गुड्डू पासी अपनी बहन के यहां गया था, चाय पी रहा था तो उसी समय खीरी की पुलिस आयी और उसे पकड़ कर ले गयी तथा बाग में ले जाकर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसे मार दिया। गुड्डू के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। मान्यवर, इसी तरह कानपुर देहात में राम प्रसाद पासी को पुलिस पकड़ कर थाने ले गयी और वहां उसे मार डाला। इसी तरह थाना अलीगंज, लखनऊ में राम विलाश को, माल थाने में श्याम सुन्दर को पुलिस पकड़ का ले जाती है और उन्हें मार देती है। लखनऊ में ही थाना मड़ियाहूं में बाबू पासी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे मार डालती है। इसी तरह लखनऊ में ही थाना बक्शी तालाब में अर्जुन बहेलिया और मोहनलालगंज की पुलिस ने ग्राम गौरा में राम प्रसाद पासी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और फर्जी मुठभेड़ में मार डालने का प्रयास है। मान्यवर, इस तरह आज जनता पुलिस की मार से जूझ रही है। इसी तरह इलाहाबाद में दिनाक 10 मई, 2000 को सुनील नामक व्यक्ति को जो मेहतर है कैन्ट की पुलिस पकड़ कर ले जाती है और शाम को नेहरु पार्क के पीछे मार देती है। मान्यवर, मैंने पार्टी के जिम्मेदार साथियों से बात किया तो पता चला कि उसका पिता कल्लू मेहतर से मेरे साथियों ने बात किया था तो मालूम हुआ था कि उसके खिलाफ 2-3 केसेज हैं लेकिन पुलिस उसके खिलाफ बड़े-बड़े चार्ज लगाकर सुनील को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। मान्यवर, यह कैन्ट क्षेत्र का मामला था इसलिए

आर्मी की पुलिस ने यहां की पुलिस को घेर कर बन्धक बना लिया और उसके बाद आर्मी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां आये जिन्होने मामले को शांत किया तब कहीं पुलिस वाले छोड़े गये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे टुण्डला, हरदोई आदि जगहों पर दलितों को मारा जा रहा है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसलिए इस अति लोकमहत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर आप इस पर चर्चा करायें।

* श्री बी0आर0वर्मा

मान्यवर, जिन तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम नौजवानों की आज पुलिस द्वारा हत्या की गयी है और पुलिस मुठभेड़ दिखाकर इन घटनाओं का इतिश्री करने की कोशिश की गयी है जिसका जिक्र अभी श्री आर0के0 चौधरी और इन्द्रजीत सरोज जी ने किया है। मान्यवर, आखिर इसका कारण क्या है? यह अधिकार कतई पुलिस को प्राप्त नहीं है कि वह किसी की हत्या करे अथवा उसका इन्काउण्टर करे।

और इन्काउन्टर होता तो निश्चित तौर पर गोलियां चलती दोनों तरफ से। लेकिन यह फर्जी इन्काउन्टर है। आज 425 सदस्यों वाले सदन में कहने का मौका मिला तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो अपने क्षेत्र में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद से कोई न कोई अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायक का नौजवान पुलिस द्वारा न मारा गया हो। फर्जी मुठभेड़ में उसकी इतिश्री कर दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस सोच पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उस सोच को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उनके मुख्य मंत्री कल्याण सिंह ने शासनादेश जारी करके संदेश दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसीटीज एक्ट है उसका अनुपालन न किया जाय। यह शासनादेश जो जारी हुआ उस शासनादेश के माध्यम से यह संदेश देने का काम किया और इस कारण भय किसी को नहीं रह गया और पुलिस का हौसला बढ़ा। इसके बाद जो अभी हमारे मुख्य मंत्री हैं जिनका मैं बहुत सम्मान और आदर करता हूं उनकी स्पष्टवादिता के लिए, उन्होने कहा कि मैं कमजोर मुख्य मंत्री हूं और कमजोर आदमी किसी का नुकसान नहीं करता है। मैं भी किसी का नुकसान नहीं करूंगा। तो यह संदेश गया। इसके चलते चाहे पुलिस हो, आततायी हो, अपराधी हो उन्होंने यह सोचा कि हमारा नुकसान होने वाला नहीं है जो चाहें कर दें। तो आज पुलिस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उठकर कह देंगे कि उनका आपराधिक इतिहास रहा है। जो लखीमपुर खीरी की घटना है उसका परिवार जिस परिवार का वह है सात पीढ़ियो तक किसी के खिलाफ 107/116 की कार्यवाही नही हुई है, एफ0 आई0 आर0 होना तो दूर की बात है। एक मारा जाय और दूसरा देखें, तो यह सोचकर कि गवाह है उसको भी मार दिया जाय और दो लोग वहां मारे गये। अगर अपराधी है तो पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह उसकी हत्या करे। यह अधिकार न्यायालय का है। न्यायालय विचार करने के बाद जो सजा देगी उसमें फांसी भी दी जा सकती है। अगर फांसी की सजा देगी तो फांसी हो सकती है। भारत के कानून में भी पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की हत्या करे और अगर करता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिये और, आज अगर एक घटना हुई होती उस पर कार्यवाही हो गयी होती तो निश्चित तौर पर दूसरे लोगों पर अंकुश लगा होता। यहां संत रविदास नगर में 4 निर्दोष लोगों को मारा गया एक बहुत बड़े अपराधी का नाम लिया गया मारा गया वह जीवित है जेल में है। आज अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यक

*वक्ता ने भाषण का पुन:रीक्षण नहीं किया।

लोगों, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दें तो पूरी संवेदनशीलता के साथ जवाब दें एक संदेश देने का काम करें। आप लखीमपुर खीरी की घटना की जांच अपने स्तर से करा लें अगर उसमें निश्चित होता है कि फर्जी मुठभेड़ दिखाया गया है तो ऐसे पुलिस कर्मियों को सजा देने का काम करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज उ0 प्र0 में जो जंगल राज्य है और जिस तरीके से एक विशेष समाज वह भी दलित समाज पर जो अत्याचार किया जा रहा है कहीं पर सामूहिक हत्या के माध्यम से कहीं पर फर्जी मुठभेड़ के माध्यम से कहीं पर दिन दहाड़े पुलिस कर्मियों द्वारा गोली मार करके घटनायें हो रही हैं यह बहुत ही दुखद है। उ0 प्र0 के किसी भी थाने पर जायें किसी भी पुलिस कार्यालय पर जायें वहां पर एक बोर्ड लगा मिलता है।

"परित्राणाय् साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम,
धर्म संस्थापनार्थाय, सम्भवामि युगे-युगे।"

जिस तरीके से इस सरकार की कथनी और करनी अब यह उलटवासी है उसी प्रकार से मान्यवर पुलिस थानों पर कार्यालयों पर यह बोर्ड भी परिलक्षित होता है और परिभाषा उसमें बदल जाती है। मान्यवर ऐसे में शासन और पुलिस तंत्र बड़े पैमाने पर दंगों के माध्यम से दलित समाज के नौजवानों का सत्यनाश कर रही है। यह सूचना आपके पास दी है इसमें फर्जी मुठभेड़ का मामला संदर्भित है। माननीय आर0 के0 चौधरी, माननीय इन्द्रजीत सरोज तथा माननीय बी0 आर0 वर्मा की बात भी विस्तार से आ गयी हैं।

मान्यवर, मैं इस बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यह मनुवाद से ग्रस्त है और यही कारण है कि जिस तरीके से मनुकाल में एक समाज के लोगों को जिनको दलित कहा गया, पिछड़ा कहा गया, अल्पसंख्यक कहा गया उसको ही बड़े सुनियोजित तरीके से, दबिश के माध्यम से, फर्जी मुठभेड़ के माध्यम से, सामूहिक हत्या के माध्यम से एक कत्लेआम शुरु किया है। मान्यवर, प्रमाण है लखीमपुर थाना में गुड्डू पासी के साथ घटना घटी, निर्दोष था और उसकी पूरी जिन्दगी में एक भी केस नहीं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी दिलोदिमाग से बहुत तेज हैं वह बड़े अच्छे तरीके से उत्तर दे देंगें कि फलां के खिलाफ इतने केस थे और फलां के खिलाफ इतने केस थे मैं उम्मीद करता हूं इस भाषा में वह जवाब देगें लेकिन यह बहुत गम्भीर बात है। सरकार के साये में, सरकार की पुलिस के लोग जिनको रक्षा के लिए बनाया गया है आज वह लोगों का गला काट रहे हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। वह गुड्डु पासी अपनी बहन के यहां गया था कोई उसका दोष नहीं था और यहां तक कि जो सबसे छोटा अपराधी होता है जेबकतरा, वह जेबकतरा तक नहीं था लेकिन आज यह पुलिस दिनदहाड़े 11 बजे फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसको मार डालती है। मान्यवर, इसी तरह से राम प्रसाद पासी, ग्राम मलारा कानपुर देहात को पुलिस मार डालती है, राम विलास पासी, बटहा, अलीगंज यह बटहा सहौली में लखनऊ में ट्राजक्शन में सरकार की नाक के नीचे घटना घटती है उसकी हत्या पुलिस कर देती है इसी लखनऊ में माल थाने की पुलिस राम शंकर पासी को ले जाती है और उसको फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मार डालती है, मड़ियांव पुलिस बाबू पासी को ले जाती है और मुठभेड़ के नाम पर मार देती है, यह सारी घटनाएं सरकार की नाक के नीचे हो रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में बतायेंगे तो 48 घंटे भी कम होगें हम तो मात्र 2 मिनट में लखनऊ में हो रही घटना का उल्लेख कर रहे हैं। लखनऊ में ही थाना बख्शी का तालाब में अर्जुन बहेलिया को मार गिराया, मोहन लाल गंज में पुलिस ने राम प्रसाद पासी को मार

गिराया। अभी अभी आपके सामने बैठे-बैठे यह सूचना आई कि इसी 8 मई को प्रभारी निरीक्षक, मौदहा, हमीरपुर जुगबरी और उसके सहयोगी सिपाही बाराती लाल को मार मार कर मार डालते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज दलित समाज के नौजवानों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से, मनुवाद, से ग्रस्त होकर उनका सफाया करने पर यह सरकार तुली हुई है। कही फर्जी मुठभेड़ के माध्यम से उनको मारा जा रहा है, कहीं सामूहिक हत्याएं की जा रही है। आज जो दलित समाज के, पिछड़े लोग हैं, उनमें भय व्याप्त है वह आशंकित हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में है।

इसलिए मैं इस लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में आग लग जायेगी, जिसे आप भी ठंडा नहीं कर पायेगें, इसलिये समय रहते इस तरह की हत्याओं पर रोक लगावें। मैं सरकार से चाहता हूं कि इन मामलों को गंभीरता से लें और ऐसी घटनाओं को तत्काल रोकने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय आर0 के0 चौधरी, माननीय सरोज जी, माननीय बी0 आर0 वर्मा जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नियम-56 के अन्तर्गत कई घटनाओं को संकलित करते हुये संभवत: यह संदेश देने का प्रयास किया कि किसी वर्ग को संकलित करते हुये संभवत: यह संदेश देने का प्रयास किया कि किसी वर्ग विशेष पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनका दमन हो रहा है। मैं पहले तो इन घटनाओं के बारे में बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा और उसके बाद, जो सरकार ने अभी तक किया है, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। यह घटना लखीमपुर खीरी की है, 2 मई, 2000 की। इसमें खुशीराम का उल्लेख विशेष रुप से किया गया। मैं नहीं मानता कि चाहे वह कितना बड़ा अपराधी हो, मारने का किसी को अधिकार है। जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार खुशीराम कुख्यात डकैत था, जिस पर 2 हजार का इनाम और 37 ए में हिस्ट्रीशीट है, 30 आपराधिक मुकदमें उसके विरुद्ध थे। जैसा पुलिस रिपोर्ट में आया है, उसके अनुसार यह लोग बाग में इकट्ठे थे, इस पर मुठभेड़ हुई और वह मुठभेड़ में मारा गया। वहां मौके से जो रिकवर हुआ, उसमें 4 जीवित कारतूत, 2 कट्टे, 5 खोखे, एक जोड़ी पाजेब, एक चेन, यह चीजें मौके से बरामद हुई।

मान्यवर, दूसरी घटना जो लखनऊ से संबंधित है, इसमें राम प्रसाद का उल्लेख किया गया, अच्छा होता राम प्रसाद के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 किसने कराई थी, यह भी उल्लेख कर दिया होता। आपने जाति विशेष का नाम तो बार-बार लिया। राम प्रसाद के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 कराई थी, विष्णुदेई पत्नी रामाधीन पासी ने। रिपोर्ट में कहा गया था कि मेरे परिवार का और मेरा हैरेसमेंट किया जा रहा है। राम प्रसाद का साथी नंद किशोर था, जो शातिर किस्म का चोर है। जिसके विरुद्ध 5 अभियोग थाने में दर्ज हैं, वह तार काटने का एक्सपर्ट था।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

आप लखीमपुर के गुड्डू पासी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, इधर उधर का बता रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

उसको भी बता दूंगा, पहले मैं अपने तारतम्य को पूरा कर लूं, गुड्डू के बारे में भी बता दूंगा। क्या परिस्थिति बनी, उसका उल्लेख कर दूंगा। मान्यवर, एक घटना जिसका उल्लेख किया गया, श्याम सुन्दर के बारे में और कहा गया, श्याम सुन्दर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। श्याम सुन्दर के विरुद्ध विभिन्न थानों में 28 संगीन मुकदमें दर्ज थे।

और घटना कब की है, 23.11.97 की, जिसे आज कार्य स्थगन के रुप में उठाया जा रहा है। 23 नवम्बर, 1997 की यह घटना है और दूसरी घटना मान्यवर, इसमें मड़ियाहूं के अन्तर्गत लखीमपुर गांव है वहां की गयी कन्धई, जनपद सीतापुर का यह हिस्ट्रीसीटर था। बाराबंकी और सीतापुर में इस पर 19 अभियोग पंजीकृत थे। यह जो अर्जुन के बारे में है, बक्शी के तालाब की है। यह 11 जून, 1998 की घटना है और 302 का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज था। अर्जुन को लेकर बरामदगी के लिए जा रहे थे तभी अर्जुन बहेलिया द्वारा सरकारी राइफल छीनी गयी और तब इन्सपेक्टर ने फायर किया। हम लखीमपुर खीरी की घटना पर आते हैं। मैंने उसका उल्लेख किया, इसलिए किया, वह कुख्यात अपराधी था, कुख्यात बदमाश था। वहां मुठभेड़ होती है, खोखे बरामद होते हैं, उसके साथ में अगर कोई दूसरा आदमी भी है जिसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, जो कोआपरेट कर रहा है। जब गोली चल रही है तो गोली के सामने निर्दोष भी आ सकता है, लेकिन जब सामने से मुठभेड़ हो रही है, एक बात वर्मा जी ने कही थी, वह मुझे छू गयी कि संवेदनशीन होकर बात करना, संवेदनहीन होकर बात नहीं करना। माननीय वर्मा जी, मौर्य जी, चौधरी साहब, आप सम्मानित नेता भी हैं और सदन को सुशोभित कर चुके हैं, आज इस प्रकार से एक माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 1997 से 2000 तक की घटनाओं को संकलित करके और एक जाति विशेष के नाम का उल्लेख करके क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि यह देखों प्रदेशवासियों, फलां वर्ग के लोगों हम तुम्हारा नाम लेकर मामला उठा रहे हैं, क्या यह जातीय उन्माद फैलाने का काम नहीं है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह मनुवादी सरकार, सुनियोजित तरीके से दलित समाज पर अत्याचार करा रही है, फर्जी अपराध दर्ज कर रही है। इस सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाई क्यों नहीं होती, दलितो पर ही क्यों होता है, क्योंकि वह [x x] हैं, इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वह [x x] हैं, इसलिए किया जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से इन मामलों पर लीपा-पोती कर रही है. . .

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्य जी, क्या यह परम्परा के अनुकूल है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात कह लेते उसके बाद आप अनुमति लेकर अपनी बात कहते तो उचित रहता। उनकी बात पूरी नहीं हुई, आपने शुरु कर दिया, यह शोभनीय नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

यह सम्मानित सदन है, इसमें विपक्ष भी है, सत्तापक्ष भी है। मेरा भी दायित्व यह कहने का है, यहां अपील करने का भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सम्मानित सदन से कि इसकी तरफ हमें जागरुक होकर देखना चाहिए। . . .

नोट -- [xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

क्या कुछ लोग, कोई दल अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिये, यहां पर जातीय संघर्ष पैदा करने के लिये कोई षडयंत्र तो नहीं कर रहा है। मेरी आपसे अपील है और सबसे अपील है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता रहे। अगर इस तरह का षडयंत्र करके और 3-4 साल पुरानी घटनाओं को संकलित करके एक संदेश देने का प्रयास करेंगें तो वह उचित नहीं है। मान्यवर, यह किसी जाति या वर्ग का सवाल नहीं है, पुलिस को या किसी को किसी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है। मैंने इतिहास बताया है और केवल एक पृष्ठभूमि रखने का प्रयास किया है। माननीय मौर्य जी, चौधरी साहब, वर्मा जी और सरोज साहब से मैं अपील करता हूं कि जातीय संघर्ष में प्रदेश को मत ढकेंले। अगर यह प्रदेश जातीय संघर्ष में जायगा तो सारा प्रदेश मिट जायगा और आप भी जीवित नहीं रहेंगें। अच्छे और बुरे सब वर्गो में, सब जातियों में होते हैं। बदमाश-बदमाश है उसकी कोई जाति नहीं होती। डकैत की कोई जाति नहीं रहती। अगर कोई पुलिस वाला किसी को सताता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती। अगर आपके पास कोई सबूत हों , तो मैं आग्रह करता हूं कि वह आप देगें तो जिस स्तर की जांच चाहेंगें मैं उसको करा लूंगा लेकिन जिस पर 32-32 मुकदमे हों, जिनके ऊपर इनाम हो और जो पुलिस के ऊपर गोलियां चलाये तो पुलिस गूंगी होकर बैठी नहीं रहेगी। पुलिस तमाम जनता की सुरक्षा के लिये और शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये पुलिस कार्यवाही करती है तो उसको शबाशी दी जानी चाहिये यह मैं कहता हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जिस बात को कह रहे हैं अगर उसी के अनुरुप आचरण सरकार का होता तो जातीय विद्वेष या जातीय संघर्ष न रहता और जाति के नाम पर जो लोग मारते थे और जाति के नाम पर जो लोग मार खाते थे तो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ और जब ऐसे लोगों को अपने अधिकारों का पता चला कि हम मार खाने के लिये नहीं पैदा हुये हैं। अगर जुल्म और अत्याचार होता है तो हमारा अधिकार है कि हम उसका सामना करें। गाली खाने और मार खाने प्रताड़ना के लिये हम पैदा नहीं हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भाषण तो नहीं दिया जाता है, यह चर्चा तो नहीं हो रही है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जो आरोप संसदीय कार्य मंत्री जी ने लगाये हैं उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आज उसी अत्याचार के खिलाफ सताये हुये लोग खड़े हो रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जालिम वहीं पैदा होते हैं जहां दब्बू होते हैं। ऐसे लोग जुल्म के खिलाफ बगावत कर रहे है तो यह पुलिस की साजिश है कि एक नहीं हजारों केस लगा दे। इसी सदन में एक प्रश्न आया था, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमों की लिस्ट है ऐसे लोग उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद में है। यह प्रश्न विधान सभा की संपत्ति बना हुआ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती हिम्मत नहीं सरकार की कि वह ऐसे लोगों को मंत्री परिषद से बाहर कर दे। जो लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे है निश्चित रुप से उनके खिलाफ मुकदमें कायम हो रहे हैं उनकी हत्यायें हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से कि राम अवध उर्फ गुड्डू वहां कैसे पहुंच गया? संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वहां गोली चली और उसको लग गयी। जहां मुठभेड़ हुयी वहां राम अवध कैसे पहुंच गया? . . . . .

श्री बी0 आर0 वर्मा-

राम अवध उर्फ गुड्डू वहां कैसे पहुंच गया। मुठभेड़ हुई तो या तो वह अपराधी रहा होगा। मैंने जानना चाहा कि क्या राम अवध उर्फ गुड्डू के सात पूरखों में भी कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है?

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मैं चाहूंगा कि पुलिस ने जो किया है अगर उसने एक निर्दोष को मारा है तो क्या संसदीय कार्य मंत्री जी पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा कायम कराने की कृपा करेंगें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य ने एक स्पष्टीकरण चाहा है कि जो फर्जी इन्काउण्टर हुये हैं, तो क्या संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करेंगें?

श्री हुकुम सिंह-

अगर फर्जी सिद्ध हो जायेगा तो निश्चित रुप से कार्यवाही होगी।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कुछ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसी पर मेरा स्पष्टीकरण है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

इस सूचना पर श्री बी0 आर0 वर्मा, श्री आर0 के0 चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इसे निरस्त किया जाता है। दूसरी सूचना श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं श्री राम प्यारे सिंह की है। कोई दो माननीय सदस्य अपने विचार रख दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप पुन: उसी बात का उल्लेख कर रहे हैं। यह अंकित नहीं किया जायेगा। स्पष्टीकरण आपके अन्य माननीय सदस्यों ने पूछा और माननीय संसदीय कार्यमंत्री नें उत्तर दे दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसका जवाब दिलवा दें कि अगर वह निर्दोष था तो उस मृतक परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देंगें और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगें।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

नोट -- [xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है। एक व्यक्ति गुड्डू था जिसको मारा गया वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था उसको घर से ले जाकर मार डाला। सारे समाचार पत्र हैं, सभी ने लिखा है कि निर्दोष गुड्डू को पंचम कहकर मारा गया। गुड्डू निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं है। पुलिस को मारने का अधिकार है। अगर वह अनुसूचित जाति के लोगों को मारेगी और यही मंशा है तो यह क्या सामाजिक समरसता पैदा करने वाला काम है? मैं चाहूंगा कि इस पर स्पष्टीकरण दे दें और इस प्रकरण की जांच का आश्वासन दे दे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी दोनों माननीय सदस्यों को अलग-अलग शंकायें है, स्पष्टीकरण चाहते हैं।. . . . .

माननीय सदस्य को यह आशंका है कि फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष जो व्यक्ति मारा गया है उसके परिवार को क्या आर्थिक सहायता देंगे?

श्री हुकुम सिंह-

जो मुठभेड़ हुई है उसमें गुड्डू पासी के बारे में बताया कि वह निर्दोष था। इस संबंध में मैंने पूर्व में कहा है कि इसकी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने के बाद कार्यवाही करेंगें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सरकार लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। निर्दोष गुड्डू पासी को मारा गया है क्या इसके लिए दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करेंगे साथ ही पांच लाख रुपए की सहायता दी जायेगी?

श्री अधिष्ठाता-

अब यह प्रकरण समाप्त हो गया।

श्री हुकुम सिंह-

जांच रिपोर्ट में जो आएगा उसके अनुसार कार्यवाही ही जायेगी।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य वेल में आ गए)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं।

(वेल में एकत्रितद सदस्यों द्वारा लगातार सरकार विरोधी नारे लगाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। कृपया अपने आसन पर जाएं।

(घोर व्यवधान के मध्य सरकार विरोधी नारे लगाये जाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपने स्थान पर वापस जायं।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन की कार्यवाही 2:15 तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है। 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग की सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

* श्री राम ललित चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आई0 पी0 सी0, सी0 आर0 पी0 सी0, पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के अनुसार पुलिस को कहीं भी किसी को पकड़कर कत्ल करने का अधिकार नहीं है चाहे वह 302 का मुलजिम की क्यों न हो। अगर गुड्डू की कहीं कोई गलती थी तो पुलिस उसको पकड़ती, जेल में बन्द करती और उस पर मुकदमा चलाती न्यायालय उसको सजा देता लेकिन पुलिस ने जान बूझकर गरीब होने के नाते, दलित होने के नाते फर्जी इन्काउन्टर करने का काम किया है। गुड्डू को जान बूझकर पुलिस ने मारा है। जिस पुलिस अधिकारी ने उसको मारा है उसके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाय और गुड्डू के परिवार को मृतक आश्रित को 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राम ललित चौधरी जी से कि इसके लिये कोई न कोई प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी। बिना प्रक्रिया के तो यह तय नहीं हो पायेगा। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के लिये कहा है उसकी रिपोर्ट आ जाय तब जो कार्यवाही करनी होगी करेंगें।

श्री राम ललित चौधरी-

मैजिस्टीरियल इनक्वायरी की बात बहुत होती है मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, कमिश्नर की पोस्टिंग कौन करता है। यह सरकार जो मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर की नियुक्ति करती है तो क्या सरकार के दबाव के विपरीत यह दोनों जा पायेंगे क्या? किसी न्यायायिक रिटायर्ड जज से करवाईये इसकी जांच।

श्री हुकुम सिंह-

सरकार द्वारा कोई निर्देश किसी प्रकार का होने का प्रश्न नहीं है। हम तो यही कहेंगें कि सही इनक्वायरी हो और सही रिपोर्ट आये जांच निष्पक्ष आनी चाहिए।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मैजिस्टीरियल जांच तो जहां पर भी मुठभेड़ में इनकाउन्टर होता है उसमें औलरेडी होती है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी कौन सी दया और कृपा कर रहे हैं। जब आपको पता है कि वह कोई अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं थी। ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है। पहले आपको एफ0 आई0 आर0 लौज करनी चाहिए उसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से हो। न्यायिक जांच नहीं करा सकते हैं तो किसी ऐसे उच्च अधिकारी से करायें जो निष्पक्ष जांच दे। मैजिस्टीरियल जांच तो सब केसेज में होती है, इसमें भी होगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों की इस मांग पर कि इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाय आपको कुछ कहना है।

श्री हुकुम सिंह-

एक बार हमारे सामनें जांच तो आ जाय। सन्देह रहेगा तो उस पर विचार कर लेंगे।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

इस प्रकरण को अनन्तकाल तक नहीं चलाया जा सकता है। इस पर मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप अनुमति दें न दें मैं अनुज्ञा मांग रहा हूं। एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कर रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मात्र दो स्पष्टीकरण चाहे थे उसमें साफ साफ जवाब चाहते है कि जब संसदीय कार्य मंत्री जी स्वत: इस बात से आश्वस्त हैं कि वो दोषी नहीं था निर्दोष बीच रास्ते में आ गया और पुलिस की गोली से मारा गया। इसकी जांच किसी परिषद् के अधिकारी से करवा लें। दूसरा यह कि चूंकि वह निर्दोष मारा गया है तत्काल उसके परिवार को 5 लाख रुपये देने की घोषणा कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर आ गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सहायता राशि के बारे में नहीं आया।

श्री हुकुम सिंह-

यह सब तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह सरकार सुनियोजित तरीके से प्रदेश में दलितों को मार रही है। इसमें पुलिस की गोली से निर्दोष व्यक्ति के मारे जाने पर भी उसके परिवार को मुआवजा नहीं दे रही है। सरकार के इस दलित विरोधी रवैये से बी0 एस0 पी0 के हम लोग बहिर्गमन करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री वसीम अहमद-

मैं आभारी हूं आपका कि आपने बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का मौका दिया.....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री वसीम अहमद-

अभी तो बोलना शुरु किया है। आज बिजली का संकट हर तरफ फैला है सरकार का बयान है कि 18-20 घंटे बिजली दे रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ में पूर्वांचल में पूरे के पूरे पूर्वांचल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षायें चल रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

सूचना तो किसानों के संदर्भ में है।

श्री वसीम अहमद-

मैं उसी पर आ रहा हूं यह भी किसानों के बेटे हैं जो लखनऊ जैसी जगह में नहीं पढ़ सकते हैं बिजली न होने के कारण और मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने के कारण, बाहर मिट्टी का तेल 20-25 रुपये बिक रहा है जिससे उनकी मड़ाई में व्यवधान हो रहा है। मान्यवर पूरे आजमगढ़ में आजकल मड़ाई का कार्य चल रहा है किसानों का शोषण हो रहा है, जब किसान फसल बोएंगे तो उनको पानी नहीं मिलेगा जो बोया है उसको जब घर जाना है तो सरकार बिजली नहीं देती है। मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोपालपुर में बनकट फीडर में डेढ़ सौ गांव आते हैं इतना लोड होने के कारण पूरे ग्रामीण क्षेत्रों, बिलरिया गंज, महाराजगंज, मटहनी सहबरपुर है बंकर का फीडर वहां है पी0 ए0 सी में पड़ने के कारण ज्यादा खराब होता है वहां कोई घुस नहीं पाता है तीन-चार दिन तक बिजली नहीं बनती है किसानों को लूटा जा रहा है उनको मारा जा रहा है उनको बिजली नहीं मिल रही है। सिब्ली कालेज पहाड़पुर में पड़ता है बदर के मोहल्ले में तकिया मोहल्ले ब्रहम अस्थान, लार्सगर मोहल्ले में बिजली नहीं आती है इसमें कोई न कोई कटौती का समय निर्धारण हो। बिजली की कटौती हो रही है कभी तीन बजे काट देंगें कभी चार बजे काट देंगें एक-दो घंटे तक ही शहर में बिजली मिल पाती है। जब व्यवसायी काम करता है बिजली नहीं मिलती है। पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची रहती है।

गोपालपुर क्षेत्र में पटवध नया फीडर का काम किया गया है पटवध में वह बनकर तैयार है जिसमें गांवों को केवल जोड़ना है उसका जोड़ा नहीं गया है किसान और मजदूर परेशान है। मेरे क्षेत्र में राजस्व मंत्री का वक्तव्य आया। हमारे यहां मान्यवर 26 गांव ऐसे है कि ओले की वजह से साफ हो चुके हैं ऊपर वाले की मार है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिजली की कटौती की जांच करायें।

इसलिए जो बिजली की कटौती हो रही है उसकी जांच करवाकर देखा जाय कि ऐसा क्यों हो रहा है और वहां विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। यह प्रश्न लोकमहत्व का है और अविलम्बनीय भी है इसलिए इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस अविलम्बनीय और लोकमहत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आजमगढ़ जिले में और ग्रामीण व शहर में बिजली की कटौती चरमसीमा पर हो रही है। गांवों में बिजली की आपूर्ति न के बराबर हो रही है। मान्यवर आजमगढ़ पिछड़ा जिला हैं, और यह मण्डल का मुख्यालय है दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जनपद आजमगढ़ के किसानों का गेहूं काट कर खलिहानों में पड़ा है और बिजली की आपूर्ति न होने के कारण उसकी मड़ाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कुछ बरसात हो गयी थी जिससे गेहूं भींग गया था, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जनपद बिजली की आपूर्ति 15 या 20 घण्टे की जाय। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ में हाफिजपुर में 400 व 220 के0वी0 का सब स्टेशन है जिससे मऊ, बलिया, सुल्तानपुर और लखनऊ आदि जिलों को बिजली की सप्लाई की जाती है लेकिन उसी जगह आजमगढ़ में सप्लाई नहीं की जाती है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाय। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में सदर में बनकट फीडर से यदि दो घण्टे बिजली आ गयी तो 15 दिनों तक क्षेत्र में बिजली नहीं आती है। इसी तरह कंधरापुर फीडर की भी स्थिति है। मान्यवर, सोफीपुर, ओरा और तेरही सब स्टेशन की मशीन खराब हैं जिससे वहां बिजली की आपूर्ति सुचारु रुप से नहीं हो रही है। यही स्थिति शहर के अन्दर पुरानी कोतवाली और राजकीय पालीटेक्निक सब स्टेशन की है। मान्यवर, आजमगढ़ पिछड़ा जिला है और

वहां 90 प्रतिशत किसान है लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल रही है इसलिए गेहूं की फसलें खलिहानों में पड़ी हैं, मैं मांग करता हूं कि कम से कम 15 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर आप इस बार चर्चा करायें चूंकि यह लोकमहत्व का और अविलम्बनीय प्रश्न है।

* श्री राम प्यारे सिंह-

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मेरा विधान सभा क्षेत्र सगड़ी है। यहां 6 विद्युत उपकेन्द्र हैं-जिनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। यह उपकेन्द्र रौनापार, मऊ कुतुबपुर, मालतारी मिर्जापुर, लाटघाट, अमुवारी, नरायनपुर, जीयनपुर है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां 6-6 विद्युत उपकेन्द्र हैं वहां पर कभी-कभी 24 घंटे विद्युत नहीं होती है। वहां के किसानों का जनजीवन किस तरह दिक्कत में है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अजमलगढ़ पम्प कैनाल है, सरकार के निर्देश हैं कि जो पम्प कैनाल है उसमें 24 घंटे बिजली प्राप्त होगी, लेकिन वहां पर भी विद्युत नहीं आती है। पिछली बार जब इनकी सरकार नहीं थी तो 24 घंटे विद्युत प्राप्त होती थी। लेकिन जब से यह भाजपा सरकार आयी है तभी से चार-पांच घंटे और कभी-कभी तो 24 घंटे विद्युत नहीं रहती है। मान्यवर, मड़ाई का समय है। हल्की बरसात होने के कारण गेहूं की मड़ाई नहीं हो पा रही है। जो पूरब क्षेत्र हैं चाहे जिस जिले को भी ले लीजिये, जो गन्ना किसान हैं, जो सिर्फ गन्ने पर आश्रित हैं जिनके घर शादी व्याह से लेकर सारी चीजें इसी पर निर्भर है लेकिन आज ट्यूबवैल के न चलने के कारण गन्ने सूख रहे हैं। ट्यूबवैल के न चलने के कारण उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, जहां तक किसानों का सवाल है, किसान गेहूं की मड़ाई के लिए मजदूर रखता है लेकिन विद्युत न होने के कारण उसको बिना काम किये की मजदूरी देनी पड़ रही है इससे उनको दोहरा नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि विद्युत की आपूर्ति कम से कम जब तक मड़ाई का काम नहीं हो जाता है तथा जब तक गन्ने में पानी नहीं दे दिया जाता है तब तक 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति करनी चाहिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा। जो भी ग्रामीण अचंल से संबंधित सदस्यगण हैं इनसे आप पूछे मान्यवर, आपके क्षेत्र में तो गांव हैं नहीं, रहने वालों की पीड़ा नहीं समझेंगे। इसलिए शायद गांवों में .....

श्री अधिष्ठाता-

मेरे क्षेत्र में 118 गांव हैं।

श्री राम प्यारे सिंह-

मान्यवर, आज की तारीख में संसदीय कार्य मंत्री जी जांच करा लें एक भी अवर अभियंता वहां विद्युत उपकेन्द्रों पर नहीं रहता है। मैंने कई बार देखा 11.00, 12.00 बजे रात को देखा वहां पर देखा कि अगर विद्युत उपकेन्द्रों पर है तो विद्युत विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के न होने कि कारण वहां फिडर बन्द रहता है। हमको अपना आदमी भेजना पड़ता है तब वह चालू करते हैं। अगर अवर अभियंता होता तो यह गलती न होती। इसलिए यह किसानों से सम्बन्धित प्रश्न तात्कालिक है, लोक महत्व का है अविलम्बनीय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी ग्राह्यता पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने अपने विचार प्रकट किये हैं। कल भी माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने नियम-56 में उठाया था। आपकी पीठ से निर्देश भी हुए थे और शासन का ध्यान आकृष्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया था। आज फिर इसको उठाया गया है। पता नहीं वह कल की सूचना को ठीक समझ रहे थे या फिर आज की सूचना को। यह पीड़ा सही है कि किसानों को दिक्कत होती है। शासन के आदेशों के अनुसार 10 घंटे के आदेश हैं। कभी-कभी उत्पादन कम हो जाता है तो 8 घंटे की जाती है सप्लाई यह जो आपने बताया आजमगढ़ के कुछ ब्लाक पलेनी बिलसरिया इत्यादि इसी तरीके से हरों आदि की हमने जानकारी प्राप्त की, जानकारी में यह आया कि औसतन 8 से 9 घंटे बिजली दी जाती है। आपने स्थानीय विद्युत दोष के बारे में कहा तो हमने निर्देश दिये हैं आज किसान की आवश्यकता को देखते हुए वहां जो स्थानीय दोष आयें उनको तुरन्त दूर किया जाए। मान्यवर, यह नियम 56 में नहीं आता है इसको निरस्त किया जाय। शासन स्तर पर कभी कोई कोताही नहीं की जाती है।

श्री राम प्यारे सिंह-

मान्यवर, जो जानकारी दी गयी है वह सत्य से परे है इस विद्युत जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर हम सदन का त्याग करते हैं।

(विरोध स्वरुप श्री राम प्यारे सिंह, श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा सदन का त्याग किया गया।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों व संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को तुरन्त निरस्त करता हूं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मथुरा की घटना हृदय विदारक है 3 मई को मथुरा में नगला देही में एक व्यक्ति को फुटकर डीजल बेंचने का लाइसेंस दिया गया था उसकी दुकान में अचानक आग लग जाने के कारण पूरे गांव में हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से 35 लोग मारे गये 225 लोग घायल हैं और अस्पताल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। दर्जनों बच्चे अनाथ हो गये। मान्यवर, उसे डीजल का लाइसेंस मिला था लेकिन उसमे वह पेट्रोल का विक्रय भी कर रहा था। मान्यवर, 25 अप्रैल, 97 को तमाम जिलापूर्ति अधिकारियों और जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये कि जहां पर पेट्रोल पम्प हैं उसकी 5 किमी0 की परिधि के आस-पास कोई भी फुटकर डीजल का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा और न पुराने का नवीनीकरण किया जायेगा। इन नियमों का उल्लंघन हुआ और उस डीजल विक्रेता को लाइसेंस दिया गया और वह व्यक्ति लगातार गैर कानूनी ढंग से पेट्रोल बेच रहा था जो कि मथुरा रिफायनरी और आस-पास की संस्थाओं से चोरी किया हुआ था जिसमें सरकारी कर्मचारियों की मिली-भगत थी और जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। तो ऐसी स्थिति में दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति न हो सके, सख्त से सख्त कार्यवाही कर लें और शासन से दोबारा वह राजाज्ञा जारी कराने की कार्यवाही करें। आपने जिला पूर्ति अधिकारी और इंस्पेक्टर को निलम्बित कर दिया। लेकिन यह घटना तो उस राजाज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से हुई है। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने राजपुर, बदायूं में त्रिमूर्ति फिलिंग स्टेशन के सुधीर कुमार की याचिका पर उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश दिया है।

मान्यवर, बावजूद राजाज्ञा के बार-बार यह 5 किमी0 की परिधि की अन्दर पेटी डीजल विक्रेता का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है इस सब की जांच कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है इसलिए जरुरी है कि तमाम स्थिति को देखते हुए कि प्रदेश में एक माफिया गिरोह बना है, वो पेट्रोल में सालवेन्ट मिलाने का काम करता है। इसी तरह से फ्री सेल मिट्टी के तेल का लाइसेंस लेकर, राशन के डिपों में बटने

वाले मिट्टी के तेल को उसके रंग को साफ करके पेट्रोल में मिलाने का काम हो रहा है। और यह इसलिए तात्कालिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन माफियाओं को जो फ्री सेल मिट्टी डीजल का तेल बेचने का नाम लेकर डिपो का लाइसेंस लेकर बैठे हैं और घनी आबादी में इस तरह से ज्वलन्तशील पेट्री डीजल लाइसेंस का डी0 एस0 ओ0 के माध्यम से कर रहे हैं, इससे आम आदमी की जिन्दगी को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मेरी मांग है कि इस पर सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 की जांच कराई जाय और जिलाधिकारी को निर्देश दिये जायें। मान्यवर, जो 25 गरीब लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय और 225 लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं उनको 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और साथ ही साथ इस बात के लिए सचेष्ट होकर निर्देशित करने का काम करें। मान्यवर, किस तरह से खुले तौर सालवेन्ट के जरिये और राशन के मिट्टी के तेल को बेचकर न केवल प्रदेश का प्रदूषण खराब किया जा रहा हैं बल्कि पेट्रोल और डीजल में मिलावट करके कार्बन मोनोआक्साइड को फैलाने का काम हो रहा है इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने का काम करें। मान्यवर, ऐसी हृदय विदारक घटना इससे पहले भी हुई हैं जहाँ मिट्टी के तेल के नाम पर, सालवेन्ट के नाम पर निर्दोष लोगों की जाने गई है यह प्रश्न तात्कालिक है, अविलम्बनीय है इसलिए इस सदन के नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत ही हृदयविदारक घटना है आप देखें लाइसेंस दिया गया डीएसओ के कार्यालय से, और ऐसी घनी बस्ती बेरी में लाइसेंस दे दिया गया कि जिसमें भीषण घटना हो सकती थी जो लाईसैंस देने के नार्म्स बने हुए हैं कि किस जगह पर डिपो रखा जाय, तो उसका पालन न करके ऐसे गलत स्थान पर क्यों दिया गया मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस डीएसओ ने लाइसेंस का स्थान तय किया उसके खिलाफ कार्यवाई तत्काल हो। कार्यावाई होनी चाहिए केवल निलम्बन करके फिलहाल जन आक्रोश को शान्त कर देगें, से काम चलने वाला नहीं है। मथुरा के पास रिफाइनरी होने की वजह से और पेट्रोल के स्थान पर नेफ्था बेचने की अनेक शिकायतें उनके खिलाफ हुई थीं लेकिन डीएसओ के कार्यालय द्वारा इसको दबा दिया गया एक लाइसेन्स कितनी दूर पर दिया जायेगा इसके लिए निश्चित है, कोर्ट ने आदेश दिया था लेकिन अमल नहीं हो रहा है। तो यह सारा दोष सरकार के ऊपर जाता है और इतने आदमी की मृत्यु हो जाती है 225 लोग घायल हैं कोई दिल्ली में है कोई आगरा में पड़ा हुआ है और कोई अपने रिश्तेदार के यहां अपना इलाज करा रहा है। उनके इलाज की व्यवस्था और उसके लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए और जिनके साथ घटना घटी है जिनकी मृत्यु हो गयी है उनको 5-5 लाख रुपया देना अनिवार्य बनता है।

जिन लोगों ने गलत काम किया, जिन अधिकारियों ने गलती की, उनके साथ सख्ती हो और जिलाधिकारी ने भी इसमें ध्यान नहीं दिया, उनके द्वारा भी लापरवाही बरती गयी, इसलिये उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि भविष्य में लोगों के जनजीवन से इस तरह खिलवाड़ न हो। इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जो निर्दोष लोग मारे गये हैं, उनको 5-5 लाख की सहायता सरकार दे। नगर विकास मंत्री जी वहां गये थे, वहां उन्होंने कहा कि यह सहायता अनुपयुक्त है, हम इसको बढ़वा दगें, जो कहकर आये, उसकी पूर्ति होनी चाहिये। यदि वचन पूरा नहीं होगा तो लोगों में यह भावना फैल रही है कि सरकार और मंत्रियों के वादे पूरे नहीं होते। जो कहा गया है, वह पूरा होना चाहिये और सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता करें, यही मेरा अनुरोध है तथा दोषियों के खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, घटना हृदय विदारक है, इसमें कोई सन्देह नहीं। सारे देश में और सारे प्रदेश में जनता ने अपनी वेदना का अहसास किया। यह घटना नहीं होनी चाहिये थी। जिनके नाम लाइसेंस था, जो संचालन

कर रहे थे, उनकी कमी न रही होती। धेरुलाल के नाम यह लाइसेंस चल रहा था और नाहर सिंह इसको चला रहे थे। नाहर सिंह की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई और धेरुलाल, जिनके नाम लाइसेंस था, वह भाग हुआ है। इस घटना में आज के 1 बजे तक की सूचना के अनुसार 48 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। खुद सरकार ने सबके इलाज के लिये व्यवस्था की हुई है और सरकारी खर्चे पर सबका इलाज चल रहा है। जितनी भी आधुनिकतम सुविधायें उपलब्ध हैं, क्योंकि जले का इलाज वैसे भी मुश्किल होता है, वह सुविधायें मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना में जिन परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत हुई, उनको 50 हजार दिया जा चुका है और जो कमाऊ नहीं थे, उनके आश्रितों को 25 हजार रुपया दिया जा चुका है। काफी विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो कमाऊ सदस्य थे, उनके परिवार को 50 हजार के स्थान पर एक लाख रुपया कर दिया जाय, और जिनके कमाऊ सदस्य नहीं थे उनके आश्रितों को 25 हजार के स्थान पर 50 हजार रुपया कर दिया जाय। इसके लिये निर्णय ले लिया गया है। इसका पालन जल्दी हो जायेगा। माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी को जानकारी होगी, कि इस बारे में निर्णय लेकर स्वयं सरकार ने सारे लाइसेंस बंद कर दिये थे कि अब इस तरह का कोई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। यह लाइसेंस पुराना चल रहा था और भी जो पुराने लाइसेंस चल रहे हैं, उनको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता, फिर भी यदि स्थानीय अधिकारी जागरुक रहते तो इस पर कार्यवाही हो सकती थी और इसीलिये जिला पूर्ति अधिकारी तथा वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक को निलम्बिल किया गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर श्री संजय गर्ग, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात्, अग्रह्य पाते हुये निरस्त करता हूं। चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है।

* श्री राम औतार शाक्य-

* अधिष्ठाता जी, यह टूण्डला कांड से सम्बन्धित सूचना है। मैं दोहराना चाहता, सारे तथ्य आदरणीय सदन के संज्ञान मे आ चुके हैं। डकैती पड़ी, डकैती में लोग मारे गये, नगला बसई के लोग मारे गये, उसके बाद प्रदर्शन हुआ, उसमें भी लोग मारे गये। मान्यवर, मेरा आशय इस सूचना के द्वारा यह है कि इसमें जिन लोगों के यहां डकैती पड़ी ये छोटे खाँ पुत्र श्री बाबू खाँ, मोहम्मद अमान पुत्र श्री बाबू खाँ, मोहम्मद अकील पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ हैं और जो लोग मारे गये इस डकैती में, पप्पन पुत्र मो0 हुसैन, अहमद हुसैन पुत्र सरवर हुसैन, मुरादन बेगम पत्नी अजीज और कल्ली पत्नी मोहम्मद हनीफ, बसीर पुत्र जहीर, कहकशां पुत्री साबिर हुसेन, मुहम्मद अकील घायल हैं। मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह घटना डकैती से शुरु हुई और डकैती के बाद ही कुछ लोग पुलिस की गोली से मारे गये और जो प्रकरण विचाराधीन है। इसमें सरकार ने सदासयता का परिचय देकर 2-2 लाख रुपये दे दिए।

मान्यवर, जहां से इस घटना की शुरुआत हुई थी, वहां केवल 10-10 हजार दिए हैं। यह अच्छा नहीं लगता। इससे यह सन्देश जाता है कि इसमें भेदभाव किया गया है। यद्यपि मांग हमारी 5-5 लाख की थी। इनको भी उतना ही देना चाहिए था, उतना न देकर केवल 10-10 हजार रुपये दिए हैं। और जो घायल थे उनको कुछ नहीं दिया और जो डकैती पड़ी, उसका भी कम्पनशेट नहीं किया तो इसमें सरकार की सदासयता और संवेदनशीलता का परिचय यहां नहीं मिला। इस देश में जब विश्वसनीयता बनी रहेगी वे चाहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिक्ख समुदाय के हों या बौद्ध के हों, जो अल्पसंख्यक हैं, यह सन्देश नहीं जाना चाहिए कि चूंकि वे अल्पसंख्यक वर्ग के थे इसलिए उनको नहीं दिया और जो उनकी पीड़ा है, उसका इजहार कर रहा हूं, संसदीय कार्य मंत्री से। यह लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है, मैं मांग करता हूं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो इसमें मारे गये हैं उनको 2-2 लाख रुपये और जो घायल हुए हैं उनको भी समुचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही डकैती में जो नुकसान हुआ है उसको भी कम्पन्सेट करने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें न तो कोई भेदभाव है, न भेदभाव करने का प्रयास है। एक शासन की नीति है, उसके अन्तर्गत कार्यवाई की गयी है। यह 17 अक्टू0 1995 का शासनादेश हैं जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राहत दी जाती है, उसमें निर्धारित राशि है यदि 95 के शासनादेश में यह होता कि जिसकी भी मृत्यु होगी, तो उसमे भी लागू हो जाता। सन्देश हम नहीं दे रहे हैं, आप देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने तो नीति के अन्तर्गत काम किया है। और यह नीति केवल हमारी नहीं है, इससे पहले की है। उसके तहत् हम काम कर रहे हैं। दूसरी जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है उसके अन्तर्गत 10-10 हजार रुपये का प्राविधान है, उस प्राविधान के अन्तर्गत हमने 10-10 हजार रुपये दे दिए हैं। यह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहायता देने की बात है, यह दूसरे शासनादेश में है जो 1995 का है। इसलिए कृपा करके जो नीतियां हैं, निर्धारित की गयी है उसके अन्तर्गत कार्यवाई हो रही है।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्यमंत्री ने नीतियों की बात कही। नीतियों की बात आप गलत नहीं कर रहे हैं केवल एक ह्यूमैनीटेरियन ग्राउण्ड पर जो मुस्लिम परिवार हैं, बेचारे बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, उन बेचारों को दो वक्त का भोजन नहीं मिलता। इसमें जिस प्रकार एक परिवार के चार लोगों को मार दिया गया तो मुख्यमंत्री के कोष से अनुग्रह राशि देने की सरकार चाहे तो व्यवस्था कर सकती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के कोष से इन लोगों को 2-2 लाख रुपये की धनराशि दिलाने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

जिस रोज इस विषय पर चर्चा हो रही थी, अध्यक्ष पीठ से निर्देश हुआ था उस पर विचार हो रहा है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से कहा गया था कि 2-2 लाख दिया गया है, इसको और बढ़ा दें, उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक बढ़ाने की बात कही थी।

श्री अधिष्ठाता-

बिना कार्यवाही देखे मेरे लिये निर्णय करना कठिन है। श्री राम औतार शाक्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् प्रस्तुत सूचना को अग्राह्य पाते हुये मैं इसको निरस्त करता हूं।

पांचवीं सूचना में लगभग 10 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। पहले तीन हस्ताक्षर जिनके हैं उन माननीय सदस्यों को मैं सूनूंगा क्योंकि 10 लोगों के बोलने में समय का काफी अपव्यय होगा और अभी कई विभागों के बजट हैं।

* श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सूचना पर बोलने का अवसर दिया।

यह प्रदेश की 4 करोड़ जनता से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और 4 करोड़ लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। सदन में इस विषय पर इसके पहले सत्र में और उसके पहले वाले सत्र में इस पर चर्चा होती चली आयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि प्रदेश का क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जायगा। इसके लिये उन्होने घोषणा की थी और उसी के अनुरुप पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की गयी थी और 150 करोड़ रुपये दिये गये थें। इसी प्रकार से बुदेलखंड जिसमें 5 जिले हैं उसके विकास के लिये बुदेलखंड विकास निधि की स्थापना की गयी और उसमें 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गयी। इसी तरह से उत्तरांचल विकास निधि की स्थापना की गयी है। लेकिन मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विकास के नाम पर एक पैसा भी नहीं लगाया जा रहा है। लोगों वहां पर विकास की कोई किरण नहीं दिखायी देती । वहां के लिये सरकार ने पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना करने की कोई घोषणा नहीं की है। पिछले कई सालों से बराबर यह प्रश्न सदन के सामने आ रहा है और पश्चिम के तथा अन्य सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है और सरकार ने स्वीकार किया कि पश्चिम के लिये विकास निधि की स्थापना की जायगी। इसी कड़ी में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक बुलायी थी जिसमें पश्चिम के सभी विधान सभा सदस्यों को बुलाकर उनके सुझाव लिये गये थे और सदन में घोषणा की गयी थी कि पश्चिम के लिये विकास निधि की स्थापना नहीं की जायगी परन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये एक पैकेज की घोषणा की गयी थी। मुझे बहुत देख के कहना पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये एक पैकेज की घोषणा की गयी थी और कहा गया था कि 1649 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का पैकेज दिया जायगा जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन एक नये पैसे की धनराशि इस विशेष पैकेज के लिये न पिछले बजट में और न इस बजट में दी गयी है। जहां तक बजट का सवाल है सरकार ने 13 घोषणायें की थीं, लेकिन किसी घोषणा का पालन नहीं किया गया है और इस बजट सत्र में किसी के लिये धन आवंटित नहीं किया गया है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि जो परियोजनायें दी गयी हैं उन पर सरकार अमल नहीं करेगी। कहा गया कि सहारनपुर के अंदर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जायगा सहारनपुर में निर्यात के लिये क्या प्रोत्साहन दिया गया यह पता नहीं है। इसी तरह से मुरादाबाद के अंदर निर्यात को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी थी, वहां निर्यात की संभावनाओं को देखते हुये एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिये धन आवंटित करने की बात कही गयी थी. . . .

. . . मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा धन आवंटित किया गया। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा समय लूगां। इस पर मात्र दो सदस्य और बोलेंगे। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करुंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि के मामले में अग्रणी है। इसलिए वहां कृषि में उत्पादन की सम्भावनाओं को देखते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मेरठ के मोदीपुरम में एक कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा बजट भाषण के दौरान की गयी। 400 करोड़ रुपये की लागत से कृषि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गयी। उसके लिए इस साल धन आवंटित किया गया 10 करोड़ रुपया। अगर मैं यह मान भी लूं कि सरकार की नीयत सही हैं, जो घोषणा कर रही है उस पर अमल करेगी। अगर 10 करोड़

रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जायेगा तो 40 साल में 400 करोड़ रुपया खर्च होगा। 40 साल में उसकी लागत क्या होगी? अगर इसी रफ्तार से चले तो 80 साल में भी वहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती।

मान्यवर, यातायात के लिये कहा गया कि अपर गंगा नहर की पटरियों को पक्का किया जायेगा। घोषणा कर दिया कि इतने हजार किलोमीटर नहर पटरी पक्की की जायेगी लेकिन एक किलोमीटर नहर पटरी पक्की नहीं की गयी। सड़क बनाने का कोई काम शुरु नहीं किया गया। मेरा यह कहना है कि पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से पूर्वांचल का विकास करते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं खुश हूं। बुन्देलखण्ड और उत्तरांखंड का विकास करे। लेकिन पश्चिम उत्तर का भी विकास होना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 4 करोड़ जनता ने कौन सा अपराध कर दिया है कि उनको आप विकास से वंचित कर रहे हैं।

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी और राजस्वमंत्री आपस में कुछ विचार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास की आवश्यकता नहीं है। इस बात का माननीय मंत्री जी जवाब दे दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़के बनवाने की जरुरत नहीं है। वहां पर विद्यालयों की, स्वास्थ्य सेवाओं की कोई आवश्यकतानहीं है। ब्रिजली की लाईनें जर्जर स्थिति में पड़ी हुई हैं। आज से 30-40 साल.....

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, 30-40 साल पहले विद्युतीकरण हुआ था। जो तार 40 सालो पहले लगाये गये थे, पह फैल गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। अब जो बोलेंगे वह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री समरपाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

अब अंकित नहीं किया जा रहा है।

श्री समरपाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x]

* श्री गजेंन्द्र कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 करोड़ जनता का सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश का 70 प्रतिशत रेवेन्यू देता है लेकिन वहां पर मात्र 10 प्रतिशत खर्च होता है। सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। वहां एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है लेकिन जैसा कि समरपाल सिंह ने कहा कि उसको बनने में 40 साल लगेंगे। पिछले 20 वर्षो से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वकीलों की हड़ताल चल रही है वह वहां हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग कर रहे हैं लेकिन आज तक इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। वहां से 700-800 कि0मी0 चलकर लोग इलाहाबाद आते हैं जब

नोट -- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कि लखनऊ मात्र 200 कि0मी0 है यहां हाई कोर्ट की बेंच है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग 20 वर्षों से चल रही है सरकार उसको पूरा करने में नाकामयाबी दिखा रही है। वहां की जनता के साथ यह सौतेला व्यवहार है। यहां पश्चिमी उ0 प्र0 की सड़कों की हालत बहुत खराब है। वहां पर बिजली के तारों की हालत जर्जर है। एक छोटा सा राज्य हरियाणा है जब वृहद् पंजाब था तब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 100 साल पीछे था आज हम हरियाणा से 100 साल पीछें है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं अनरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस बात पर चर्चा कराई जाए।

श्री कौकब हमीद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सोचने की बात है कि जहां साढ़े चार सौ करोड़ जनता रहती हो।. . . . .

श्री हुकुम सिंह-

अभी प्रमोद कुमार ने बताया है कि पूरे देश की जनसंख्या 100 करोड़ है तो वहां इतनी ज्यादा कैसे?

श्री अधिष्ठाता-

चमड़े की जबान कभी कभी फिसल जाती है।

श्री कौकब हमीद-

साढ़े चार करोड़ जनता जहां निवास करे 22 एम0पी0 हों 110 एम0एल0ए0 हों वहां के साथ एक मजाक क्यूं?

आपने बुन्देलखण्ड, उत्तरांचल और पूर्वांचल को विकास निधि दे दी परन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उससे अलग कर दिया। आखिर पैकेज का मजाक किस लिये। आप हमें विकास निधि क्यों नहीं दे रहे हैं। पिछला बार इसी सदन मे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैस्टर्न यू0पी0 के सदस्यों की एक बैठक बुनायी थी, उसमें बहुत कुछ हुआ था परन्तु उसका नतीजा जीरो निकला। हमें विकास की जरुरत क्यों है, इसकी वजह से मैं आपको बताता हूं। जो क्रेडिट डिपोजिट है, अगर उत्तर प्रदेश में एक लाख रुपए जमा होता है तो 40 हजार रुपए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होता है और जो खर्च होता है उसके अनुपात में देखें तो 1 लाख पर वहां मात्र 9 हजार रुपए खर्च होता है, इसलिए हमें विकास की जरुरत है। अब जितने भी थर्मल प्लान्ट हैं, वह कहां लगे है। इनसे केवल ऊर्जा ही नहीं मिलती अपितु रोजगार भी मिलता है। ओबरा, आनपारा और पनकी उस तरफ हैं और हमारे पास केवल हरदुआगंज है जो कि बंद होने जा रहा है, इसलिये हमें विकास की जरुरत है।

हमारे यहां जो यूनिवर्सिटीज है वह अलीगढ़, आगरा और मेरठ में है, बाकी सब इधर हैं। इसलिये हमें विकास की जरुरत है। अब आप मेडिकल कालेजों को ही ले लें। पश्चिम में केवल मेरठ और आगरा में है। शेष सब कानपुर, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर आदि सब इधर हैं, इसलिये हमें विकास हेतु विकास निधि की जरुरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ में हाईकोर्ट की बैंच तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाईकोर्ट की बैंच क्यों नही? जितने मुकदमें इलाहाबाद में जाते हैं वह यहां से जाते हैं, वो सब हमारे यहां के हैं उनका रेवेन्यू भी हम ही देते हैं। सारी कोशिशों के बावजूद भी सरकार के कानों में जूं नहीं रैंगी। इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों। भाषणों के दायरे में पैकेज बनाया जा रहा है। पैकेज बनाया गया कि मेरठ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनायेंगे।

आपने जो इस साल पैसा दिया है वह 10 करोड़ दिया है जबकि कुल साढ़े चार सौ करोड़ की योजना है। इसी तरह देते रहे तो नतीजा लगा लें और इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। रेवेन्यू बेन्च की शाखा खोलने की बात कही। मंत्री जी तो वहीं के हैं जाकर देख लें एक कमरे में बोर्ड लगा है और अभी तक वहां कोई नहीं आया है। आपने कहा दिल्ली मुरादाबाद पटरियां बनायेंगे। वहां की हालत क्या है मंत्री जी को नहीं मालूम मैं कहता हूँ कि मन्त्री जी जब वहाँ मुजफ्फरनगर में आते हैं तो वाया पानीपत क्यों आते हैं यह सरकार खिलवाड़ करना बन्द करे। इनसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। इनसे 110 विधायक नहीं संभल सकते। इनसे 22 एम0पी0 और चार करोड़ जनता का भार नही उठाया जा रहा है। हम कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन जाना चाहिए एक अलग राज्य हम उसका भार उठा लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात को लेकर समरपाल जी, गजेन्द्र कुमार मुन्ना जी और माननीय कौकब साहब ने बहुत विस्तार से बात कही और धाराप्रवाह भाषण दिया। कौकब साहब का आंकड़ों से सुसज्जित वक्तव्य सुना। मैं भी काफी नाजुक स्थिति में हूं। एक बात पर विचार करें कि जो भी शुरुआत हुई है वह किसने की। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता। जिस पैकेज से आप संतुष्ट नहीं है, आप कहते हैं केवल इतना ही दिया तो कम से कम कुछ तो दिया गया। मुख्य मंत्री पश्चिम के भी रहे, कई रहे लेकिन यदि शुरुआत किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सहयोगी दलों की पार्टी नें। यह जो 1149 करोड़ की योजना बनी है आप सभी के सुझाव से बनी सारे सम्मानित विधायक दलगत राजनीति से उठ कर सामने आये। जो जो उनके विचार थे सुझाव के उनके अनुसार ही कार्यक्रम बनाये गये। इसके बाद भी आप कहते हैं कि बजट में क्या प्राविधान किया गया। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आठ सड़कों के विकास के लिए 367 करोड़ रुपये का पैकेज है। एन0 सी0 आर0 से गजट नोटिफिकेशन हो चुका है जिसमें मुजफ्फरनगर कवर है। यह सब इस प्रदेश सरकार के प्रयास से ही हुआ है। हमने सड़कों का निर्माण भी किया। . . . .

आप तो कितने दिन हमारे साथ बैठे हैं, उसी पर शंका है। यह विश्वविद्यालय की संख्या गिनवाई, यह आज तो स्थापित हो नहीं गये। यह मापदण्ड पहले रहा। मेरठ कालेज था पहले अब वह विश्वविद्यालय हुआ है चौधरी चरण सिंह के नाम पर। उसकी भी शुरुआत हमने करी। विश्वविद्यालय मेरठ में बने 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है क्योंकि पंत नगर विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा फार्म मेरठ में उपलब्ध है। 10 करोड़ रुपये का प्राविधान इसीलिये कर दिया कि प्रशासक की नियुक्ति हो जाय। इस सिलसिले में कार्यवाही चल रही है कुछ सप्ताह में प्रशासक की नियुक्ति की जायेगी। जैसे ही नियुक्ति हो जायेगी आगे की प्रक्रिया स्वत: शुरु हो जायेगी। करोड़ो रुपये का फार्म है जिसका पैसा आपको देना नहीं होगा, यह सरकारी सम्पत्ति है। आगरा में पेयजल के लिये 150 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित थी राज्य सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया है। यह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पैकेज का हिस्सा है। सहारनपुर में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 22 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। (व्यवधान) मुरांदाबाद में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल प्रोमोशन के लिये 40 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। जिनके लिये प्राविधान किया गया उनके बारे में मैने आपको जानकारी दी। जो प्रस्तावित हैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। नहीं तो आप कहेंगे कि पैसा नहीं दिया। कौकब साहब का मैं थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा इन्होने कहा कि दिल्ली से सहारनपुर, श्यामली जाते हैं तो पानीपत से जाते हैं कि नहीं। मैं पिछले एक वर्ष में कम से कम 10 बार गया हूं। आप एक शब्द धन्यवाद का देते। हाट मिक्स से उस सड़क का निर्माण चल रहा है जिसमें घुटने घुटने

तक गड्ढे थे आपके साथियों की कृपा से। कार या बस या ट्रैक्टर या ट्रक हो उस सड़क से नहीं चल पाता था। आज वह प्रदेश की उच्चतम सड़कों में से वह एक सड़क होने जा रही है। माननीय मंत्री जी कलराज जी स्वयं तीन बार वहां गये। वहां की दशा देखी और देखने के बाद उसके लिये प्राविधान किया। जितना आपके क्षेत्र में विकास हो गया और किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है। यह सही है कि हाई कोर्ट बैंच का मामला कई दिनों से लटका है। आपके बराबर में प्रमोद जी जैसे व्यक्ति रहेंगे तो कठिनाई आयेगी ही। यह सारे का सारा मामला कहीं और से नहीं वहीं से अटका है। हाई कोर्ट की बैंच हम नहीं बना पाये यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, वह निर्णय ले सकते हैं। राजस्व परिषद् की खण्ड पीठ, हमने कहीं से शुरुआत तो की। उस पीठ का निर्माण हमने किया। हमारे अधिकारी काम कर रहे है। स्थाई व्यवस्था इसलिये नहीं हो पाई क्योंकि हमारे सहयोगी साथी आपके बराबर में बैठे हैं स्टे आर्डर ले आये। हमने तमाम कठिनाइयों के बावजूद, रुकावटों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास रोका नहीं।

श्री प्रमोद कुमार-

इन्होंने कहा कि आपके बगल में बैंठे साथी। मान्यवर, बगल में मैं बैठा हूं या समर पाल बैठे हैं। कौन स्टे लाया। यह गलत चार्ज लगा रहें है।

श्री अधिष्ठाता-

स्पष्ट कर दें बगल में कौन बैठा है। दायें अंग में तो यह हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

यह कुछ काम नहीं करना चाहते हैं इसलिये सिर्फ गलत चार्ज लगा रहे हैं। गनीमत है कि अपना घर परिवार देख लेते हैं वरन् दूसरों पर चार्ज लगा देते।

श्री हुकुम सिंह-

मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। इनके जैसे सदस्य पर आरोप लगाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी है वह सब जानते हैं कोई आरोप लगाने की बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो चिन्ता की गई है उससे काफी हद तक हम सहमत हैं और हमने कुछ करके दिखाया है चिन्ता करने, चिन्तन करे और वक्तव्य देने से कोई काम नहीं चलेगा। वहां पर सुविधाओं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। उसकी ओर हमने सकारात्मक कदम बढ़ाया है। यही मुझे कहना है।

* श्री समरपाल सिंह-

इन्होंने क्या कदम उठाए। 1149 करोड़ का पैकेज बना यह इन्होंने कहा, तो पैकेज बना है यह तो हमने भी कहा है अप्रैल 1999 में आपने पैकेज दिया है जो यह अब कह रहे हैं यह इन्होंने पहले भी कहा 16 करोड़ मंजूर कर दिया, हमने रेवेन्यू बोर्ड की बेंच के लिए कह दिया। आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि सड़कें नहीं बना पाए कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कहा गया कि स्वीकार कर दिया गया, इन्होने सिर्फ कागज पर लिख दिया, एक फाइनेंशियल इयर निकल गया, दूसरा फाइनेंशियल इयर निकल गया, इससे सरकार की मंशा साफ है कि वहां कृषि विद्यालय नहीं दे रही है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं बिजली का इंतजाम नहीं कर पा रही हैं और इसके बाद आप कहते हैं कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए चिन्तित हैं, तो क्या यह आप सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं? इन्होंने चिन्ता व्यक्त कर दी कि अप्रैल 99 में पैकेज दिया, अब कह रहे हैं कि हम करेंगे, शुरुआत तो की आखिर यह शुरुआत कितने सालों में होगी, मान्यवर हम चाहते हैं बुन्देलखण्ड विकास के लिए, पूर्वांचल विकास के लिए जैसे बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि दे रहे हैं उसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमांचल निधि की घोषणा करें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं मंत्री जी ने कहा कि 1146 करोड़ का पैकेज गया, इसमें बताया कि 20 करोड़ दिया है 20 करोड़ का हिसाब यह बता पाए हैं 1146 करोड़ में सिर्फ 20 करोड़ दिया है। एन0 सी0 आर0 में आपकी कोई मदद नहीं है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जो स्टेट हैं इनका प्रेशर पड़ा है इसमें आपका कोई योगदान नहीं है उत्तर प्रदेश तो इन्होंने अब लिया है। तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। बजट में आंकड़े 20 करोड़ के हैं। दो फाइनेंशियल इयर में 20 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री गजेन्द्र कुमार सिंह मुन्ना-

पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई बेंच देने की बात है या नहीं।

श्री कौकब हमीद-

जसवन्त कमीशन की रिपोर्ट बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में कहा तो यह मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है, हमारे स्तर से कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री कौकब हमीद-

उसका न्यायालय से कोई मतलब नहीं है प्रस्ताव आप भिजवा दें।

श्री हुकुम सिंह-

प्रस्ताव यहां से गया है।

श्री कौकब हमीद-

संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि प्रस्ताव गया है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिग हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। जसवन्त रिपोर्ट के तहत आप प्रस्ताव करें कि हाई कोर्ट की बेंच आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कौकब हमीद-

तो आप प्रस्ताव भेज दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रस्ताव यहां से भेज दिया है। विकास के लिए मान्यवर, हमने काफी बड़ी धनराशि का प्राविधान किया है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि सहारनपुर के लिए 22 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, फिरोजाबाद के लिए 40 करोड़ रुपये का और आगरा की पेयजल के लिए 75 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इस प्रकार यह सब पैकेज का हिस्सा है। मद संख्या-10 पर जिसका जिक्र है और इस प्रकार कुल 367 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।

मान्यवर, हर क्षेत्र की समस्या अलग-अलग होती है जिससे पूरब के लिए कुछ और पश्चिम तथा बुन्देलखण्ड के लिए कुछ और कार्यक्रम हैं। इसलिए पश्चिम के लिए भेदभाव की कोई बात नहीं है। इसका नाम ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पैकेज है। इस तरह से हर जगह की स्थिति अलग-अलग है और इसलिए अलग-अलग विकास के कार्यक्रम बनाकर दे दिया है।

(व्यवधान होने पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शांत रहें। मैंने श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री समर पाल सिंह और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(लोक दल के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन के बेल में आकर अपनी-अपनी बाते एक साथ कहने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर चलें। आप लोग किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप लोगों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठे।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

(व्यवधान के मध्य) छठी सूचना श्री गोपाल कृष्ण की प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक कालेजों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसमें मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

सातवीं सूचना श्री राम ललित चौधरी और श्री राम प्रसाद चौधरी की प्रदेश की 95 सहकारी गन्ना समिति द्वारा किसानों का लगभग 50 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का बकाये का भुगतान कराये जाने के संबंध में है इसे मैं 15 मई के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

(लोक दल के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

श्री कौकब हमीद-

[x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

बेल पर जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह अंकित नहीं किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर जायें।

आप लोग नहीं जा रहे हैं मैं सदन को 4.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 4 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ला के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

(श्री समर पाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री संजय गर्ग, स्वामी ओइमवेश द्वारा सदन के फ्लोर पर आकर पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना की मांग किये जाने से व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपने स्थान पर वापस जायं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, आज पश्चिमांचल विकास निधि की घोषणा यह सरकार करे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास ही आवश्यकता है।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यों में से श्री संजय गर्ग यह कहने लगे कि मान्यवर, इस बार के बजट में पश्चिम विकास निधि के संबंध में कोई पैकेज की घोषणा नहीं की गई है न कोई प्राविधान ही किया गया।)

नोट - [***] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

आपका वक्तव्य आ गया है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(सदन के फ्लोर पर खड़े श्री समर पाल सिंह कहने लगे कि [x x x x x x x x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा।

(बेल में आए सदस्यों द्वारा नारे लगाते रहने से घोर व्यवधान रहा)

श्री अधिष्ठाता-

मैं आगे की सूचना ले रहा हूं। 8वीं सूचना श्री रामपाल की जनपद जालौन में दस्यु गिरोहों द्वारा निरन्तर की जा रही अपहरण की वारदातों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, मैं इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

नवीं सूचना श्री मानिक चन्द यादव एवं श्री रघुबर दयाल वर्मा की प्रदेश में आसन्न भीषण पेयजल संकट के संबंध में, इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, दसवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश के तराई क्षेत्र में जंगलों में रह रहे टांगिया मजदूरों की दयनीय स्थिति के संबंध में, इसे स्थगित किया जाता है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री विजय प्रकाश और श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव की निरंतर बढ़ रही जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के संबंध में इसमें पहले से ही एक घंटे की चर्चा स्वीकृत है, दूसरी श्री अरविन्द गिरि, श्री रमेश राही की जनपद लखीमपुर खीरी में छात्र देवे अग्निहोत्री आदि पर राजनैतिक द्वेषवश रासुका आदि लगाये जाने के संबंध में, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तीसरी श्री कुंवर रेवती रमण सिंह एवं श्री अम्बरीष कुमार की रुद्रकी के होनहार कम्प्यूटर वैज्ञानिक रोहित मणि की हत्या के संबंध में इस पर चर्चा हो चुकी है इसलिये नियम 56 में नहीं आती है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयी, अतः अस्वीकृत हुई। पहली श्री बी0आर0 वर्मा, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री ददद्दू प्रसाद, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री श्रीरामपाल, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री शिव चरन प्रजापति, श्री लाल जी वर्मा की, तीसरी श्री राम सिंह सैनी की, चौथी श्री उदयराज यादव की, पांचवीं श्री प्रभु नारायण सिंह यादव व श्री भीम प्रसाद सोनकर की, छठीं श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री बी0आर0 वर्मा, श्री ददद्दू प्रसाद , श्री विजय पाल सिंह एवं सेठ किशन लाल बघेल की, सातवीं श्री सौलत अली एडवोकेट की, आठवीं श्री राम जग की, नवीं श्रीमती उर्मिला देवी यादव की, दसवीं श्री राधे श्याम सिंह एवं श्री सुधाकर सिंह की और ग्यारहवीं कुंवर रेवंती रमण सिंह एवं श्री अम्बरीष कुमार की है। कृपया आप लोग अपने स्थान पर चले जायें।

(वेल में एकत्रित सदस्यों द्वारा पश्चिमांचल विकास निधि की घोषणा मांग सम्बन्धी नारे लगाते रहने से घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन को 4 बजकर बीस मिनट तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 4 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी 4 बजकर 20 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ला के सभापत्वि में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(फ्लोर पर आये लोकदल सदस्य जोर-जोर से अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग अनुदान संख्या-72 (माध्यमिक शिक्षा)

* (माध्यमिक शिक्षा, भाषा मंत्री) डा0 नैपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,65,25,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,61,16,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

(किसी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने पर)

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,65,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,61,16,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-71 (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या-75 (शिक्षा विभाग) (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

* (बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार) श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,42,13,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च,2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 23,42,13,23,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे है।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,42,13,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,83,20,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांग पर मतदान अनुदान सं0-25 गृह विभाग (कारागार)

(कारागार राज्य मंत्री) श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 84,58,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(किसी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 84,58,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

*होमगार्डस राजनैतिक पेंशन नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 के समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 51,73,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन) तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 51,73,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये!

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होमगार्डस, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 के समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,39,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें, वह कटौती का प्रस्ताव रखें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 57,39,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिानिक्स मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,49,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 86,49,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इस सदन का यह निश्चित मत है कि-

मद सं0-14

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक समान नीति बनाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन।

श्री अधिष्ठाता-

दिनांक 15.5.2000 तक के लिए स्थगित।

मद सं0-15

ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्धन में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0-15 भी दि0 15.5.2000 तक के लिए स्थगित।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 12.5.2000 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

(1) श्री पूर्णमासी पंकज — प्रदेश में फाइनेन्स एवं इन्वेस्टमेंट कम्पनियों द्वारा की जा रही धोखाघड़ी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री श्यामदेव राय चौधरी — वाराणसी नगर के दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत समुचित जलापूर्ति हेतु क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलवाने तथा नये अतिरिक्त नलकूपों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

(3) श्री अजय कुमार पोइया — जनपद-मथुरा में शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — प्रदेश के विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मनमानी तथा श्री नंदलाल, अधीक्षण अभियन्ता, लेसा, लखनऊ द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री उदयराज यादव — जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनी नगर के ग्रामीण अंचल में कन्या हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद संत रविदास नगर (भदोही) ज्ञानपुर में जल निगम कार्यालय स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई:--

(1) श्री रुप चौधरी — राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सीमा से जुड़े विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा की जर्जर सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराये जाने के संबंध में।

(2) श्री राम औतार शाक्य — श्री जवाहर लाल इण्टर कालेज, मोहन, जिला जालौन के संस्थागत छात्रों (हाईस्कूल) के परीक्षा केन्द्र बुन्देलखण्ड इण्टर कालेज, माधोगढ़ के केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा गड़बड़ी किये जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) सीता राम निषाद — जनपद फैजाबाद में राम वन गमन मार्ग के तमसा तट पर पर्यटक केन्द्र रामचौरा गयासपुर की परियोजना का निर्माण कार्य बजट के अभाव में बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद — जनपद बांदा व चित्रकूट के अधिकारियों द्वारा आयुक्त ग्राम विकास द्वारा जारी सुनिश्चित रोजगार योजना के निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमिततायें किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) गजेन्द्र कुमार मुन्ना — जनपद बागपत में महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन एवं वेतन अवशेषों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री ददू प्रसाद — जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर में भूमि के गलत इंद्राज को सही कराने तथा ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के संबंध में।

(7) श्री रामविशुन आजाद — प्रदेश में विशेषत: जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत लगाये गये इण्डिया मार्का-2 नलों के अधिकांश के खराब होने तथा नलों का रख-रखाव पंचायतों को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

(1) डा0 कौशल किशोर	जनपद लखीमपुर खीरी की नगरपालिका लखीमपुर, नगर पंचायत ओयल तथा नगर पंचायत खीरी की पेयजल समस्या को दूर करने के संबंध में।
(2) श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि	मैनपुरी नगर पालिका परिषद् में नाले की सफाई बरसात से पूर्व कराये जाने के संबंध में।
(3) श्रीमती सुखदेवी वर्मा	जनपद इटावा के लखना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गो का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में।
(4) श्री राजेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर के मरदह विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम सभा कबोतरी में विद्युत सब स्टेशन न होने से क्षेत्र के नागरिकों को हो रही असुविधाओं के संबंध में।
(5) श्री अयोध्या प्रसाद पाल	जनपद फतेहपुर के हसवा क्षेत्रान्तर्गत ललौली इण्टर कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति में उत्पन्न विरोधाभास के संबंध में।
(6) श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री दद्दू प्रसाद	जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड टुण्डला अन्तर्गत एक युवक की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु के संबंध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई है :--

डा0 छोटे लाल वर्मा, श्री धर्मराज निषाद, श्री सतीश जतारिया, श्री हरिशंकर माहौर, श्री वीरेन्द्र सिंह, सौलत अली एडवोकेट, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री संजय गर्ग, श्री राम जग, श्री बनारसी दास चांदना, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री विजयपाल सिंह, श्री विजय कुमार, श्री जटाशंकर सिंह, श्री जय प्रकाश, श्री श्याम किशोर यादव, डा0 ज्ञानवती सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री हरपाल सिंह एवं श्री संजय गर्ग की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं।

जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत लोनी क्षेत्र को नगर पालिका बनाये जाने के संबंध में श्री रुप चौधरी, द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 विधान सभा सदस्य श्री रुप चौधरी ने नियम-51 के अधीन निम्न सूचना दी है:-

"जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत लोनी क्षेत्र की आबादी करीब 6 लाख है। दिल्ली से लगे हुये लोनी क्षेत्र एक नगर पंचायत लोनी और ग्राम पंचायत सादुल्लावाह व वैहटा हाजीपुर, पावी, सादिकपुर, खानपुर जब्ती व लोनी देहात है। इस क्षेत्र में सघन आबादी है और जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इनके सिवाय करीब 50-60 ऐसी कालोनी भी है जो किसी भी ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत में नहीं है। इन कालोनियों के निवासी जन सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तत्कालीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 30.11.1996 को लोनी नगर पंचायत व शेष ग्राम पंचायत व सभी कालोनियों को मिलाकर एक नगर पालिका बनाये जाने की घोषणा कर दी थी। इस संबंध में अधिसूचना होने से पूर्व कुछ लोग उच्च न्यायालय से स्थगन ओदश ले आये थे, जो कि दिनांक 11.9.1998 को रदद किया जा चुका है।

अत: लोनी नगर पंचायत, सादुल्लाह आदि ग्राम पंचायतों व शासन में प्रस्तावित कालोनियों को मिलाकर नगर पालिका की घोषणा तुरन्त करवाने का कष्ट करें और इस क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों में चुनाव कराये जायें ताकि नगर पालिका की घोषणा हो सके।"

2- उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा लोनी नगर पंचायत क्षेत्र और उसके सन्निकट की बस्तियों को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका परिषद् बनाये जाने का प्रस्ताव दिनांक 14 मार्च, 1996 को किया गया था जिस पर विधायी विभाग के परामर्श से विचार किया गया। विधायी विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि लोनी नगर पंचायत निर्वाचन उपरान्त विधिवत गठित हो गयी है और ऐसी स्थिति में उसे कुछ क्षेत्रों को मिलाकर नगर पालिका बनाये जाने हेतु उसका संकल्प प्राप्त होना अपरिहार्य है। तद्नुसार जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद से शासन के पत्र दिनांक 21 मार्च, 1996 द्वारा नगर पंचायत लोनी का संकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। नगर पंचायत लोनी द्वारा दिनांक 28-3-1996 को नगर पंचायत लोनी को नगर पालिका घोषित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों के अधीन प्रस्ताव पारित किया गया:-

(1) नगर पंचायत लोनी की वर्तमान सीमाओं के अन्दर ही हो,

(2) जो खेतिहर गाँव हैं, उनको न जोड़ा जाय,

(3) नगर पंचायत लोनी की पुरानी सीमा को नगर पालिका घोषित की जाय,

(4) पुरानी सीमाओं का ही अभी पूर्ण रुप से विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए अगली सीमा नहीं बढ़ाई जाये,

3- उक्त संकल्प जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 3-4-1996 के द्वारा प्राप्त हुआ और प्रकरण सम्यक विचारोपरांत नगर पंचायत लोनी को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-3319/नौ-1999-1बी/96, दिनांक 3-12-1996 निर्गत की गयी। इस अधिसूचना के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में याचिका संख्या-29(एम बी)/97-श्रीमती रजिया बेगम व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य दायर की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6-1-1997 को यह अंतरिम आदेश पारित किया गया कि "दिनांक 21.1.1997 की केस की अगली सुनवाई होगी तब तक प्रतिवादीगण जिसमें राज्य सरकार भी है-याचिगण द्वारा दी गई आपत्तियों का निस्तारण करेगें। स्थायी अधिवक्ता अगली सुनवाई को आपत्तियों के निस्तारण संबंधी ओदश की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करेगें और अगली सुनवाई तक अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की जायगी"।

4- मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में नगर पंचायत लोनी को नगर पालिका परिषद का दर्जा दिये जाने विषयक उक्त अधिसूचना दिनांक 3.12.96 पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आपत्तियो, जिनमें मा0 न्यायालय में दायर उक्त याचिका के एनेक्जर में उल्लिखित आपत्तियां भी हैं, का निस्तारण करके कार्यालय ज्ञाप संख्या-117/नौ-9-1997-1बी/96, दिनांक 11.3.1997 निर्गत किया गया तथा उक्त की प्रति जिलाधिकारी गाजियाबाद को समस्त आपत्तिकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु भेजी गयी, साथ ही उसकी एक प्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ को इस आशय से प्रेषित की गयी कि वे उक्त याचिका में पारित मा0 न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 6.1.1997 को निरस्त कराने की कार्रवाई करें।

5. मा0 न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.9.1998 में यह आदेश पारित किये गये कि "अगली सुनवाई तक अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी, के अतिरिक्त स्थगनादेश का शेष हिस्सा अगली सुनवाई की तिथि तक बढ़ाया गया। इसी बीच श्रीमती रजिया बेगम द्वारा पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया। इस पर मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 7.1.1999 के आदेश द्वारा उक्त पारित स्थगनादेश को दिनांक

13.1.1999 तक के लिए बढ़ाया गया। दिनांक 13-1-1999 को सुनवाई के पश्चात् मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय आरक्षित कर लिया गया हैं, जो अभी तक पारित नहीं हो सका है।

6. उपरोक्त स्थिति में, जबकि मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय अभी तक घोषित नहीं हो सका है, न्याय विभाग से यह परामर्श प्राप्त किया गया कि उपरोक्त स्थिति में नगर पंचायत लोनी को नगर पालिका परिषद का दर्जा दिये जाने विषयक अंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है अथवा नहीं। न्याय विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि मा0 न्यायालय में विचाराधीन (सब जूडिस) होने के कारण उक्त रिट याचिका में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा किया जाना उचित होगा।

7. शासन के न्याय विभाग के पत्र संख्या-यू0ओ0-1812/सात-6/2000-1बी/96, दिनांक 24.2.2000 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच को निर्देशित किया गया है कि वे मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.1.1999 को आरक्षित किये गये निर्णय की प्राप्ति हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र घोषित करने की कार्रवाई करें। अभी तक मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय घोषित न हो पाने के कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा पा रही है।"]

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शासनादेश के उपरान्त भी परिवर्तित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-9016/5-7-203/85, दिनांक 28.12.85 व शासनादेश संख्या-9503/5-7-543/86, दिनांक 11.12.86 द्वारा प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ-साथ वाराणसी जनपद के लगभग 27 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को चिन्हित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जनपद भदोही के नवसृजन के फलस्वरुप उक्त 27 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से 6 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुर्गागंज, मतेथू, चौरी, खमरिया, महाराजगंज तथा धनतुलसी, जनपद-भदोही के अन्तर्गत आ गये हैं, परन्तु शासनादेश का कार्यान्वयन न हो पाने के कारण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुर्गागंज तथा मतेथू में समुचित दवा एवं चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, जिससे जनता को चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त दानों चिकित्सालयों से 10-15 कि0मी0 की दूरी पर कोई प्रा0 स्वा0 केन्द्र न होने से बीमारी की अवस्था में पचासों ग्रामों की जनता को काफी कष्ट सहने पड़ते हैं। चिकित्सालय के भवन भी ध्वस्त हो चुके हैं। मा0 सदस्य ने उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने की मांग की है।

2- इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधा की कमी को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-9016/5-7-203/85, दिनांक 28.12.85 एवं शासनादेश संख्या-9503/5-7-543/86, दिनांक 11.12.86 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी थी, जिसके अन्तर्गत कतिपय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना भी सम्मिलित था। इन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में तत्समय जनपद-वाराणसी के अन्तर्गत अवस्थित 27 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी सम्मिलित थे। इन 27 राजकीय चिकित्सालयों में से दुर्गागंज, मतेथू, चौरी, खमरिया, महाराजगंज तथा धनतुलसी यह 6 चिकित्सालय अब नवसृजित जनपद भदोही के अन्तर्गत

नोट :-- [ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

आ गये हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने के आदेशों में चिकित्सालय हेतु चिकित्सक तथा अन्य पदों की स्पष्ट व्यवस्था तथा आवर्तक एवं अनावर्तक मद में चिकित्सालय हेतु औषधियों, प्रकीर्ण व्यय, साज-सज्जा तथा प्रयोगशाला हेतु उपकरणों आदि के लिए धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी थी। आयुर्वेद विभाग द्वारा उक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही के प्रशासनिक नियन्त्रण में न दिये जाने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में क्रियाशील नहीं किए जा सके है और इन चिकित्सालयों में आयुर्वेद के कर्मचारी ही कार्यरत हैं तथा इन पर सम्प्रति आयुर्वेद विभाग का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण है। उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने के संदर्भ में उत्पन्न गतिरोध पर चिकित्सा शिक्षा विभाग से विचार विमर्श कर उसका निराकरण कराया जायेगा।]

जनपद जौनपुर में विकास खण्ड सुजानगंज सोनहिता नाले पर टूटे हुए पुल का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा नियम-51के अंतर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद जौनपुर में सुजानगंज विकास खण्ड में सिकरारा,बरईपार, सुजानगंज मार्ग के कि0मी0 18 में सोनहिता नाले पर 10.50 मीटर लम्बाई का आर0 सी0 सी0 सेतु बना हुआ था। यह मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है। सोनहिता नाले में मड़ियाहूं शाखा नहर विभाग द्वारा अतिरिक्त पानी निरन्तर छोड़ा जाता है। इस प्रकार से यह नाला स्केप चैनेल का कार्य करता है। नाले पर स्थित पुल दिनांक 15.11.99 को क्षतिग्रस्त हो गया। सेतु के एबटमेन्ट व पीयर स्कावर के कारण धंस गये हैं एवं सेतु का स्लैब भी क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग को यातायात हेतु खोले जाने के लिए सेतु से लगभग 50 मी0 अपस्ट्रीम में आर0 सी0 सी0 ह्यूम पाइप डालकर कच्चा डाईवर्जन का निर्माण करा दिया गया हैं वर्तमान में यातायात चल रहा हैं सेतु स्थल पर डाइवर्जन केवल सूखे मौसम में ही कार्य कर सकेगा।

वर्षाकाल में यातायात निम्न वैकल्पिक मार्गो से जा सकेगा-

(क) सुजानगंज-मछलीशहर-जौनपुर मार्ग द्वारा जनपद मुख्यालय की दूरी-46.00 किमी0।

(ख) सुजानगंज से लोहिन्दा चौराहा-वक्सा होते हुए जनपद मुख्यालय की दूरी-47 किमी0।

"जबकि सुजानगंज से सिकरारा"-बरईपार हेतु हुए जनपद मुख्यालय की दूरी-43 किमी0 होती है।

उपर्युक्त क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर 2x10 मी0 आर0 सी0 सी0 स्लैब लघु सेतु के निर्माण की लागत रु0 49.96 लाख आंकलित की गई है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद महाराजगंज की तहसील फरेन्दा की छितही व बन्धोह न्याय पंचायतों को गोरखपुर में सम्बद्ध किए जाने से जनमानस को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में श्री विनोदमणि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंज कर मंत्री--(श्री हुकुम सिंह)--

1- [मा0 सदस्य, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा की छितही व बन्दोह न्याय पंचायतों को गोरखपुर में सम्बद्ध किए जाने से जनसामान्य को हो रही असुविधाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति में विचार-विमर्श हुआ। जिलाधिकारी, गोरखपुर ने अवगत कराया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा न्याय पंचायत बन्दोह एवं छितही खुर्द को जनपद गोरखपुर से निकालकर जनपद महराजगंज में सम्मिलित किए जाने का विरोध किया गया। अत: न्याय पंचायत बन्दोह एवं छितही खुर्द को गोरखपुर से निकालकर महराजगंज में सम्मिलित करने की संस्तुति नहीं की है। जिलाधिकारी, महराजगंज ने भी जनहित में यथास्थित बनाये रखने की संस्तुति की है।

समिति द्वारा जनपदों के जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों से विचार-विमर्श उपरान्त जिलाधिकारी, गोरखपुर के प्रस्ताव से वर्तमान समय में सहमति व्यक्त की है और निर्देशित किया है कि भविष्य में भी परिसीमन के प्रस्ताव में असेम्बली क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा।

समिति की उक्त संस्तुति शासन के समक्ष अभी विचाराधीन है। परीक्षण कर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।]

मेरठ विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 1999-2000 में एम0एड0 कक्षा में अभीतक प्रवेश न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त जे0बी0 जैन कालेज, सहारनपुर, बी0एम0एल0जी0 कालेज, गाजियाबाद, एन0ए0एस0 कालेज, मेरठ तथा मेरठ कालेज, मेरठ में एम0एड0 पाठ्यक्रम की 20-20 सीटें उपलब्ध हैं। शिक्षा सत्र 1999-2000 समाप्ति पर है, परन्तु अभी तक प्रवेश नहीं हुए हैं। मा0 सदस्य द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी कराये जा सकते हैं जबकि बी0एड0 का वार्षिक परीक्षाफल घोषित हो जाय। विगत सत्र का बी0 एड0 का परीक्षा परिणाम जनवरी-फरवरी,2000 में घोषित होने के उपरान्त एम0एड0 में प्रवेश प्रारम्भ किये गये जो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 16 मई तक पूरा हो जायेंगे।

3- महाविद्यालयों द्वारा 16 मई से एम0एड0 कक्षाएं प्रारम्भ करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस समय व्यावहारिक शिक्षण कार्यक्रम सभी विद्यालयों के परीक्षा अथवा ग्रीष्मावकाश में बन्द रहने के कारण नहीं हो पायेगा। शासन द्वारा इस संदर्भ में विचार किया जा रहा है कि ऐसे महाविद्यालयों का एम0 एड0 परीक्षा का शिक्षा सत्र 1999-2000 शून्य घोषित कर दिया जाय, जो प्रवेश प्रारम्भ हो चुके है उनके लिए जुलाई, 2000 से विधिवत कक्षाएं प्रारम्भ की जाय जिससे एम0एड0 का शिक्षण सत्र नियमित हो जाय।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 द्वारा जारी 10वीं कक्षा के नवीन पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10 की वर्ष 2000 परीक्षा के लिये गणित विषय के पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर परिषद द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। गणित विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

त्रिकोणमिति निर्धारित है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित का अध्ययन होता है-साधारण प्रश्न, ऊचाई एवं दूरी, त्रिकोणमितीय सारणी का पढ़ना, त्रिकोणमितीय सारिणियों एवं लघु गणक सारिणियों के प्रयोग से ऊंचाई एवं दूरी के साधारण प्रश्नों का हल गणित पाठ्यक्रम समिति द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम को परिषद ने अपने पाठ्य-चर्या समिति के माध्यम से स्वीकार करने के उपरान्त सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट दि0 27.6.98 के भाग-4 में प्रकाशित किया है।

गणित पाठ्यक्रम समिति द्वारा कक्षा-10 के लिये गणित द्वितीय प्रश्नपत्र के अंतर्गत निर्धारित त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र सम्मिलित नहीं किये गये थे। बाद में आभास होने पर गणित पाठ्यक्रम समिति ने कक्षा 10 के लिये वर्ष 2002 की परीक्षा के पाठ्क्रम पर विचार करते समय गणित द्वितीय प्रश्नपत्र में त्रिकोणमिति की पाठ्यवस्तु को संशोधित करने की संस्तुति की है, जिसमें ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमितीय सारिणियों का पढ़ना, त्रिकोणमितीय सारिणियों एवं लघु गणक सारिणियों के प्रयोग से ऊंचाई एवं दूरी के साधारण प्रश्नों का हल आदि शामिल है। त्रिकोणमिति की पाठ्यवस्तु में त्रिकोणमिति के 14 सूत्रों एवं एक महत्वपूर्ण सारिणी उक्त पाठ्यक्रम के क्रम 3 तथा 4 में समाहित है।

गणित पाठ्यक्रम समिति की उक्त संस्तुतियां परिषद ने अपनी पाठ्यचर्या समिति के माध्यम से स्वीकार करने के उपरान्त राजकीय गजट दिनांक 19.2.2000 के भाग-चार में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/743, दिनांक 10 फरवरी, 2000 प्रकाशित किया गया है, जिसके पृष्ठ-30 पर संदर्भित विवरण अंकित है।

जहां तक ठोस ज्यामिति का प्रश्न है इस संबंध में अवगत कराना है कि कक्षा 10 के लिये गणित विषय के द्वितीय प्रश्नपत्र के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम में वर्णित पाठ्यवस्तु के अन्तर्गत वर्णित ठोस किस प्रकार "जनित ठोस" है, इसकी जानकारी पाठ्यपुस्तक में पूर्व से ही मौजूद है यथा-गणित भाग दो नामक पुस्तिका के पृष्ठ 108 की तृतीय तथा चतुर्थ पंक्तियां बेलन के जनित होने पर प्रकाश डालती हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम में जो विसंगतियां थी उनका निराकरण कर दिया गया है।

माननीय सदस्य द्वारा हाईस्कूल नवीन पाठ्यक्रम के वर्ष 2000 के गणित के प्रथम प्रश्नपत्र कोड संख्या 830 (एच जी) तथा द्वितीय प्रश्नपत्र कोड संख्या 831(जे एफ) में प्रश्नपत्रों को दोषपूर्ण तथा गलत बताया गया है। इस संबंध में निवेदन है कि कोड संख्या 830 (एच जी) में प्रश्न संख्या 2(घ) तथा 6 (क) एक ही प्रश्न है परन्तु प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है। दोनों प्रश्नों के लिए निर्धारित अंकों में भिन्नता है। प्रश्न 2(घ) में निर्धारित अंक (1) है जबकि 6(क) में प्रश्न के लिये 2 अंक निर्धारित किये गये है। इन दोनों प्रश्नों को हल करने में छात्रों का कोई अहित नहीं होगा क्योंकि एक ही ज्ञात प्रश्न छात्रों को दो जगह हल करने की सुविधा मिलेगी। इससे छात्रों को ही लाभ होगा। छात्रों द्वारा प्रश्नसंख्या-2(घ) तथा 6 (क) को हल करने पर अंक देने हेतु परीक्षकों को निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।

जहां तक कोड संख्या 831 (जे एफ) का संबंध है, ज्ञातव्य है कि इसमें उल्लिखित प्रश्न संख्या 7(ग), 6(घ) तथा 4 (घ) में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। दोनों प्रश्न पत्रों में पूछे गये सभी प्रश्न पाठ्क्रम के अंतर्गत है तथा प्रश्नों के गठन अथवा प्रारुप में कोई त्रुटि अथवा विसंगति नहीं है।

इस प्रकार माननीय सदस्य द्वारा पाठ्यक्रम के संबंध में उठायी गयी विसंगति का निराकरण परिषद द्वारा पहले ही कर दिया गया है।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद संन्त रविदास नगर (भदोही) का मुख्यालय ज्ञानपुर में शीघ्र निर्मित कराये जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद संतरविदास नगर (भदोही) के मुख्यालय भवन ज्ञानपुर में निर्माण हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यालय भवन को तीव्र गति से पूर्ण कर लिये जाने तथा धनराशि का उपयोग करने के संबंध में वक्तव्य संबंधी नियम-51 में सूचना दी है।

जनपद संतरविदास नगर (कलेक्ट्रेट) (भदोही) के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण क्रमशः रु0 218.71 लाख तथा रु0 485.27 लाख के अनुमोदित आंगणन से किया जाना है। अनुमोदित आंगणन के सापेक्ष आवासीय मद में रु0 26.84 लाख तथा अनावासीय मद में रु0 100.00 लाख की धनराशि दिनांक 20.7.99 को स्वीकृत/अवमुक्त की गयी थी।

मुख्यालय भवन का निर्माण ज्ञानपुर तहसील के जोरई एवं केशवपुर सरपतहा में अधिगृहीत कुल 157 एकड़ पर किया जा रहा है। जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रु0126.84 लाख कार्यदायी संस्था को दी जा चुकी है। धनराशि प्राप्त के उपरांत कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि से मुख्यालय भवन की रुपरेखा तैयार करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसकी समीक्षा जिलाधिकारी स्तर पर भी की जा रही है। शासन स्तर से भी इस संबंध में वांछित तीव्रता लाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कछौछा नगर में खलिहान में हुए भीषण अग्निकांड के सम्बन्ध में श्री भीमप्रसाद सोनकर, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री को केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रसूलपुर दरगाह में दिनांक 22.4.2000 को सायं 8.00 बजे अज्ञात कारणों से श्री उमर पुत्र सैयद रजा के खेत में रखे गेंहू में आग लग गयी थी जिससे चार किसानों, मुहम्मद उमर पुत्र रजा का 50 बोझ, छोटू पुत्र द्वारिका का 40 बोझ, बुग्गन वेवा सिराजुद्दीन का 100 बोझ, अब्बास पुत्र छंगन का 10 बोझ गेहूं जल कर राख हो गया। अग्निकाण्ड में कुल लगभग 10,000/- रुपये की अनुमानित क्षति हुई है।

इस अग्निकाण्ड की घटना में दैवी आपदा राहत निधि से कोई सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है। अग्निकाण्ड से प्रभावितों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु सचिव, मण्डी समिति टाण्डा एवं उप जिलाधिकारी, टाण्डा को निर्देशित किया गया है।]

जनपद देवरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूद्रपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा दवा छिड़काव करने वाले दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजनकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद देवरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूद्रपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निरीक्षक द्वारा दवा छिड़काव करने वाले दैनिक मजदूरी पर कार्यरत-36 श्रमिकों की मजदूरी न दिये जाने के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के आधार पर अवगत कराना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रूद्रपुर जनपद देवरिया में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में दैनिक मजदूरी पर लगाये गये 36 मजदूरों की मजदूरी माह जून एवं जुलाई, 1994 का भुगतान हेतु रू0 75,600/- (रूपया पचहत्तर हजार छः सौ मात्र) दिनांक 1.10.94 को श्री प्रेमशंकर दुबे, वरिष्ठ लिपिक तत्कालीन एवं श्री रामगोपाल गुप्ता एच0आई0सामु0स्वा0 केन्द्र, रूद्रपुर जनपद देवरिया द्वारा भारतीय स्टेट बैंक देवरिया से आहरित किया गया था। तदुपरान्त उक्त धनराशि चोरी हो गयी और दिनांक 1.10.94 को थाना कोतवाली जनपद देवरिया में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

उपरोक्त केश चोरी होने की सम्बन्धी विभागीय जांच एवं आडिट रिपोर्ट के आधार पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-1एफ/5/81, दिनांक 16.5.97 द्वारा रू075,600/- की वसूली हेतु यह आदेश निर्गत किया गया कि चोरी गयी धनराशि की आधी धनराशि की वसूली सर्वश्री प्रेमशंकर दुबे, वरिष्ठ लिपिक तथा आधी धनराशि की वसूली रामगोपाल गुप्ता एच0आई0 से करने का आदेश निर्गत हुआ, जिसके अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया कार्यालय के पत्र संख्या-कैश चोरी/रूद्रपुर/97/7045-51, दिनांक 11.6.97 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया।—

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री प्रेम शंकर दुबे, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक जो वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती/संत कबीर नगर में कार्यरत है तथा श्री रामगोपाल गुप्ता एच0 आई0 सामु0 स्वा0 केन्द्र, रूद्रपुर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से वसूली पद पर स्थगन आदेश प्राप्त/प्रस्तुत किये, जो न्यायालय में लम्बित हैं, जिसके कारण से अभी तक दोनों कर्मचारियों से रिकबरी नहीं हुई है।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या-15फ/वी/352-एम0/95, दिनांक 17.5.99 द्वारा रू0 75,600/- की आधी धनराशि रू0 37,800/- की वसूली डा0 अमरनाथ मल्ल, तत्कालीन अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र, रूद्रपुर से तथा शेष रू0 37,800/- की आधी-आधी धनराशि श्री प्रेमशंकर दुबे, वरिष्ठ लिपिक (तत्कालीन) वर्तमान में जनपद सन्तकबीर नगर में कार्यरत है तथा श्री रामगोपाल एच0 आई0 सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, रूद्रपुर से करने का आदेश दिये, जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुपालन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-1फ/5/81/3907, दिनांक 10.6.99 द्वारा डा0 अमरनाथ मल्ल, सेवानिवृत्त अधीक्षक, सामु0 स्वा0 केन्द्र, रूद्रपुर जनपद देवरिया के ग्रेच्यूटी से रू0 18,900/- की वसूली करने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में डा0 अमरनाथ मल्ल की ग्रेच्युटी से रू0 18,900/- को घटाकर भुगतान कर दिया गया है।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूद्रपुर जनपद देवरिया में वर्ष 1994-95 में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव हेतु लगाये गये 36 दैनिक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान माह जून एवं जुलाई, 1994 का नहीं हुआ है। भुगतान कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।]

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण निर्धारित मानकों के अनुरूप न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[श्री अजय कुमार पोइया माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को यह

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूचना दी गयी कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है, संबंधित लेन-देन पूर्ण कर भूमि को योजना से पृथक कर दिया जाता है। श्री मिश्री लाल निवासी औरंगाबाद, मथुरा की ग्राम रांची बांगर स्थित भूमि खसरा संख्या-9 व 13 का अर्जन गलत किया गया है। जब कि आवासीय भूमि कालोनी के लिए खसरा संख्या-154 व 155 अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है। श्री मिश्री लाल के खसरा संख्या-9 व 13 तथा श्री जग्गो पुत्र इन्दर की भूमि खसरा संख्या-164 राष्ट्रीय मार्ग से दूर है तथा आवास, मन्दिर, बोरिंग तथा पूर्वजों की समाधि स्थल बना हुआ है तथा वर्तमान में कृषि कार्य भी हो रहा है, जब कि ऐसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। पीड़ितो के पास उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि नहीं है तथा आय का श्रोत यही है। आवासीय कालोनियों के स्वामियों से भूमि छोड़े जाने के लिए मोटी रकम लेकर शिथिल किया जा सकता है। परन्तु कृषि योग्य एवं राजमार्ग से दूर की भूमि जिससे योजना नहीं प्रभावित होती है न छोड़ा जाना शासन की कार्यशैली पर कलंक है। इसी प्रकार मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा चैतन्य बिहार आवासीय कालोनी के अधिग्रहण में अनुसूचित वर्ग की भूमि ली गयी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गयी। श्री आनन्द स्वरूप केला, अलीगढ़ की मौजा वृन्दावन बांगर, जनपद मथुरा की भूमि खसरा संख्या-293 अर्जन से मुक्त मोटी रकम लेकर की गयी।

श्री मिश्री लाल एवं श्री जग्गो की कृषि भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाना अति आवश्यक है, जब अन्य भूमि छोड़ी जा सकती है तो इनकी भूमि क्यों नहीं छोड़ी जा सकती है।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के लिए जनहित में 14.472 हेक्टे0 भूमि का अर्जन, भू-अर्जन प्राविधानों के अनुसार किया गया है। धारा-4 की विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त नियमानुसार धारा-9 के अन्तर्गत नोटिस जारी की जाती है। श्री मिश्री लाल औरंगाबाद, मथुरा की भूमि खसरा संख्या-9 व 13 का अधिग्रहण प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु जनहित में किया गया है। धारा-4 की विज्ञप्ति दिनांक 02.02.98 को एवं धारा-6 की विज्ञप्ति दिनांक 13.3.99 को निर्गत की जा चुकी है तथा दिनांक 4.8.1999 को कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। प्राधिकरण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो चुका है। श्री जग्गो पुत्र इन्दर की ग्राम आजमपुर, मथुरा स्थित खसरा संख्या-164 का अर्जन भी नियमानुसार किया गया है। इस योजना की धारा-4 दिनांक 16.6.1998 को तथा धारा-6 की विज्ञप्ति दिनांक 27.9.1999 होने के उपरान्त, दिनांक 11.2.2000 को कब्जा प्राप्त कर लिया गया है और अमल बरामद भी प्राधिकरण के पक्ष में किया जा चुका है।

जहां तक भूमि खसरा संख्या-154 व 155 अधिग्रहण से मुक्त किये जाने का प्रश्न है यह सूच्य है कि निबन्धित सहकारी आवास समिति द्वारा भूमि का विकास कर आवास विकास परिषद एवं प्राधिकरण की तरह से भूखण्ड एवं भवन उपलब्ध कराये जाते है। शहरी आवास नीति के अन्तर्गत आवास सेक्टर में सहकारी क्षेत्रों की सहभागिता एवं उसके पूंजी निवेश के उद्देश्य से सहकारी आवासीय समितियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये है। भूमि खसरा संख्या-154 व 155 शासनादेश दिनांक 02.6.1998 में निहित प्राविधानानुसार हरिओम नगर सहकारी आवास समिति लि0, मथुरा के पक्ष में शासनादेश दिनांक 27.9.1999 द्वारा समायोजन की कार्यवाही करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये हैं। इस प्रसंग में यह भी अवगत कराना है कि माननीय सदस्य ने स्वयं अपने पत्र दिनांक 14.6.1999 द्वारा हरिओम नगर सहकारी आवास समिति लि0 के उक्त खसरा संख्या-154 व 155 के संबंध में धारा-6 की कार्यवाही स्थगित करते हुये धारा-4(1) को निरस्त करके भूमि अर्जन से मुक्त करने के आदेश करने की संस्तुति की गयी और तद्नुसार परीक्षणोंपरान्त उक्त शासनादेश के तहत समायोजन की कार्यवाही करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की चैतन्य बिहार आवासीय योजना हेतु अनुसूचित वर्ग की अधिग्रहीत की गयी भूमि में औपचारिकता पूर्ण न किये जाने के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध जिलाधिकारी, मथुरा के संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री आनन्द स्वरूप केला, अलीगढ़ की मौजा वृन्दावन बांगर तहसील व जिला, मथुरा स्थित भूमि खसरा संख्या-293 पर आवेदक वृद्धा आश्रम, वाचनालय, गौशाला सार्वजनिक उपचार हेतु आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सालय बनाना चाहता था। अतः सार्वजनिक सुविधाओं हेतु जनहित में भूमि खसरा संख्या-293 को मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया था।]

प्रदेश में राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मियों की भांति सुविधाएं देने अथवा माध्यमिक शिक्षकों की भांति सेवा शर्ते अनुमन्य किये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[प्रदेश सरकार समस्त राजकीय शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिये कृत संकल्प है। समाज में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने समय-समय पर आदेश जारी करके राजकीय शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। राजकीय शिक्षकों की तुलना एवं राजकीय कर्मचारियों की तुलना पूर्णरुपेण नहीं की जा सकती है क्योंकि दोनों के दायित्वों, कार्य करने की सीमा, कार्य की प्रकृति और अवकाश दिवसों में भिन्नता है। जहां एक ओर राजकीय शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश विभिन्न त्योहार के अवकाश और शीतकालीन अवकाश की सुविधा अनुमन्य है, वहीं दूसरी ओर राजकीय कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश/शीतकालीन अवकाश आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है। होली, दिवाली तथा अन्य त्योहारों में राजकीय कर्मचारियों को बहुत सीमित अवकाश अनुमन्य होते हैं। राजकीय शिक्षक ग्रीष्मकाल में प्रातः 7.00 से 11.30 बजे तक तथा शीतकाल में 10 से 4.00 बजे तक अपने दायित्वों का सम्पादन करते हैं। राजकीय शिक्षकों को सत्र लाभ देते हुए प्रत्येक वर्ष के 30 जून, को सेवानिवृत्त किया जाता है जबकि राजकीय कर्मचारियों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की माह की अन्तिम तिथि को सेवा निवृत्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजकीय शिक्षकों को राज्य अथवा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने पर दो वर्ष का सेवा विस्तारण की सुविधा प्रदान की गई है जबकि यह सुविधा राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं है।

प्रदेश सरकार ने राजकीय शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान, चयन तथा प्रोन्नत वेतनमान, अवकाश यात्रा सुविधा, समस्त सेवा नैवृत्तिक लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी तथा नगदीकरण पारिवारिक पेंशन, मृतकाश्रित का सेवायोजन आदि की सुविधाएं दी है।

राजकीय शिक्षकों को प्रोन्नति के अनेक ऐसे अवसर उपलब्ध है जिनसे वे शिक्षा विभाग में उच्च प्रशासनिक पदों पर प्रोन्नति पाते हैं। यह सुविधा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सुलभ नहीं है। शासन के संज्ञान में निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त होती है जबकि इस प्रकार की शिकायतें राजकीय शिक्षकों के संबंध में नहीं प्राप्त होती है।

प्रदेश सरकार राजकीय शिक्षकों के संगठनों से समय-समय पर वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनती रही है तथा राजकीय शिक्षक संगठन द्वारा दिये गये ज्ञापनों पर गंभीरता से विचार किया गया है तथा यथा संभव प्रयास किया गया कि उनकी न्यायोचित मांगों को समयबद्ध तरीके से प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पूरा किया जाय।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजकीय शिक्षक एक राजकीय कर्मचारी है और राजकीय कर्मचारी होने के नाते उनसे जनहित में गुरूत्तर दायित्वों की अपेक्षा प्रदेश को उनसे है। इसी कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं तथा निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में राजकीय शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जाती है। राजकीय कर्मचारी होने के नाते उन्हें राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के अलग-अलग दायित्व हैं। राजकीय कर्मचारी होने के नाते राजकीय शिक्षकों को कार्यपालिका का अंग होने के कारण बिना किसी भेदभाव के जनहित में कार्य करना है जो राजनीति में उनकी सक्रिय सहभागिता हो जाने पर संभव नहीं है।

शिक्षक सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मेरूदण्ड है। शिक्षकों की भूमिका का हमारे देश में एक गौरवशील इतिहास रहा है। पिछले 50 वर्षो में हमारे शिक्षकों ने समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हुए बच्चों के सर्वागीण विकास की अपनी भूमिका का निर्वहन इत्यादि निष्ठा और लगन से किया है। प्रदेश सरकार शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका और समाज के विकास में उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय शिक्षकों की समस्त समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सदैव तत्पर है।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत नहरों तथा माइनरों पर बनी पैदल पुलियों के स्थान पर चौड़ी पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 विधायक ने नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया है कि मेंहनगर जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ़ की ठेकमा रजवाहा, अन्य माइनर तथा दूसरी नहरों पर बहुत समय पहले की पैदल पुलिया बनी है पैदल पुलिया से किसानों एवं ग्रामीणों के आवागमन में बहुत परेशानी होती है। हल, बैल, ट्रैक्टर, गाड़ी आदि इन पैदल पुलियों से न निकल सकने के कारण किसानों की खेती एवं आवागमन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। मा0 विधायक जी द्वारा उपरोक्त सभी पैदल पुलियों को चौड़ा करना जनहित में आवश्यक बतलाया गया है।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र, आजमगढ़ के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर प्रणाली की ठेकमा रजवाहा का निर्माण वर्ष 1984-85 तक हो चुका था। ठेकमा रजवाहा की लम्बाई 83.20 कि0मी0 तथा शीर्ष डिस्चार्ज 890 क्यूसेक है। जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार ठेकमा रजवाहा पर 17 पैदल पुलियों का निर्माण कराया गया था। पैदल पुलियों की चौड़ाई 1.20 मीटर रखी जाती है, इस कारण इस पर से ट्रैक्टर आदि नहीं निकाले जा सकते है। ग्रामीण पुल की चौड़ाई 3.80 मीटर रखी जाती है जिससे ट्रैक्टर आदि निकल सकते हैं। इस वर्ष 2000-2001 में अति आवश्यक चार पैदल पुलियों को ग्रामीण पुलों में परिवर्तित करने का कार्य प्रस्तावित है। सूची निम्नवत् है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्रम सं0	नाम नहर	निर्मित पुलिया का चैनेज (कि0मी0में)
1-	ठेकमा रजवाहा	66.250
2-	ठेकमा रजवाहा	67.400
3-	ठेकमा रजवाहा	76.300
4-	ठेकमा रजवाहा	79.350

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:
दिनांक 12 मई,2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सदस्य

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-14 का उत्तर पीछे पृष्ठ ---------- पर।)

विधान सभा के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 14 का संलग्नक

1-तापीय एवं जलीय विद्युतगृहों पर इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना करके सही ऊर्जा प्राप्ति का मापदण्ड किया जाना।

2-पारेषण उपकेन्द्रों (32 के0वी0 एवं उच्च विभव) पर इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना करके उत्पादन गृहों/आयात से पारेषण स्कन्ध को तथा पारेषण स्कन्ध से वितरण स्कन्ध को आपूर्तित ऊर्जा का मापन सही किया जाना।

3-33 के0 वी0 उपकेन्द्रों पर इन्कमिंग एवं आउट गोइंग फीडरों पर मीटरिंग प्रणाली सही करते हुए इनर्जी बैलेन्सिंग किया जाना।

4-100 हार्सपावर से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना।

5-कटिया कनेक्शनों का नियमितीकरण किया जाना।

6-11 के0 वी0 फीडरों की "इनर्जी आडिट" का कार्य पूरा कराने की दिशा में उपभोक्ताओं की फीडरदार लेजराइजेशन कराया जाना।

7-बत्ती/ पंखा के अनियमित संयोजनों को अधिक से अधिक संख्या में नियमित कराने के अभिप्राय से दिनांक 15-4-2000 से 30-6-2000 तक "स्वैच्छिक घोषित योजना" लागू किया जाना।

8-विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की आकस्मिक चैकिंग निस्तारण के आधार पर समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर कराया जाना।

9-विद्युत चोरी तथा गैरकानूनी विद्युत कनेक्शन समाप्त करने हेतु जिला समितियों का गठन किया जाना।

नरेश अग्रवाल,
ऊर्जा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0- 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52-53 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री बनवारी लाल दोहरे, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का संलग्नक

कानपुर रोड योजना के सेक्टर जे रेल नगर/केन्द्र नगर के निम्नलिखित भवनों/भूखण्डों का कब्जा दिया जाना अवशेष है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

भवन	भूखण्ड
1-बी-48/जे	1-ए-66
2-बी-145/जे	1-ए-67
3-सी-1/80/जे	
4-सी-1/108/जे	कुल दो भूखण्ड
5-सी-1/109/जे	
6-सी-1/110/जे	
7-सी-1/130/जे	
कुल 07 भवन	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0- 148 का उत्तर पीछे पृष्ठ ---73--- पर।)

संलग्नक-1

जनपद बागपत में चयनित किये गये अम्बेडकर ग्रामों का ब्लाकवार विवरण

क्रमसं0	विकास खण्ड का नाम	अम्बेडकर ग्राम का नाम	चयनित वर्ष
1-	बागपत	1-चौहल्दा	1996-97
		2-मीतली रामपुर	1997-98
		3-सिसाना	1997-98
		4-धनोरा सिल्वरनगर	1997-98
		5-नोरोज्पुर गूर्जर	1998-99
		6-सरूरपुरकलां	1998-99
		7-फतेहपुर निनाना	1998-99
		8-अहेड़ा	1998-99
		9-गाधी	1998-99
		10-पाली	1998-99
		11-सुल्तानपुर हटाना	1998-99
		12-पावलां बेगमाबाद	1998-99
		13-बली	1999-2000
		14-राजपुरखामपुर	1999-2000
		15-शिकोहपुर	1999-2000
		16-फतेहपुरपुटठी	1999-2000
		17-खेड़ाइस्लामपुर	1999-2000
2-	पिलाना	1-बाखरपुर बलेनी	1996-97
		2-हरसिया	1997-98
		3-डौली	1997-98
		4-ढिकोली	1997-98
		5-सिंघावलीअहीर	1997-98
		6-हिसाबदा	1997-98
		7-बिलोचपुरा	1997-98
		8-अ0 आलेनी	1997-98
		9-खिन्दौड़ा	1997-98
		10-बरसिया	1997-98
		11-हबीपुरनगला	1998-99
		12-खटटाप्रहलादपुर	1998-99
		13-पिलाना	1998-99
		14-चमरावत	1999-2000
		15-दत्तनगर	1999-2000
		16-लुहारा	1999-2000

विधान सभा प्रदेश

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	अम्बेडकर ग्राम का नाम	चयनित वर्ष
		17-साकलपुटठी	1999-2000
		18-सैडमर	1999-2000
3.	खेकड़ा	1-आनंदपुर उर्फ बंदपुर	1996-1997
		2-सैदपुर कलां	1996-1997
		3-जहाँगीरपुर	1996-1997
		4-काठा	1997-1998
		5-रटोल	1997-1998
		6-फवरपुर	1997-1998
		7-मवीकला	1997-1998
		8-गोठरा	1997-1998
		9-साकरीव	1998-1999
		10-बड़ा गांव	1998-1999
		11-नगलाबढ़ी	1998-1999
		12-सुन्हैड़ा	1998-1999
		13-भागोट	1999-2000
		14-बसी	1999-2000
		15-ललियाना	1999-2000
		16-मुबारिकपुर	1999-2000
		17-अहमदनगर	1999-2000
4-	बिनौली	1-दाहा	1997-98
		2-निरपुड़ा	1997-98
		3-सिरसलगढ़	1997-98
		4-विजवाड़ा	1997-98
		5-बिनौली	1997-98
		6-रूछाड़	1997-98
		7-भड़ल	1998-99
		8-आजमपुर मुलसम	1998-99
		9-बामनौली	1998-99
		10-पलड़ी	1998-99
		11-फजलपुर	1999-2000
		12-सिरसली	1999-2000
		13-जिवाना	1999-2000
		14-मोजिजाबाद नांगल	1999-2000
		15-बरनावा	1999-2000
		16-पुसार	1999-2000
		17-तितरोहा	1999-2000
5-	बड़ौल	1-लुहारी	1997-98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमसं0	विकास खण्ड का नाम	अम्बेडकर ग्राम का नाम	चयनित वर्ष
		2-मलकपुर	1997-98
		3-कण्डेरा	1997-98
		4-सबगा	1997-98
		5-कीसिमपुर खेड़ी	1997-98
		6-बावली	1997-98
		7-वाजिदपुर	1997-98
		8-सिनौली सादकपुर	1997-98
		9-कोताना	1998-99
		10-जौनमाना	1998-99
		11-बिजरौल	1998-99
		12-बड़का	1998-99
		13-हिलवाड़ी	1998-99
		14-महावतपुर	1998-99
		15-लोगन	1998-99
		16-किशनपुर	1998-99
		17-बड़ावट	1999-2000
		18-शाहपुर बड़ौली	1999-2000
		19-लोहडडा	1999-2000
		20-जोहड़ी	1999-2000
		21-ढिकाना	1999-2000
		22-बरवाला	1999-2000
	छपरौली	1-लूम्ब	1997-98
		2-किरठला	1997-98
		3-सुगाना	1998-99
		4-रमाला	1998-99
		5-कुड़ी	1998-99
		6-ककड़ीपुर	1998-99
		7-बोढ़ा	1999-2000
		8-सूपराजपुर	1999-2000
		9-ख्वाजानगला	1999-2000
		10-काकोरकलां	1999-2000
		11-बासौली	1999-2000
		12-असारा	1999-2000

राधेश्याम
मंत्री।

उत्तर प्रदेश गजट

संलग्नक-

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	कुल घोषित अम्बेडकर ग्राम	संतृप्त ग्राम	असंतृप्त ग्राम
1-	बागपत	17	12	05
2-	पिलाना	18	13	05
3-	खेकड़ा	17	11	06
4-	बिनौली	17	10	07
5-	बड़ौत	22	16	06
6-	छपरौली	12	06	06
	योग :	103	68	35

राधेश्याम
मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0- 166 का उत्तर पीछे पृष्ठ --------- पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री बनवारी लाल दोहरे, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-166 के उत्तर का सलग्नक।

क्रम सं0 आवंटी का नाम	भवन का मूल्य	दिस0-99 तक जमा धनराशि	दिस0-99 तक अवशेष धनराशि
1-श्री राम हौर्सिला	39,300/-	26,157/75	10,792/25
2-श्री घनश्याम	39,300/-	27,834/75	9,415/25
3-श्रीमती मीनाक्षी	39,300/-	27,422/25	9,827/75
4-श्री मोहर सिंह	39,300/-	सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है।	
5-श्री रामकेश पंकज	42,100/-	सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है।	
6-श्रीमती मिथलेश	41,100/-	4,832/25	32,417/75
7-श्रीमती रीता	41,100/-	6,412/25	30,837/25
8-श्री बब्बू खां	39,300/-	8,311/40	28,238/60
9-श्री विशाल कुमार पाठक	39,300/-	29,294/50	7,955/50
10-श्री विकास कुमार पाठक	41,700/-	29,890/50	7,359/50
11-श्रीमती माधुरी पाठक	41,700/-	सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है।	
12-श्री विजय कुमार पाठक	41,700/-	सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है।	
13-श्री नरेन्द्र राम त्रिपाठी	39,300/-	38,434/75	-----
14-श्रीमती चन्द्र रेखा त्रिपाठी	39,300/-	33,210/45	4,039/55
15-श्री राघवेन्द्र राम	39,300/-	सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है।	

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 04 वि0सभा0--26-02-2001--813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।